सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

वेबसाइट : **www.msme.gov.in**

विषयसूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	**पृष्ठभूमि**	**1-24**
	1.1 भूमिका	**1**
	1.2 एमएसएमई मंत्रालय का अधिदेश	**2**
	1.3 संगठनात्मक अवसंरचना	**3**
	1.4 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष उपाय	**9**
	1.5 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण पारितंत्र	**10**
	1.6 विशेष अभियान 4.0	**11**
	1.7 वर्ष के दौरान आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम	**14**
	1.8 वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलें और स्कीमें	**18**
2.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का अवलोकन**	**25-32**
	2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका	**25**
	2.2 एमएसएमई का पंजीकरण	**26**
3.	**संबद्ध कार्यालय, सांविधिक निकाय और संगठन**	**33-78**
	3.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय	**33**
	3.1.2 टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर एवं टीआइ) (प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भी प्रख्यात)	**34**
	3.1.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम–विकास कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ)	**40**
	3.1.4 एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन	**44**
	3.2 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	**46**
	3.3 कयर बोर्ड	**58**
	3.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	**69**
	3.5 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)	**72**
	3.6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	**75**
4.	**एमएसएमई मंत्रालय और उसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें**	**79-102**

5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, विशिष्ट दिव्यांगजनों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित क्रियाकलाप	**103-114**
	5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कार्यकलाप (एनईआर)	**103**
	5.2 महिलाओं के कल्याण पर लक्षित क्रियाकलाप	**109**
	5.3 विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए कल्याण	**110**
	5.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	**111**
6	**सामान्य सांविधिक दायित्व**	**115-124**
	6.1 राजभाषा	**115**
	6.2 सतर्कता	**120**
	6.3 नागरिक चार्टर	**122**
	6.4 सूचना का अधिकार	**122**
	6.5 यौन उत्पीड़न की रोकथाम	**123**
अनुबंध		
1.	प्रमुख स्कीम–वार कुल व्यय 2022–23, 2023–24 तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय विवरण	**125**
2.	एमएसएमई मंत्रालय और उसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते	**126**
3.	एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची	**127-135**
4.	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों की सूची	**136-137**
5.	एमएसएमई–डीएफओ और शाखा एमएसएमई–डीएफओ की राज्य–वार सूची	**138-146**
6.	एमएसएमई परीक्षण केंद्रों (टीसी) और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) का संपर्क विवरण	**147-149**
7.	लघुरूप	**150-152**

अध्याय **1**

पृष्ठभूमि

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) का अवलोकन

1.1.1 **भूमिकाः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यंत जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, भारत के निर्यात में 45% से अधिक का योगदान देता है। यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करके देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं। यह क्षेत्र देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और कार्य–निष्पादन का अवलोकन **अध्याय 2** में दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से खादी, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित ऐसे छोटे व्यवसाय के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देकर, मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करके, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर और नए उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करके एक प्रगतिशील एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है। मंत्रालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की भौगोलिक समावेशिता और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदायों की जनसांख्यिकीय समावेशिता सुनिश्चित करने वाले प्रयासों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

विजन

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का सतत विकास।

इसका उद्देश्य एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है।			
औपचारिकीकरण और समावेशन	ऋण तक पहुँच	वित्त तक पहुंच	बाजार तक पहुंच
प्रौद्योगिकी तक पहुंच	डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना	अवसंरचनात्मक बाधाएं	अपर्याप्त कौशल/ पुनः कौशल

1.1.3 एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाजार सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। स्कीमों की विस्तृत सूची **अध्याय–4** में दी गई है।

1.1.4 देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय को इसके तत्वावधान में कई वैधानिक और गैर–वैधानिक निकायों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इनमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) शामिल हैं। इन निकायों के अधिदेश और कार्य–निष्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी **अध्याय–3** में दी गई है।

1.1.5 मंत्रालय अपने सभी संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा ''हिंदी'' के प्रगतिशील प्रयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। मंत्रालय सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों को भ्रष्टाचार विरोधी, सूचना के अधिकार और यौन उत्पीड़न की रोकथाम कर्तव्यपूर्वक लागू कर रहा है। विस्तृत जानकारी **अध्याय–6** में देखी जा सकती है।

1.2 एमएसएमई मंत्रालय का अधिदेश

1.2.1 दिनांक 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया था।

1.2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम वर्ष 2006 में अधिनियमित किया गया था ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ इस क्षेत्र के लिए कवरेज और निवेश की सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैंः–

- एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए **एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना** की गई है, ताकि एमएसएमई के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच की जा सके, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सके और इस संबंध में सिफारिशें की जा सकें।
- "उद्यम" की अवधारणा को मान्यता देने के लिए **कानूनी फ्रेमवर्क को अपनाना**, जिसमें विनिर्माण और सेवा दोनों इकाइयां शामिल हैं।
- यह विधेयक केन्द्र सरकार को एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को विकसित करने और संवर्धन के लिए कार्यक्रम शुरू करने तथा दिशानिर्देश और अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।
- विलंबित भुगतान हेतु विवाद समाधान के फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाना।

1.2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएंः

एमएसएमई मंत्रालय की 26 जून, 2020 की अधिसूचना के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में, 1 जुलाई, 2020 से उद्यमों को वर्गीकृत करने के मानदंडों को संशोधित किया गया। संशोधित वर्गीकरण मानदंड इस प्रकार हैंः–

- **ऐसा सूक्ष्म उद्यम,** जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश एक करोड़ रु. से अधिक न हो और कारोबार पांच करोड रु. से अधिक न हो;
- **ऐसा लघु उद्यम,** जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश दस करोड़ रु. से अधिक का न हो और कारोबार पचास करोड़ से अधिक न हो; और

➢ **ऐसा मध्यम उद्यम**, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पचास करोड़ रु. से अधिक न हो और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रु. से अधिक न हो।

1.2.4 एमएसएमई के नए वर्गीकरण को अपनाने के अनुसरण में, एमएसएमई के पंजीकरण के लिए 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसएमई को वर्गीकृत करने का पूर्व मानदंड संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश पर आधारित था, जिसमें विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए अलग–अलग सीमा थी।

1.2.5 विनिर्माण और सेवा दोनों इकाइयों के लिए नए समग्र वर्गीकरण का उद्देश्य मौजूदा और इच्छुक उद्यमियों दोनों को सहायता प्रदान करना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले निवेश–आधारित वर्गीकरण के साथ–साथ कारोबार पर आधारित एक नए मानदंड को शामिल किया गया। एमएसएमई इकाइयों की सभी श्रेणियों के लिए निर्यात के संबंध में कारोबार को समग्र कारोबार से बाहर रखा गया, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई।

1.2.6 भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों का समर्थन और संपूरण करती है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करना और उभरते आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

1.3 संगठनात्मक अवसंरचना

1.3.1 एमएसएमई मंत्रालय में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, प्रशासनिक एवं वित्त संस्थान (एएफआई) प्रभाग, एकीकृत वित्त स्कंध (आईएफडब्ल्यू) और डेटा एनालिटिक्स एवं तकनीकी समन्वय (डीएटीसी) स्कंध के अतिरिक्त विकास आयुक्त (डीसी, एमएसएमई) का कार्यालय एक संबद्ध कार्यालय के रूप में और अन्य अधीनस्थ संगठन शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है:

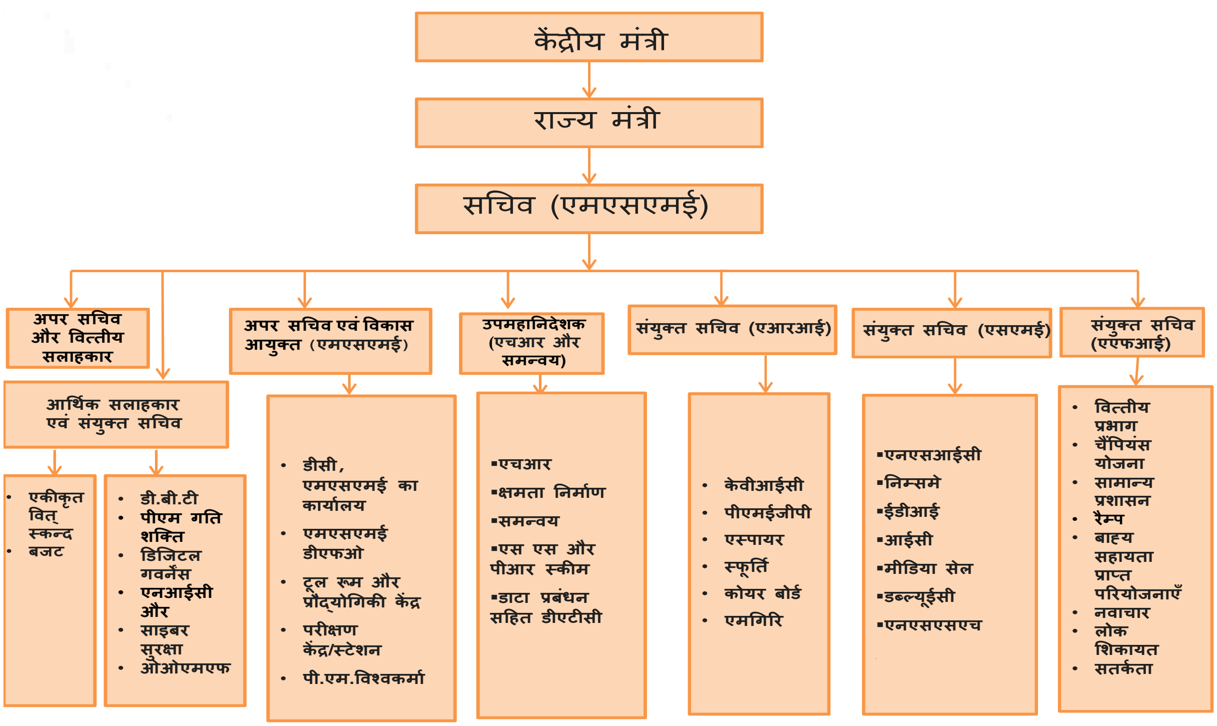

1.3.2 **एसएमई प्रभाग** – एसएमई प्रभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम– राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड तथा एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संगठन– राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य देखता है। यह प्रभाग अन्य कार्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, एसएमई प्रभाग स्कीमों के संवर्धन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान की तैयारी संबंधी कार्य भी देखता है।

1.3.3 **एआरआई प्रभागः** एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों–खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) का प्रशासन कार्य देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) तथा नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.3.4 **एएफआई प्रभाग**– एएफआई प्रभाग को अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय के प्रशासनिक एवं सर्तकता संबंधी कार्य दिए गए हैं। यह प्रभाग चैम्पियंस डेस्क, लोक शिकायत, सीपीग्राम, नवाचार, सततता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं और सामान्य प्रशासन का कार्य देखता है। एएफआई प्रभाग में रैम्प अनुभाग नई शुरू की गई विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्कीमों की बढ़ती पहुंच और केंद्र–राज्य सहयोग में वृद्धि करके एमएसएमई क्षेत्र में दृढ़ क्षमताओं में सुधार करना है।

1.3.5 **आईएफ स्कंध** – मंत्रालय का आईएफडब्ल्यू मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभागों और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है और वित्तीय मामलों पर सहमति देता है। आईएफडब्ल्यू सरकारी व्यय से जुड़े नीतिगत मामलों पर सलाह भी देता है, जिसमें क्षेत्रीय प्राथमिकताओं/लक्ष्यों/उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित समग्र मैक्रो–फ्रेमवर्क के भीतर व्यय प्रबंधन और वित्तीय विवेक के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। आईएफडब्ल्यू, मंत्रालय और एमएसएमई विकास आयुक्त का कार्यालय के मंत्रिमंडल/ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों और निविदा टिप्पणियों की भी जांच करता है। यह विंग समझौता ज्ञापन/समझौते/अनुबंधों आदि पर हस्ताक्षर करने से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है। इसके अलावा, आईएफडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व विभिन्न स्थायी समितियों के साथ–साथ समय–समय पर गठित तदर्थ समितियों में भी होता है और निर्णय लेने में सुविधा के लिए बहुमूल्य सुझाव देता है।

1.3.6 **बजट प्रभाग** – मंत्रालय का बजट प्रभाग निम्नलिखित कार्यकलाप करता हैः (i) अनुदानों की विस्तृत माँगें (डीडीजी) तैयार करना; (ii) विनियोग खाता, मासिक और तिमाही आधार पर बजट के प्रति व्यय की निगरानी; (iii) बजट अनुमान का विवरण (एसबीई); (iv) स्कीमों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधि जारी करना; (v) परिसंपत्ति रजिस्टर से संबंधित जानकारी का संकलन; (vi) डीडीजी की तैयारी के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विषय शीर्षों को खोलना/हटाना; (vii) अनुदान में बचत को वापस सौंपना; (viii) संशोधित अनुमान (आरई) तैयार करना; (ix) बजट अनुमान (बीई) और अनुदान की अनुपूरक मांगें; (x) केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) पोर्टल में डेटा अपलोड करना अर्थात बजट अनुमान (एसबीई), बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय; (xi) अव्ययित शेष की निगरानी; (xii) खातों के विभिन्न शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन; (xiii) स्कीमों के "100 करोड़ रुपये

के बचत नोट" से संबंधित जानकारी का संकलन; (xiv) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, डीएपीएससी, डीएपीएसटी, बजट पूर्व चर्चा बैठक, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति (डीआरपीएससी) जैसी विभिन्न बैठकों की तैयारी; (xv) पृष्ठभूमि टिप्पणी (xvi); मासिक और तिमाही आधार पर एससीएसपी, टीएएसपी और पूर्वोत्तर में स्कीम–वार और विषय शीर्ष–वार व्यय की निगरानी; (xvii) सरकारी गारंटी आदि की निगरानी और अग्रेषण रिपोर्ट।

1.3.7 **डीएटीसी स्कंध**– यह स्कन्ध एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़ें/सांख्यिकी का विश्लेषण करता है तथा यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए तकनीकी सूचनाएं (इनपुट) प्रदान करता है। एमएसएमई डाटाबेस के विकास और रख–रखाव के लिए सभी हितधारकों के साथ तकनीकी समन्वय करता है।

1.3.8 बजटीय परिव्यय

मंत्रालय के 5 वर्षों के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	वास्तविक व्यय
2020-21	7,572.20	5,664.22	5,647.50
2021-22	15,699.65	15,699.65	15,160.47
2022-23	21,422.00	23,628.73	23,583.90
2023-24	22,137.95	22,138.01	22,094.17
2024-25	22,137.95	17,306.70	7,225.19*

**दिनांक 20.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार व्यय*

कोविड–19 महामारी के दौरान, सरकार ने वित्त वर्ष 2021–22 में मंत्रालय के बजट आवंटन को दोगुना करके एमएसएमई क्षेत्र को सहायता, राहत प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया।

वर्ष 2022–23, 2023–24 के लिए वास्तविक व्यय और वर्ष 2024–25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का प्रमुख स्कीम–वार विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

1.3.9 मंत्रालय की स्कीमें

एमएसएमई मंत्रालय ने देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गतिशील और व्यापक स्कीमों का शुभारंभ किया है। ये पहलें वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, रोजगार सृजन, उद्यमिता और विपणन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए की गई हैं। पीएम विश्वकर्मा, ऋण गारंटी स्कीम, प्रौद्योगिकी केंद्र, पीएमईजीपी तथा खरीद और विपणन सहायता स्कीम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, मंत्रालय विशेष कर महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति उद्यमियों और वंचित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने, नवाचार में सुधार करने और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इन पहलों का लाभ उठाकर, मंत्रालय एमएसएमई की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता, स्थिरता और मापनीयता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, इस प्रकार रोजगार सृजन, आर्थिक लचीलापन और देश की विकास गति में योगदान देता है। स्कीमों का विस्तृत विवरण रिपोर्ट के **अध्याय–4** में दिया गया है।

1.3.10 एमएसएमई मंत्रालय का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

1.3.10.1 भारत सरकार की सभी कल्याणकारी और सब्सिडी स्कीमों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत किया गया है ताकि निधि वितरण की दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, तेज़ और सरल निधि प्रवाह सुनिश्चित करना, लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित करना और दोहराव और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना है। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मंत्रालय के भीतर एक समर्पित डीबीटी सेल की स्थापना की गई है।

1.3.10.2 लाभार्थियों के भिन्न–भिन्न प्रकार के लाभ अर्थात् नकद, अन्य रूप में, अथवा मिश्रित (अर्थात् नकद एवं अन्य रूप में) के आधार पर स्कीमों को श्रेणीबद्ध किया गया है। नीचे दी गई तालिका में लाभ के प्रकार, लाभार्थियों की संख्या और कुल अंतरित निधियाँ अथवा कुल व्यय के साथ मंत्रालय की मुख्य डीबीटी स्कीमों को दर्शाया गया।

(31.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ के प्रकार	लाभार्थियों की कुल सं.	कुल व्यय (रु. करोड़ में)
1	एटीआई स्कीम (प्रशिक्षण घटक)	अन्य रूप में	7,435	11.93
2	खादी संस्थाओं को एमपीडीए अनुदान	नकद	1,18,206	66.28
3	कयर विकास योजना	नकद	49,975	32.27
4	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	नकद	28,503	1,160.19
5	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	अन्य रूप में	2,13,241	63.69
6	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	नकद	240	9.69
7	पीएम विश्वकर्मा स्कीम	नकद और अन्य रूप में दोनों प्रकार से	18,23,451	3,131.86

उपर्युक्त उल्लिखित 7 स्कीमों के आंकड़ों को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा बनाए गए डीबीटी पोर्टल पर मासिक आधार पर नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है।

1.3.11 डिजिटल भुगतान

1.3.11.1 सरकार नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों को सुविधाजनक और कुशल तरीके से निर्बाध डिजिटल भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के औपचारिक दायरे में लाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य आसान, किफायती, त्वरित और सुरक्षित डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी नागरिक तक इन सेवाओं की आसानी से उपलब्धता हो सके।

1.3.11.2 इस राष्ट्रीय पहल के भाग के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय ने मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में 'डिजिधन मिशन' के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे एमएसएमई पारितंत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- अपने सभी संबद्ध कार्यालयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सभी कार्यालय डिजिटल रूप से सक्षम किए गए हैं।
- उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे भीम, यूपीआई और भारत क्यूआर कोड की सरलता एवं लाभों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

1.3.12 शिकायत निगरानी

मंत्रालय, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के माध्यम से सभी शिकायतों का समाधान करता है। सीपीग्राम के अलावा, मंत्रालय ने समाधान प्रणाली की शुरूआत की है, जो एक ऑनलाइन शिकायत निगरानी मंच है जिसे विशेष रूप से एमएसएमई से प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन तंत्रों का पूरक चैंपियंस पोर्टल है, जो निवारण, मार्गदर्शन और एमएसएमई को पथ–प्रदर्शन सहायता के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है, साथ ही देश भर में 69 राज्य नियंत्रण कक्षों के माध्यम से ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्रसारित करता है।

1.3.12.1 एमएसएमई समाधानः एमएसई के विलंबित भुगतान का समाधान करना

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15–24 क्रेताओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान के मुद्दों से संबंधित हैं। इस अधिनियम के अनुसार, यदि भुगतान में 45 दिनों से अधिक का विलम्ब होता है तो आपूर्तिकर्ता (एमएसई) प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के अंतर्गत गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अक्तूबर, 2017 में एमएसएमई समाधान पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सीपीएसई, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि तथा अन्य क्रेताओं के पास एमएसई के विलंबित भुगतान की जानकारी प्रदान करता है। यह एमएसई को भुगतान में देरी की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने की अनुमति देता है। एक बार एमएसई द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद, इसे 15 दिनों के भीतर संबंधित एमएसईएफसी द्वारा पंजीकृत किया जाना आवश्यक है।

पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित कई राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी हैं।

पोर्टल की शुरुआत से लेकर 15 दिसंबर, 2024 तक, एमएसई ने 2,16,221 आवेदन दाखिल किए हैं, जिनमें 47,677.28 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इनमें से 20,158 मामलों को आपसी समझौते के जरिए सुलझाया गया है, जिनकी कुल राशि 2,542.63 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, एमएसईएफसी द्वारा 50,163 आवेदनों की समीक्षा की जानी है, जिनमें 7,571.96 करोड़ रुपये शामिल हैं, जबकि 40,791 आवेदनों को मामलों में बदल दिया गया है, जिनमें

13,026.34 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुल मिलाकर, एमएसईएफसी द्वारा 43,667 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, जिसमें 12,519.72 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

1.3.12.2 चैंपियंस पोर्टल

जून, 2020 में शुरू किया गया चैंपियंस पोर्टल समाधान, निवारण और निदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधा हैः –

- ➢ एमएसएमई की शिकायतों का त्वरित, सुविधाजनक और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना।
- ➢ विभिन्न सरकारी स्कीमों/नीतियों को समझने में एमएसएमई की प्रारंभिक सहायता करना।
- ➢ वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, कच्चा माल, श्रम, अवसंरचना और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना।
- ➢ एमएसएमई को मंत्रालय, राज्य सरकारों, ऋण प्रदाता संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों से जोड़ना।
- ➢ एमएसएमई मंत्रालय की सभी स्कीमों की जानकारी और विवरण का प्रचार–प्रसार करना।

31.12.2024 तक, चैंपियंस पोर्टल पर 1,17,726 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से, पोर्टल पर 1,16,632(99.07%) का उत्तर दिया जा चुका है।

1.3.13 खरीद

1.3.13.1 लोक प्रापण नीति

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु एक सुनिश्चित बाजार सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी और 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य है।

नवंबर, 2018 में, माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए "समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम" शुरू किया, जिसमें एमएसएमई विकास के लिए 12 प्रमुख पहलें शामिल थीं। इनमें से एक पहल के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपनी कुल खरीद का 20% एमएसई से खरीदना अनिवार्य किया गया, जिसमें 4% एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित था।

इसके अनुरूप, एमएसई आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति को 9 नवंबर 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5670 (ई) के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें वार्षिक खरीद लक्ष्य 25% निर्धारित किया गया, जिसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला–स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद शामिल है।

इस मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा चिह्नित दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3237(ई) के माध्यम से एमएसई आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति से संबंधित व्यवसाय के साथ–साथ नागरिकों पर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अनुपालन की संख्या को सात से घटाकर चार कर दिया है जिससे एमएसई के लिए लाभों तक पहुंच में न्यूनतम बाधाएं सुनिश्चित हो रही हैं।

1.3.13.2 एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल

केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा खरीद की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में एमएसएमई संबंध पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल खरीद डेटा को ट्रैक करके एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल के अनुसार, 129 सीपीएसई द्वारा 1,35,770.63 करोड़ रुपये की कुल खरीद में से 40.77% की खरीद एमएसई से की गई है, जिससे 1,61,950 एमएसई लाभान्वित हुए हैं। इसमें से 2.32% की खरीद महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से और 1.33% अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले उद्यमों से की गई थी।

1.3.13.3 सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम)

एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को जेम (सरकारी ई–मार्केट प्लेस) पोर्टल पर शामिल होने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन फॉर्म में एक समर्पित विकल्प एकीकृत किया गया है, जिससे एमएसएमई जेम में शामिल होने की अपनी इच्छा को सहजता से व्यक्त कर सकते हैं।

जेम पोर्टल से प्राप्त डेटा में शामिल एमएसई की कुल संख्या और उनके संबंधित ऑर्डर मूल्य पर प्रकाश डाला गया है, जो खरीद में एमएसएमई की बढ़ती भागीदारी और योगदान को रेखांकित करता है।

एमएसई विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की संख्या	ऑर्डर मूल्य (एमएसई%)
22.5 लाख	38.21%

1.4 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष उपाय

कोविड–19 महामारी के बाद, राष्ट्र निर्माण में एमएसएमई की भूमिका को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई घोषणाओं में एमएसएमई को बहुत प्रमुख भाग माना गया है। पैकेज में एमएसएमई को पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए और आर्थिक पुनरुद्धार के उद्देश्य से उपायों में उनके समावेश को प्राथमिकता दी गई। एमएसएमई क्षेत्र को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए पैकेज के अंतर्गत कई प्रमुख घोषणाएँ की गईं।

आत्मनिर्भर भारत कोष (निधियों का कोष) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निधियों का कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इस कोष को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी (वीसी)/प्राइवेट इक्विटी (पीई) फर्मों को सहायता प्रदान करना है।
- यह कोष एमएसएमई क्षेत्र की इक्विटी फंडिंग चुनौतियों का समाधान करता है और उनकी बाधाओं को समाप्त करने, और उन्हें वैश्विक चैंपियन बनने के लिए अपनी पूरी अंतर्निहित क्षमता तक बढ़ने की अनुमति देता है। एसआरआई फंड कम सेवा वाले एमएसएमई में विभिन्न प्रकार के फंडों को चैनलाइज़ करने और व्यवहार्य और उच्च विकास वाले एमएसएमई की विकास आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है।

- ➢ एसआरआई कोष को क्रियान्वित करने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में निर्मित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को दिनांक 1 सितम्बर, 2021 को श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, (i) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (iii) एनवीसीएफएल; और (iv) एसबीआई– कैप वेंचर्स लिमिटेड के बीच दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- ➢ अनुषंगी कोष (डॉटर फंड) द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कोष और एसआरआई कोष द्वारा प्रतिबद्ध कोष 4:1 के अनुपात में होंगे। यह आशा की जाती है कि एसआरआई कोष की पहल गुणक प्रभाव उत्पन्न करेगी जिससे एमएसएमई क्षेत्र को लगभग 50,000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण नगदी प्राप्त होगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाया जा सकेगा।

  स्थिति : अक्टूबर, 2021 में इसकी शुरुआत से दिनांक 31.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 59 अनुषंगी कोष (डॉटर फंड) को एनवीसीएफएल (मुख्य कोष) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन एमएसएमई में 9,999 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 533 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

1.5 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण पारितंत्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने उभरते और परंपरागत दोनों क्षेत्रों क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ कौशल पारितंत्र विकसित किया है। रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्यमशीलता क्षमता का निर्माण करने के लिए, मंत्रालय महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों के साथ–साथ वेतन रोजगार के लिए उद्योग–संरेखित कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (निम्समे) और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये कार्यक्रम विद्यालय छोड़ने वालों से लेकर एम.टेक स्नातकों तक, विविध प्रकार के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर योग्यता प्रदान करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग तथा कयर क्षेत्र जैसे परंपरागत क्षेत्रों के लिए विशेष कौशल–उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना (एनएसक्यूएफ), कौशल विकास और उद्यमशीलता (एमएसडी) मंत्रालय के साथ उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अनुरूप बनाने की पहल की है। ये प्रशिक्षण टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर एवं टीआई), प्रशिक्षण संस्थानों को टीसीएसपी सहायता (एटीआई), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, खादी ग्रामोदय विकास योजना, कयर विकास योजना और महिला कयर योजना जैसी स्कीमों के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग–आधारित, अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25* तक संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति नीचे दिए गए बार चार्ट में दी गई है:

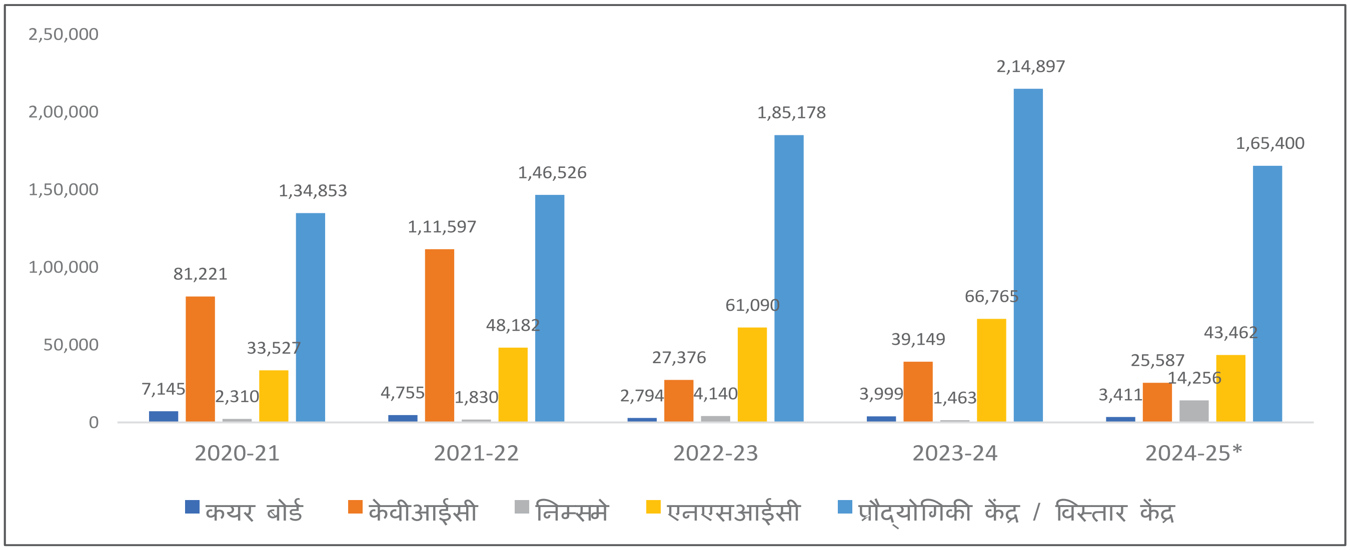

'*': *दिसंबर, 2024 तक*

1.5.1 एमएसएमई संपर्क

जून, 2018 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा ''एमएसएमई संपर्क'' नामक एक रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें रोजगार आकांक्षी (अर्थात एमएसएमई टूल रूम और तकनीकी संस्थानों के उत्तीर्ण प्रशिक्षु/छात्र) और भर्तीकर्ता पारस्परिक रूप से लाभकारी वार्ता करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। दिनांक 31.12.2024 (वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान) तक पोर्टल पर 6,331 रोजगार आकांक्षी (उत्तीर्ण प्रशिक्षु), 98 रोजगार प्रदाता (भर्तीकर्ता) पंजीकृत हैं, 1,776 नौकरियों की पेशकश की गई है और उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के लिए 6,626 रिक्तियां पोस्ट की गई हैं।

1.6 विशेष अभियान 4.0: स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना

एमएसएमई मंत्रालय ने अपने संबद्ध संगठनों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया, तथा लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छता पद्धतियों को संस्थागत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

विशेष अभियान 4.0 ने पीएमओ और अंतर–मंत्रालयी संदर्भों, लोक शिकायतों एवं अपीलों, ई–फाइल समीक्षा के निपटान सहित 10 मापदंडों पर 100% लक्ष्य पूरा किया। इसके अतिरिक्त, सांसदों के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, अनावश्यक वस्तुओं के निपटान आदि जैसे अन्य मापदंडों के लिए 80% से अधिक लक्ष्य पूरे किए। इस अभियान ने गैर–उपयोगी वस्तुओं की बिक्री करके 21.84 लाख रुपये का राजस्व भी अर्जित किया, जिससे 43,342 वर्ग फुट कार्यालय स्थान रिक्त हुआ।

अभियान के दौरान मंत्रालय और उसके संगठनों ने प्रौद्योगिकी सक्षमता और डिजिटलीकरण, अपशिष्ट को अवसरों में परिवर्तित करने; सतत और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों पर केंद्रित पहल और अभियान में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने, विशेष रूप से नागरिकों के बीच स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों के मूल्यों को स्थापित करने आदि क्षेत्रों में कई बेहतरीन कार्य किए। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है:–

- **स्वच्छता शपथः** 2 अक्टूबर, 2024 को एमएसएमई के माननीय मंत्री द्वारा मंत्रालय, उसके संगठनों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कर्मचारियों के लिए हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन 'स्वच्छता शपथ' दिलाई गई। उसी दिन लगभग 3600 अधिकारियों/कर्मचारियों ने 'स्वच्छता शपथ' ली। 'विशेष अभियान 4.0' के अंतर्गत उद्यमियों, अधिकारियों/कर्मचारियों, संगठनों आदि द्वारा 35,000 से अधिक स्वच्छता शपथ/ई–शपथ ली गई।

2 अक्टूबर, 2024 को माननीय एमएसएमई मंत्री स्वच्छता शपथ दिलाते हुए

- **पर्यावरण पहल और वृक्षारोपण अभियानः** वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" का नेतृत्व माननीय एमएसएमई मंत्री ने किया, जिसमें दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर सहित विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण क्रियाकलाप आयोजित किए गए। विभिन्न एमएसएमई कार्यालयों में पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों, जैसे खाद तैयार करना और वर्षा जल संचयन को लागू किया गया।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने एमएसएमई–डीएफओ, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** इस वर्ष डीएपीआरजी के एससीडीपीएम पोर्टल का एक एमएसएमई इंस्टॉंस बनाया गया है, ताकि सभी क्षेत्रीय संरचनाओं से 'विशेष अभियान 4.0' के अंतर्गत प्राप्त प्रगति के डेटा एकत्र और अद्यतन किया जा सके।

- **स्वच्छता जागरूकता:** अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विशेष इवेंट आइकन और एक डैशबोर्ड बनाया गया है। डैशबोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों और संगठनों को अपनी क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का विवरण तथा तस्वीरें अपलोड करने की अनुमति देता है, जिससे अभियान की प्रगति के बारे में आसान पहुँच, बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित दैनिक अपडेट संभव हो पाता है। यह पहल अभियान के प्रयासों की एक सुसंगत दृष्टिकोण और बेहतर ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है।

- **कचरे का अभिनव उपयोग:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी), वर्धा, महाराष्ट्र ने विशेष अभियान 4.0 के भाग के रूप में एक प्रभावशाली मूर्ति, "एमगिरी रोबोट" बनाया है। परिसर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों से पूर्ण रूप से तैयार किया गया यह रोबोट एमगिरी के अभिनव डिजाइन और निर्माण कौशल को दर्शाता है। 150 किलोग्राम वजनी इस मूर्ति में एमगिरी के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त स्क्रैप का उपयोग किया गया है, तथा इसमें एक रोबोट को एक ड्रम के साथ तिपहिया वाहन खींचते हुए दिखाया गया है, जो कचरा संग्रहण के भविष्य का प्रतीक है।

- **जन भागीदारी:** स्वच्छता पहलों में जन भागीदारी (जन भागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने देश भर के विद्यालयों और गांवों में जागरूकता शिविर और स्वच्छता रैलियां आयोजित कीं। ऑनलाइन स्वच्छता शपथ में उद्यमियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, संगठनों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी हुई, जिससे स्वच्छता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिला।

- **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता:** एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठनों ने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और उपयोग की गई नैपकिन के सुरक्षित निपटान के लिए इंसीनरेटर की स्थापना आदि।

- **पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां:** मंत्रालय और इसके संगठन, जैसे, एमगिरी और निम्समे, पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों जैसे, खाद बनाना, वर्षा जल संचयन, बायो—चार का उपयोग, आदि का कार्यान्वयन कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। निम्समे अपने परिसर में एक स्टार्टअप भी शुरू कर रहा है जो पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण अवधारणाओं पर केंद्रित है, जो अपशिष्ट से धन के सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करता है।

- एमएसएमई मंत्रालय ने 23 दिसंबर, 2024 को डीएआरपीजी द्वारा नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित सुशासन सप्ताह के दौरान प्रदर्शनी में एक समर्पित डिजिटल वॉल के माध्यम से विशेष अभियान 4.0 के दौरान की गई अपनी पहलों और सर्वोत्तम पद्धतियों को भी प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में मंत्रालय के संगठनों जैसे कयर बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने भी अपने स्टॉल प्रदर्शित किए।

1.7 वर्ष के दौरान आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम

1.7.1 राष्ट्रीय 'पीएम विश्वकर्मा' कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य 18 व्यापारों के कारीगरों और शिल्पकारों को उनके हाथों और औजारों से काम करने में सहायता प्रदान करना है। केवल 16 महीनों में ही 26 लाख से अधिक लाभार्थियों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, जबकि 5 वर्षों में 30 लाख का लक्ष्य रखा गया था।

पीएम विश्वकर्मा स्कीम के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 20.09.2024 को वर्धा, महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और 18 पारंपरिक व्यवसायों से चुने गए 18 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए गए, जो कारीगरों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अपने औजारों को उन्नत करने में मदद करने के लिए स्कीम द्वारा प्रदान किए गए ठोस समर्थन को दर्शाता है।

माननीय प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए

इस कार्यक्रम का 550 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी शामिल हुए। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भारत भर से 36 कारीगरों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सभी 18 व्यापारों में अपनी सफलता की कहानियाँ प्रदर्शित कीं। उनकी विरासत और समाज में उनके सतत् योगदान के सम्मान में, पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत प्रगति के एक वर्ष को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री कारीगरों से बातचीत करते हुए

उपलब्धियां: स्कीम की शुरुआत अर्थात 17 सितंबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 तक

➢ **पंजीकरण:**

- 3–स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से 26.79 लाख कारीगरों का सत्यापन किया गया और स्कीम के अंतर्गत उन्हें प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के साथ सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रदान किया गया।

➢ **कौशल उन्नयन:**

- 16.68 लाख लाभार्थियों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

➢ **टूलकिट ई–वाउचर:**

- 13.20 लाख लाभार्थियों को टूलकिट के लिए ई–वाउचर जारी किए जा रहे हैं।

➢ **ऋण सहायता:**

- रियायती ब्याज दर पर गिरवी रहित ऋण के रूप में 2.82 लाख लाभार्थियों के लिए 2,442.63 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए।

➢ **डिजिटल प्रोत्साहन:**

- 6.98 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्षम हैं।

➢ **विपणन सहायता:**

- जेम पर 29,866, ओएनडीसी पर 1,350 और फैबइंडिया पर 126 लोग जुड़े। कारीगरों और उनके शिल्प एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 72 व्यापार मेले और प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

- **राज्य स्तरीय प्रदर्शनियाँ:** कुल 27 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं, जिनसे 1,350 कारीगरों को लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें से प्रत्येक प्रदर्शनी में, 50 लाभार्थियों को तीन दिवसीय प्रदर्शनी के लिए स्टॉल आवंटित किए गए, जिससे उन्हें संबंधित राज्यों में अपने उत्पादों को बड़ी मात्रा में दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित करने और बिक्री करने में सहायता प्राप्त हुई।

- **पहली वर्षगांठ पर 50 स्थानों पर एक दिवसीय प्रदर्शनी:** पहली वर्षगांठ पर, देश भर में 50 स्थानों पर एक दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई, जहाँ प्रत्येक स्थान पर 25 लाभार्थियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। इस कार्यक्रम से 1,250 कारीगरों को लाभ हुआ, जिससे स्कीम की राष्ट्रीय पहुँच और प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर विश्वकर्माओं का नामांकन

लाभार्थियों के पते पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र का वितरण।

लाभार्थियों के स्थान पर टूलकिट की डिलीवरी और लोहार के टूलकिट के घटक

1.7.2 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2024 में ''एमएसएमई पवेलियन''

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने 14 नवंबर, 2024 से 27 नवंबर, 2024 तक आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में ''एमएसएमई पवेलियन'' का उद्घाटन किया। माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने भी मेले का दौरा किया।

पवेलियन का मुख्य विषय "हरित एमएसएमई" था, जिसमें एमएसएमई द्वारा अपने व्यवसाय संचालन को परिवर्तित करने के लिए स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में मंत्रालय के फोकस पर जोर दिया गया। इसके अलावा पवेलियन में "पीएम विश्वकर्मा स्कीम" पर भी प्रकाश डाला गया, जो 18 व्यवसायों में संलग्न कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की प्रमुख स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए एक 'नुक्कड़ नाटक' भी प्रस्तुत किया गया।

एमएसएमई पवेलियन में देश के 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 प्रदर्शकों ने भाग लिया। उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प, कढ़ाई, चमड़े के फुटवियर, खेल और खिलौने, बांस शिल्प, बेंत की वस्तुएं, रत्न और आभूषण, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद, यांत्रिक वस्तुएं आदि शामिल हैं। यह मेला एमएसई को, विशेष रूप से महिलाओं और अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले उद्यमों और आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को, अपने उत्पादों और सेवाओं को संभावित ग्राहकों के एक बहुत बड़े समूह तक बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।

समावेशी विकास के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप, 200 स्टॉलों में से महिला उद्यमियों को 71% स्टॉल आवंटित किए गए, और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को 45% स्टॉल निःशुल्क आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त, आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को 35% स्टॉल आवंटित किए गए तथा 85% से अधिक प्रतिभागियों ने पहली बार भाग लिया।

इस आयोजन के लिए, एमएसएमई मंत्रालय को 'सशक्त भारत' श्रेणी के अंतर्गत कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, और कयर बोर्ड के पवेलियन को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान के लिए चुना गया और कमोडिटी बोर्ड श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

आईआईटीएफ–2024, दिल्ली में एमएसएमई पैवेलियन का उद्‌घाटनः माननीय केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित किया और प्रदर्शकों के साथ बातचीत की

1.8 वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलें और स्कीमें

1.8.1 महिला उद्यमियों को सशक्त बनानाः यशस्विनी पहल

एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम और उद्यम सहायता (यूए) पोर्टल पर वर्ष 2029 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में यशस्विनी पहल का शुभारंभ किया। यह पहल व्यापक सशक्तिकरण उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे औपचारिकीकरण, क्षमता निर्माण, मेंटरशिप और बाजार से जुड़ाव सहित व्यापक समर्थन के माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

➢ **जागरूकता अभियान**

उद्यम/यूए पोर्टल पर महिला उद्यमियों (डब्ल्यूई) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में जन जागरूकता अभियान की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। पहला कार्यक्रम 19 जुलाई, 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया था, इसके बाद अलग–अलग स्थानों पर पाँच अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें उल्लेखनीय सफलता मिली।

➢ **सहयोग**

मंत्रालय ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पहल, महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), जेम और सीजीटी–एमएसई सहित अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी की है।

➢ **क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण**

डब्लूईपी मेंटरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों में क्लस्टर–आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:

- होमस्टे पर्यटन
- सौंदर्य और स्वास्थ्य
- खाद्य और पेय पदार्थ (एफ एंड बी)
- वस्त्र और खुदरा (रिटेल)

➢ **सहायता क्षेत्र**

यह पहल निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है:

- वित्तीय पहुँच
- बाज़ार पहुँच
- कानूनी सहायता
- व्यवसाय अनुपालन

➢ **खरीद अधिदेश**

यशस्विनी पहल महिला एमएसई से 3% खरीद लक्ष्य का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जैसा कि भारत सरकार की लोक प्रापण नीति (पीपीपी) के अंतर्गत अधिदेशित है।

पहल की उपलब्धियां:

31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, इन अभियानों ने व्यापक जागरूकता सृजित करने और उद्यम पोर्टल पर 4.5 लाख से अधिक महिला उद्यमियों के पंजीकरण में योगदान दिया है।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री, भारत सरकार और माननीय उद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार की उपस्थिति में यशस्विनी जागरूकता अभियान का शुभारंभ (राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जयपुर, 19 जुलाई 2024)

1.8.2 ''एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल'' (एमएसएमई–टीम पहल)

केंद्रीय क्षेत्र स्कीम ''एमएसएमई कार्य–निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन'' के अंतर्गत एक उप–स्कीम के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय ने 277.35 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक उप–स्कीम ''एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल'' (एमएसएमई–टीम पहल) शुरू की, जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यशालाओं और ई–कॉमर्स मंच पर ऑनबोर्डिंग के लिए सहायता के माध्यम से पांच लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने में सहायता करना है।

मुख्य बिंदु:

- ➢ एमएसएमई टीम स्कीम का उद्देश्य विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को कैटलॉग तैयार करने, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ➢ लाभान्वित होने वाले कुल पाँच लाख एमएसई में से ढाई लाख एमएसई महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई होंगे।
- ➢ यह स्कीम वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक वैध है। तथापि, एमएसएमई ई–कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्ड होना जारी रख सकते हैं, जो एक खुला नेटवर्क है।
- ➢ यह स्कीम एनएसआईसी द्वारा और ई–कॉमर्स भागीदारों के रूप में ओएनडीसी के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है। दिनांक 31.12.2024 तक ओएनडीसी पर मौजूद 21 विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और अधिक से अधिक एमएसई को इसमें शामिल किया जा रहा है।

1.8.3 जीरो डिफ़ेक्ट, जीरो इफेक्ट 2.0 (जेड स्कीम)

जेड 2.0 का उद्देश्य वर्तमान स्कीम में कई प्रमुख संशोधनों का कार्यान्वयन करके जेड–प्रमाणित एमएसएमई को और अधिक सुदृढ़ बनाना है:

मुख्य संशोधन:

- ➢ **प्रमाणन की लागत में कमी:** सभी तीन स्तरों पर प्रमाणन की लागत में 20% तक की कमी की गई है।
- ➢ **प्रमाणन स्तर को सुदृढ़ बनाना:**
    - **कांस्य स्तर**

      दो अतिरिक्त मूल्यांकन मापदंड जोड़े गए हैं और निगरानी मूल्यांकन शुरू किया गया है।
    - **स्वर्ण और रजत स्तर:**

      अतिरिक्त निगरानी मूल्यांकन की शुरूआत
- ➢ **बहुविध परीक्षण/प्रणाली/उत्पाद प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता**

1.8.4 एमएसएमई हैकाथॉन 4.0: नवाचार और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देना

एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 4.0 का शुभारंभ 11 सितंबर 2024 को माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा किया गया था। इस हैकथॉन का उद्देश्य प्रति विचार 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके एमएसएमई, छात्रों और 18–35 वर्ष की आयु के युवा नवप्रवर्तकों के बीच नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाना है तथा निम्नलिखित प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में नवीन समाधानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है:

- ➢ परंपरागत व्यापार (पीएम विश्वकर्मा के साथ संरेखित)
- ➢ एमएसएमई में अग्रणी प्रौद्योगिकी

➢ निर्यात संवर्धन और स्वदेशीकरण

➢ अक्षय/हरित ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था सहित सतत विकास

हैकाथॉन 4.0 (युवा नवप्रवर्तक) के अंतर्गत 29,237 विचार प्राप्त हुए, जिसमें से आगे की जाँच के लिए एचआई द्वारा 8,936 विचारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

1.8.5 लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (क्रिएट) का उद्घाटनः

माननीय एमएसएमई मंत्री ने दिनांक 14.09.2024 को वर्चुअल माध्यम से लेह में स्थापित प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (क्रिएट) का उद्घाटन किया।

केंद्र की मुख्य विशेषताएंः

➢ केंद्र में पश्मीना ऊन रोविंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

➢ यह अन्य कार्यकलापों के अलावा गुलाब और अन्य फूलों से आवश्यक तेल के निष्कर्षण हेतु उत्पादन सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

➢ क्रिएट का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देना है।

➢ मूल्य संवर्धन को सक्षम करके और स्थानीय कारीगरों को उच्च पारिश्रमिक अर्जित करने में सहायता प्रदान करके स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करने की पहल।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (क्रिएट) – माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल, केवीआईसी के माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति रही। लेह स्थित केंद्र में लगभग 200 स्थानीय कारीगरों ने भाग लिया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का अवलोकन

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

2.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्यमशीलता के विकास को आगे बढ़ाने और व्यावसायिक नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाकर, एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ घरेलू और वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करते हैं। ये उद्यम बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में एमएसएमई की भूमिका और योगदान इस प्रकार है:

एमएसएमई क्षेत्र

30.1% जीडीपी हेतु (*2022-23)

36% विनिर्माण उत्पादन हेतु (*2022-23)

45% निर्यात हेतु (**2023-24)

कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता

24.4 करोड़ रोज़गार (उद्यम पोर्टल और यूएपी)

5.77 करोड़ उद्यम/उद्यम सहायता पर पंजीकृत एमएसएमई

*स्रोतः *राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय*

***वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त आंकड़े*

2.2. एमएसएमई का पंजीकरण

2.2.1 **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:** इस मंत्रालय ने दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 2119 (अ.) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश तथा एमएसएमई के कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए एक समग्र मानदंड अधिसूचित किया है। इस संबंध में दिशानिर्देश https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate.pdf. पर उपलब्ध हैं।

एमएसएमई के वर्गीकरण के संशोधित मानदंडों के आधार पर, मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) दाखिल करने की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को 'उद्यम' पंजीकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया है जो मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एक सरल, ऑनलाइन और स्व–घोषणा आधारित पंजीकरण है। अब मौजूदा और भावी उद्यमी 'उद्यम' पंजीकरण पोर्टल https://udyamregistration.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

"एमएसएमई मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सां.आ. 4926 (अ.) दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से अधिसूचना संख्या सा.आ. सं. 2119 (अ.) दिनांक 26.06.2020 को संशोधित किया ताकि एमएसएमई को गैर–कर लाभ प्रदान किए जा सकें। संशोधन में प्रावधान है कि "संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या कारोबार या दोनों में निवेश के मामले में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप पुनर्वर्गीकरण के मामले में, कोई उद्यम पुनर्वर्गीकरण से पहले जिस श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) में था, ऐसे ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसके सभी गैर–कर लाभों का लाभ उठाना जारी रखेगा।"

2.2.2 **उद्यम सहायता मंच:** एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ मिलकर दिनांक 11.01.2023 को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार ने अधिसूचित किया है कि उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को जारी किए गए प्रमाणपत्र को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के बराबर माना जाएगा। इससे पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ उठाने और उन उद्यमों को औपचारिक रूप दिया जा सके, जिनके पास पैन नहीं है, को उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को शामिल करने में सहायता प्राप्त हुई है।

दिनांक 31.12.2024 तक, यूएपी पर आईएमई सहित कुल 5,77,03,550 एमएसएमई पंजीकृत हैं। विनिर्माण श्रेणी में 1,17,53,385 उद्यम, सेवा क्षेत्र में 2,01,23,279 उद्यम और व्यापार श्रेणी में 2,58,26,886 उद्यम पंजीकृत हैं।

किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के सफल विकास का आकलन करने के लिए एमएसएमई के पंजीकरण का डेटा महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है; यह अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्यमों को शुरू करने के लिए अनुकूल पारितंत्र के साथ–साथ उद्यमियों के उच्च मनोबल को भी दर्शाता है।

2.2.3 उद्यम पंजीकरण का विश्लेषण उद्यम सहायता मंच पर पंजीकृत आईएमई सहित विनिर्माण, सेवा और व्यापारिक एमएसएमई का ब्यौरा प्रदान करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई की तुलना में व्यापार और सेवा क्षेत्र के एमएसएमई उद्यम पंजीकरण का बड़ा हिस्सा हैं। ब्यौरा चित्र 2.10 में दिया गया है।

चित्र 2.10: यूएपी पर 31 दिसंबर 2024 तक अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण का हिस्सा विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार

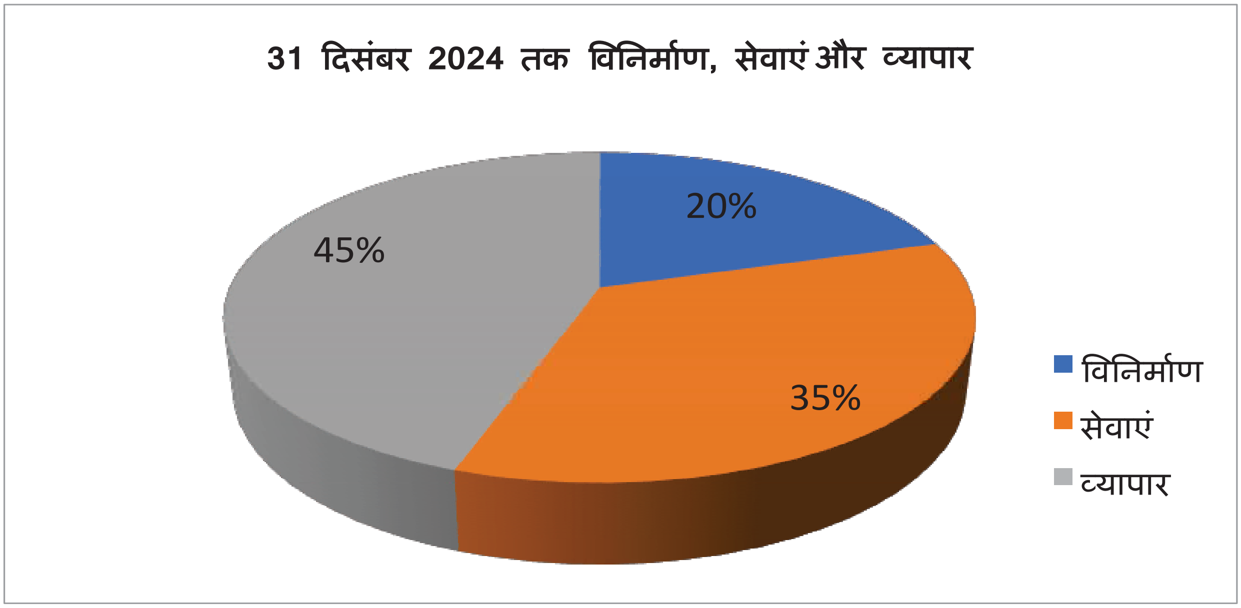

2.2.4 चित्र 2.11 में 31 दिसंबर, 2024 तक यूएपी पर आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण का वितरण दिखाया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, कुल उद्यम पंजीकरण में सूक्ष्म उद्यम की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद लघु और मध्यम उद्यम हैं।

चित्र 2.11: उद्यम पंजीकरण (यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) (% शेयर) के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वितरण

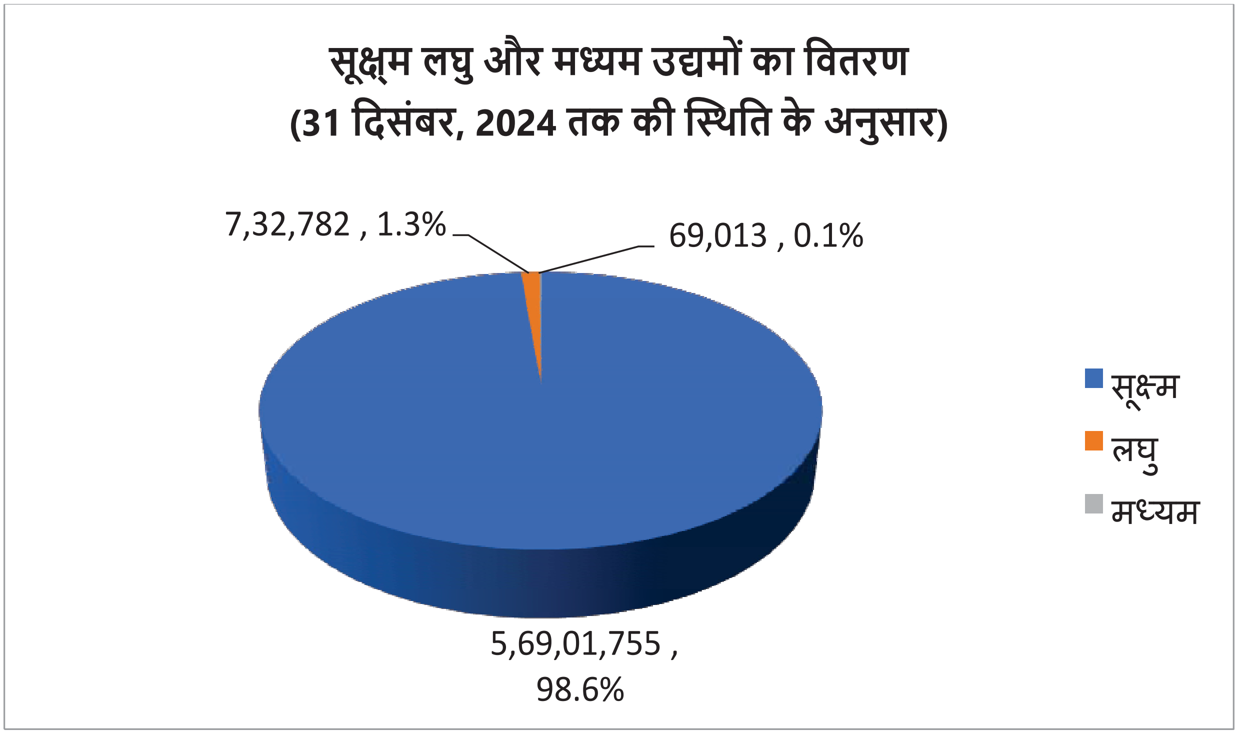

2.2.5 उद्यम पंजीकरण में उद्यमों के स्वामियों की सामाजिक श्रेणी के बारे में भी जानकारी एकत्र की जाती है। चित्र 2.12 में 31 दिसंबर, 2024 तक उद्यम पंजीकरण के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणियों का वितरण प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 2.12: 31 दिसंबर 2024 तक उद्यम पंजीकरण (यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमों/सामान्य उद्यमों का वितरण।

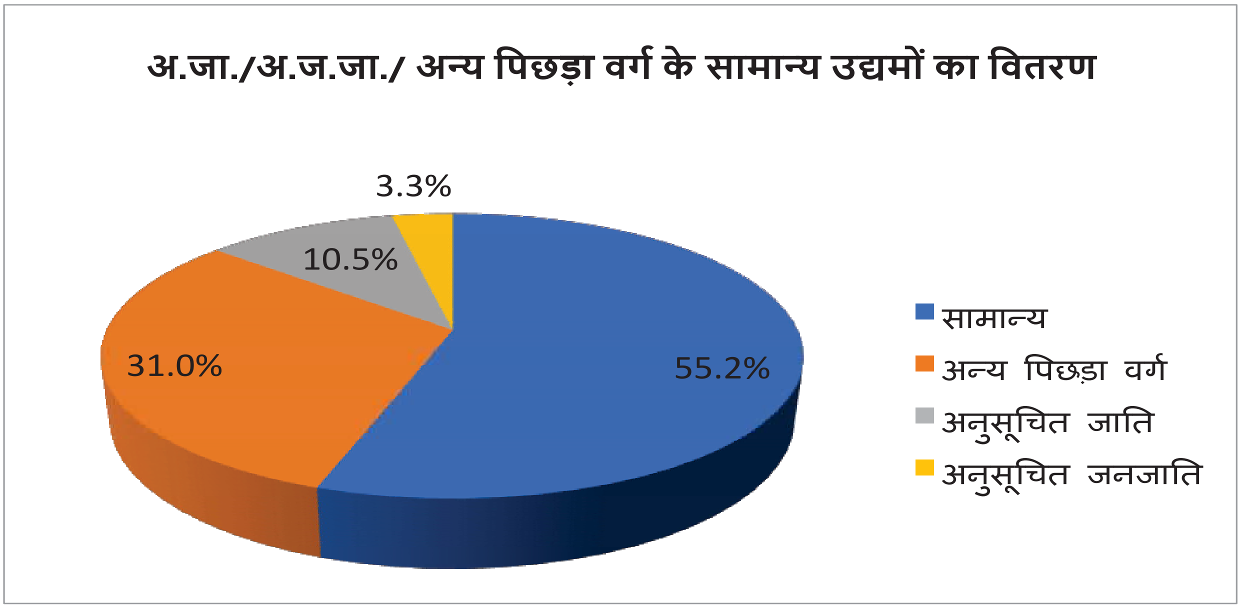

2.2.6 तालिका 2.1 31 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकरण के वितरण को दर्शाती है।

तालिका 2.1: 31 दिसंबर, 2024 तक यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वितरण

क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17,100	275	14	17,389
2	आंध्र प्रदेश	27,79,939	24,847	1,983	28,06,769
3	अरुणाचल प्रदेश	29,176	397	36	29,609
4	असम	9,72,486	9,895	866	9,83,247
5	बिहार	31,35,190	19,273	1,026	31,55,489
6	चंडीगढ़	58,814	1,987	208	61,009
7	छत्तीसगढ़	9,94,324	12,038	1,290	10,07,652
8	दिल्ली	10,18,397	41,098	5,004	10,64,499
9	गोवा	99,481	1,714	159	1,01,354
10	गुजरात	32,36,951	83,349	8,538	33,28,838

क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
11	हरियाणा	14,28,214	34,427	3,310	14,65,951
12	हिमाचल प्रदेश	2,45,617	3,927	446	2,49,990
13	जम्मू एवं कश्मीर	6,75,604	5,218	352	6,81,174
14	झारखंड	11,71,833	8,974	661	11,81,468
15	कर्नाटक	37,67,303	46,510	4,382	38,18,195
16	केरल	13,69,227	19,070	1,462	13,89,759
17	लद्दाख	16,724	145	4	16,873
18	लक्षद्वीप	1,953	1	-	1,954
19	मध्य प्रदेश	36,62,725	29,962	2,270	36,94,957
20	महाराष्ट्र	74,21,033	1,06,795	12,322	75,40,150
21	मणिपुर	1,23,946	676	38	1,24,660
22	मेघालय	37,737	501	60	38,298
23	मिजोरम	41,054	201	11	41,266
24	नागालैंड	51,290	244	17	51,551
25	ओडिशा	18,15,152	14,863	1,096	18,31,111
26	पुदुचेरी	83,616	953	127	84,696
27	पंजाब	15,95,182	27,223	2,461	16,24,866
28	राजस्थान	32,39,173	42,733	3,432	32,85,338
29	सिक्किम	23,560	195	19	23,774
30	तमिलनाडु	46,54,101	59,838	5,322	47,19,261
31	तेलंगाना	21,83,390	27,977	3,133	22,14,500
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	26,024	1,280	236	27,540
33	त्रिपुरा	2,49,701	998	73	2,50,772
34	उत्तर प्रदेश	60,89,511	62,495	4,834	61,56,840
35	उत्तराखंड	4,69,029	6,330	541	4,75,900
36	पश्चिम बंगाल	41,17,198	36,373	3,280	41,56,851
	कुल:	**5,69,01,755**	**7,32,782**	**69,013**	**5,77,03,550**

2.2.7 यूएपी पर आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा घोषित रोजगार डेटा को भी कैप्चर करता है। चित्र 2.13, 31 दिसंबर, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के वितरण को दर्शाता है।

चित्र 2.13: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार का वितरण

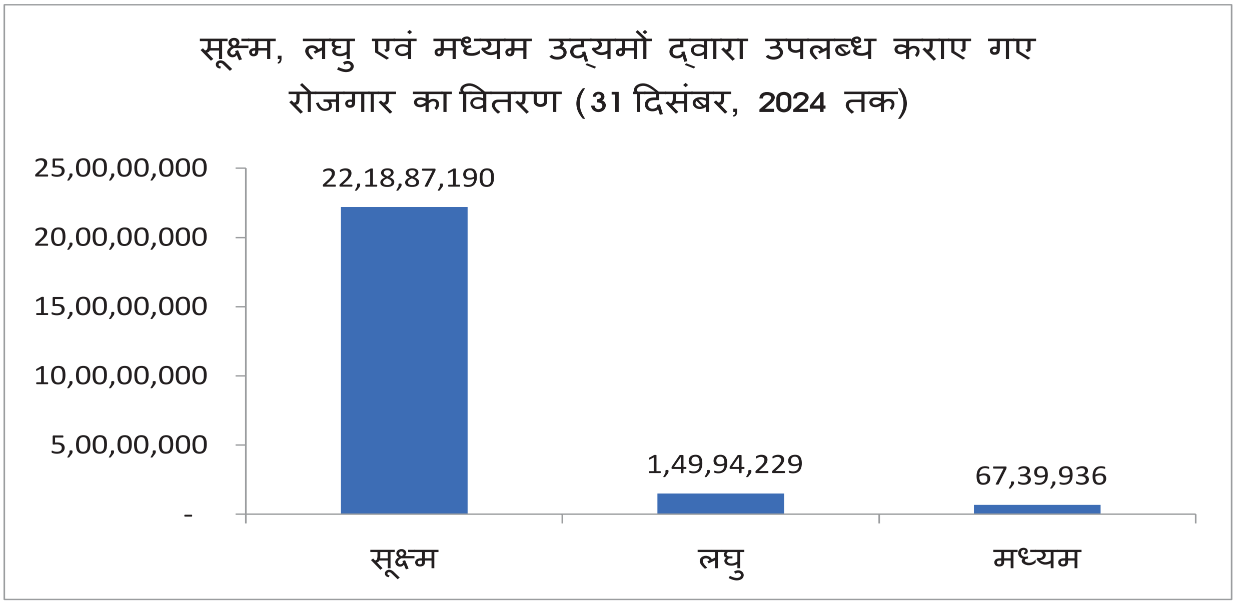

2.2.8 यूएपी पर आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण, उद्यमों का लिंग–वार वितरण भी प्रदान करता है; चित्र 2.14 31 दिसंबर, 2024 तक लिंग–वार वितरण को दर्शाता है।

चित्र 2.14: 31 दिसंबर, 2024 तक एमएसएमई (यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) के स्वामित्व का लिंग–वार वितरण।

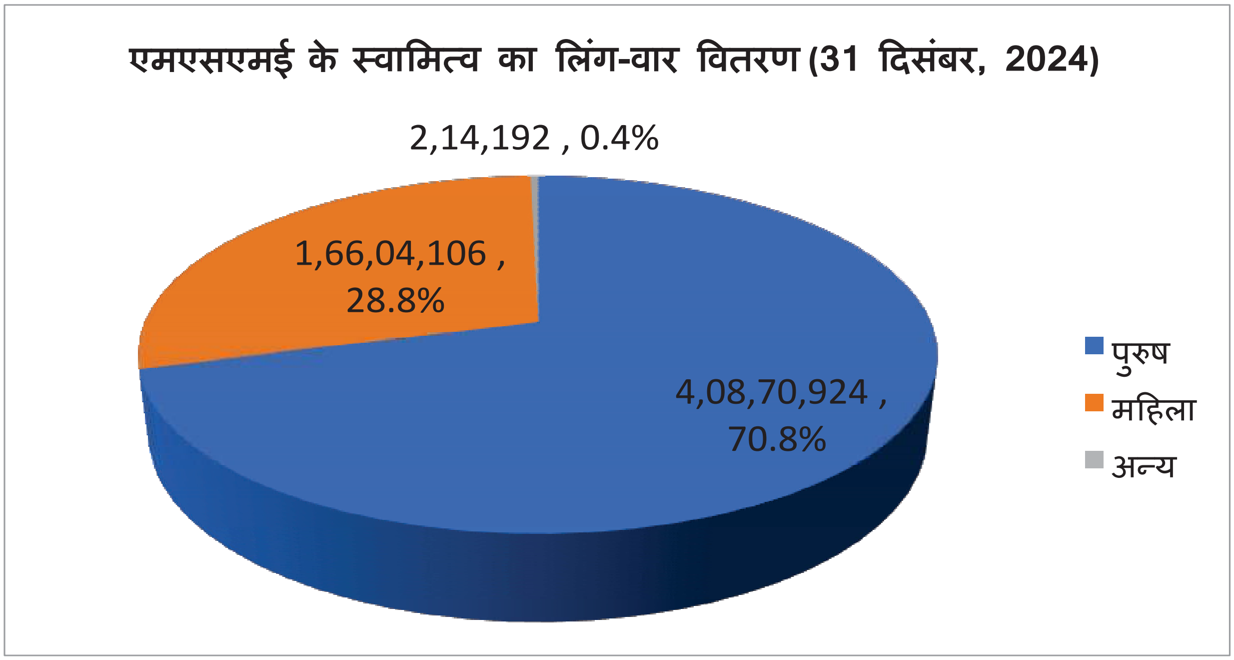

2.2.9 उद्यम पंजीकरण एमएसएमई की निवेश सीमा के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।

तालिका 2.2: 31 दिसंबर, 2024 तक उद्यम के अनुसार एमएसएमई की निवेश सीमा

निवेश सीमा	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
< 5 लाख	2,95,40,452	2,24,121	7,604	2,97,72,177
5+ से 25 लाख	17,36,366	2,11,341	10,014	19,57,721
25+ से 50 लाख	2,55,824	81,621	7,641	3,45,086
50+ से 1 करोड़	1,13,307	59,275	7,737	1,80,319
1 करोड़ से 5 करोड़	5	1,42,149	16,350	1,58,504
5 करोड़+ से 10 करोड़	1	14,275	5,910	20,186
10 करोड़+ से 50 करोड़	-	-	13,757	13,757
कुल:	**3,16,45,955**	**7,32,782**	**69,013**	**3,24,47,750**

2.2.10 उद्यम पंजीकरण एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई की कारोबार सीमा की जानकारी भी प्रदान करता है।

तालिका 2.3: 31 दिसंबर, 2024 तक उद्यम के अनुसार एमएसएमई की कारोबार सीमा।

कारोबार सीमा	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
< 10 लाख	2,22,26,001	12,211	1,027	2,22,39,239
10+ से 25 लाख	48,77,019	4,222	213	48,81,454
25+ से 50 लाख	21,72,694	3,504	125	21,76,323
50+ से 1 करोड़	9,93,712	5,715	126	9,99,553
1+ से 2 करोड़	7,04,847	13,387	259	7,18,493
2+ से 5 करोड़	6,71,676	30,644	459	7,02,779
5+ से 25 करोड़	5	5,78,695	2,535	5,81,235
25+ से 50 करोड़	-	84,404	2,205	86,609
50 करोड़ + से 100 करोड़	1	-	40,774	40,775
100 करोड़ + से 250 करोड़	-	-	21,290	21,290
कुल:	**3,16,45,955**	**7,32,782**	**69,013**	**3,24,47,750**

पी एम विश्वकर्मा

सम्मान · सामर्थ्य · समृद्धि

संबद्ध कार्यालय, सांविधिक निकाय और संगठन

पृष्ठभूमि

एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कई विशेष संगठन कार्य कर रहे हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास में योगदान देते हैं। ये संगठन उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और नवाचार का समर्थन करने के उद्देश्य से नीतियों, योजनाओं और पहलों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) हैं। ये संगठन नीति परामर्श, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन सहित विविध कार्यों में संलग्न हैं। अपने संयुक्त प्रयासों से, ये संगठन देश भर में उद्यमियों और कारीगरों को सशक्त बनाते हुए सतत और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इन संगठनों का विवरण निम्नानुसार है:

3.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

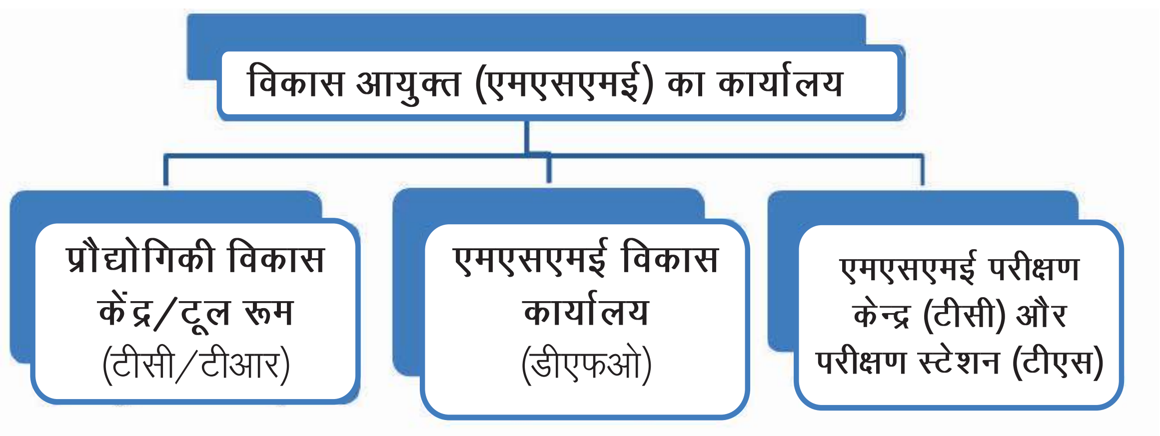

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) करते हैं। विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय देश भर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी में एमएसएमई मंत्रालय की सहायता करता है।

देश भर में इसके क्षेत्रीय संगठनों और संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें 33 एमएसएमई विकास कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ), 31 शाखा एमएसएमई–डीएफओ, 7 एमएसएमई परीक्षण केंद्र (एमएसएमई–टीसी), 7 एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन (एमएसएमई–टीएस), 18 प्रौद्योगिकी केंद्र (जिन्हें टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) भी कहा जाता है) शामिल हैं।

3.1.1. कार्य

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:

- सरकार को एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सलाह देना।
- एमएसएमई को तकनीकी–आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के जरिए मानव संसाधन का विकास करना।
- एमएसएमई इकोसिस्टम विकास के लिए एक माध्यम के रूप में क्लस्टर विकास को सुविधाजनक बनाना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
- सीपीएसयू सहित बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना एवं उनका समन्वय करना।
- निर्यात समुच्चय की हिस्सेदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- ऋण तक पहुंच को बढ़ाना।

3.1.2. टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) (प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भी प्रख्यात)

3.1.2.1 एमएसएमई मंत्रालय ने सामान्य इंजीनियरिंग, फोर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल माप उपकरण, सुगंध और स्वाद, कांच, फुटवियर और खेल के सामान इत्यादि जैसे क्षेत्रों में उपकरणों, सुव्यवस्थित घटकों, मोल्ड, डाई इत्यादि के डिजाइन और निर्माण के माध्यम से उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1967 से वर्ष 1999 तक 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं। सामान्यतः इन्हें प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) कहा जाता है। कुछ टीसी ने रक्षा, एयरोस्पेस इत्यादि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी समर्थन दिया है। टीसी बेरोजगार युवाओं को व्यावहारिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्योग के लिए तैयार कार्यबल प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये टीसी उपकरण संबंधी (टूलिंग) और संबंधित क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करके भी उद्योग को सहायता करते हैं। मंत्रालय के स्वायत्त निकायों के रूप में निम्नलिखित 18 टीआर एवं टीआई स्थापित किए गए हैं, जो स्वतः कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता
2. केन्द्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
4. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
5. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इंडो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
7. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर

8. टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी

9. केन्द्रीय हैंड टूल्स संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर

10. केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान (सीआईटीडी), हैदराबाद

11. इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा और प्रशिक्षण संस्थान (ईएसटीसी), रामनगर

12. विद्युत मापन उपकरण अभिकल्प संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई

13. सुगंध और सुरस विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज।

14. कांच उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद।

15. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), आगरा।

16. प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), मेरठ।

17. केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा।

18. केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई ।

3.1.2.2 ये प्रशिक्षण केन्द्र उच्च–स्तरीय प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित हैं। मंत्रालय इन केन्द्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी से प्रासंगिक और अद्यतन रूप में बनाए रखने तथा समय–समय पर सीएनसी मशीनिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, सीएडी/सीएएम आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को जोड़कर सहायता प्रदान करता है।

3.1.2.3 उद्योग, रणनीतिक क्षेत्र, आयात विकल्प और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए गए हैं:

➢ इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद ने चार पहिया वाहन इंजन की असेंबलिंग में उपयोग होने वाले गैस्केट निर्माण के लिए प्रगतिशील उपकरण का निर्माण किया, जिसे मेसर्स एलरिंगक्लिगर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के ऑर्डर के अनुसार जर्मनी को निर्यात किया जाना है।

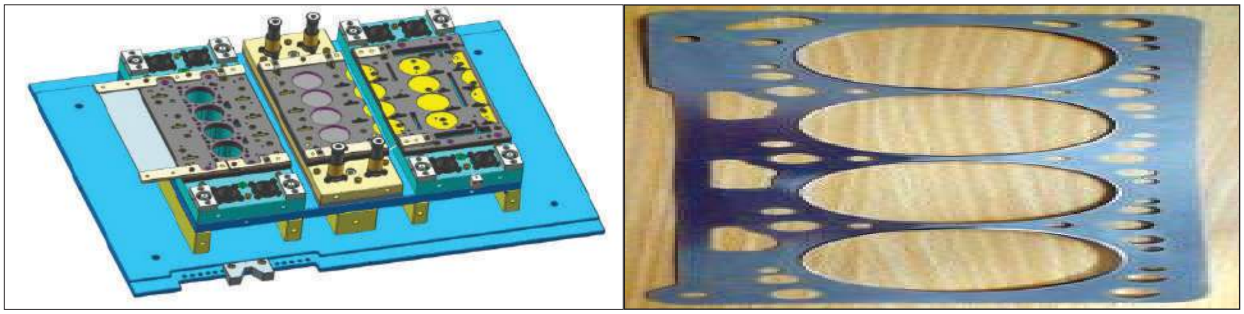

प्रगतिशील उपकरण

➢ सीआईटीडी, हैदराबाद ने 06 (छह) 5–एक्सिस क्लोज्ड और ओपन इम्पेलर्स का निर्माण किया और हेवी ड्यूटी कंप्रेसर के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), पानीपत के लिए मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), हैदराबाद को आपूर्ति की।

5 एक्सिस क्लोज्ड इंपेलर

5 एक्सिस ओपन इंपेलर

➢ टीआरटीसी गुवाहाटी द्वारा विनिर्मित होलोग्राम स्टैम्पिंग हेड का आयात नीदरलैंड से किया जा रहा है, जिसका उपयोग मेसर्स रोजमेफ्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम के लिए कार नंबर प्लेटों के होलोग्राम में किया जाता है।

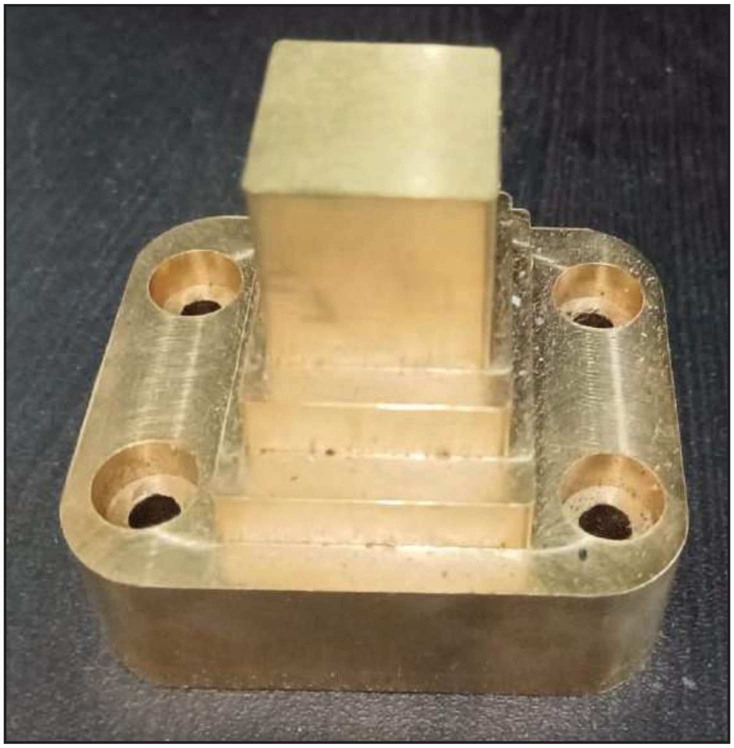

ब्रास होलोग्राम स्टामपिंग हेड

➢ आईजीटीआर इंदौर ने भेल हेतु पोल पंचिंग के लिए कम्पाउंड प्रेस टूल डिजाइन और निर्मित किया। यह उपकरण हाइड्रो प्रोजेक्ट हेतु उपयोग की जाने वाले टर्बाइन की मोटर के लिए स्टेटर की स्टैम्पिंग के लिए विकसित किया गया था।

कम्पाउंड प्रेस टूल

➢ आईजीटीआर अहमदाबाद ने मछली पकड़ने की रस्सी बनाने के लिए एक्सट्रूज़न डाई का निर्माण किया है, जिसमें प्रत्येक धागे को कई स्लॉटों में बुना जाता है, जिसमें मछली पकड़ने की मजबूत रस्सी के लिए अलग–अलग धागे को गूंथने के लिए कई बारीक छेद होते हैं।

एक्सट्रूज़न डाई

3.1.2.4 बेरोजगार युवाओं और उद्योग जगत के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में टीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। टीसी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ के अनुरूप हैं, एआईसीटीई /एनसीवीईटी /एससीवीटी से अनुमोदित हैं और साथ ही उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया पाठ्यक्रम भी हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में विभिन्न एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। 18 टीआर और टीआई के छात्र इन टीआर और टीआई के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौशल प्रतियोगिता कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।

बीएसएफ अधिकारियों का प्रशिक्षण

उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण

खेल परिधानों की सिलाई का प्रशिक्षण

सीटीटीसी भुवनेश्वर के प्रशिक्षु श्री अमरेश कुमार साहू ने फ्रांस के ल्योन में आयोजित 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में अक्षय ऊर्जा कौशल में कांस्य पदक जीता

3.1.2.5 सभी टूल रूम और तकनीकी संस्थान संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। वे आईएसओ 9001—2000 प्रमाणित संस्थान है और उनमें से कुछ आईएसओ—14001, ओएचएसएएस—18001 आईएसओ—29990, आईएसओ/आईईसी 17025:2005 और आईएसओ—50001 प्रमाणित है। केंदीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर भी एरोस्पेस घटक की आपूर्ति के लिए एएस—9100 प्रमाणित है।

3.1.2.6. टूल रूम और तकनीकी संस्थान का वर्ष 2024—25 (दिसंबर, 24) का वास्तविक कार्य—निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रशिक्षित प्रशिक्षु (अंकों में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (अंकों में)
2024-25 (दिसंबर, 2024 तक)	1,58,103	33,444

3.1.2.7. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों की सफलता को और बढ़ाने तथा उनकी पहुँच का विस्तार करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने 2,402 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) स्थापित करना तथा मौजूदा केंद्रों को उन्नत करना है। टीसीएसपी को एक नवोन्मेषी पारितंत्र को बढ़ावा देकर प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थान	क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश	पुडी (वाइजैग)	सामान्य अभियांत्रिकी
2	बिहार	पटना	सामान्य अभियांत्रिकी
3	छत्तीसगढ़	दुर्ग	सामान्य अभियांत्रिकी
4	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	सामान्य अभियांत्रिकी
5	हरियाणा	रोहतक	सामान्य अभियांत्रिकी
6	कर्नाटक	बैंगलुरु	इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
7	केरल	कोच्चि	सामान्य अभियांत्रिकी
8	मध्य प्रदेश	भोपाल	सामान्य अभियांत्रिकी
9	मणिपुर	इम्फाल	सुगंध और स्वाद
10	पुदुचेरी	पुदुचेरी	इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
11	राजस्थान	भिवाड़ी	ऑटो एवं घटक (कंपोनेन्ट)
12	तमिलनाडु	श्री पेरुमबदूर	सामान्य अभियांत्रिकी
13	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा	इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
14	उत्तर प्रदेश	कानपुर	सामान्य अभियांत्रिकी
15	उत्तराखंड	सितारगंज	ऑटो एवं घटक (कंपोनेनेट)

मुख्य बिन्दुः

- 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 9 प्रशिक्षण केन्द्रों का सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।
- 11 प्रशिक्षण केन्द्रों ने एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण, परामर्श और उत्पादन सहायता शुरू कर दी है।
- इन नए प्रशिक्षण केन्द्रों ने उत्पादन कार्य आदेश और परामर्श सेवाएं प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वित किया है।
- बद्दी, दुर्ग, भोपाल, पुडुचेरी, रोहतक और सितारगंज में स्थित छह प्रशिक्षण केन्द्र प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यापारों (बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुम्हार, राजमिस्त्री, टोकरी निर्माता, धोबी, सुनार, गुड़िया और खिलौना निर्माता आदि) में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

3.1.2.8. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों और 15 आगामी प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय 3500 करोड़ रुपये की लागत से 20 प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) स्थापित करने के लिए "नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना" नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रमुख प्रौद्योगिकियों/क्षेत्रों में भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी केंद्रों और उनके विस्तार केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना है ताकि एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। ये टीसी/ईसी एमएसएमई और कौशल आकांक्षी व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ–साथ प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, ऊष्मायन और परामर्श प्रदान करेंगे जिससे कौशल आकांक्षी

व्यक्तियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और देश में नए एमएसएमई का निर्माण होगा।

ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार निर्मित प्रशिक्षण केंद्रों/पर्यावरण केंद्रों के नेटवर्क देश में उद्योग–अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे तथा इन केंद्रों में उपलब्ध कराई गई आधुनिक सुविधाओं, उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे इनक्यूबेशन/एआर/वीआर/एआई आदि के माध्यम से नवाचार को भी समर्थन प्रदान करेंगे।

हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ विस्तार केंद्र (स्पोक के रूप में प्रौद्योगिकी केंद्र का एक छोटा रूप) को उनके मार्गदर्शन, निगरानी, प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक सामान्य प्रौद्योगिकी केंद्र (हब) के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा ताकि आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर आदि सहित देश के अधिकतम हिस्से को कवर किया जा सके। ये प्रौद्योगिकी केंद्र/प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग और कैचमेंट क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार सामान्य इंजीनियरिंग, सुगंध और स्वाद, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), खेल और अन्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की स्थिति:

सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, प्रौद्योगिकी केंद्रों को पहले पीपीपी मोड में स्थापित किया जाना है, अन्यथा उन्हें स्वायत्त मोड में स्थापित किया जा सकता है। पीपीपी मोड पर प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत 20 स्थानों में से, 13 स्थलों पर भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यालय को हस्तांतरित कर दी गई है। शेष 7 स्थानों पर भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए, निजी प्लेयरों से बोलियाँ आमंत्रित करने के लिए बोली दस्तावेज सीपीपीपी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं।

विस्तार केन्द्रों की स्थापना की स्थिति:

विस्तार केंद्रों के लिए स्वीकृत 49 स्थानों में से 25 ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और एमएसएमई की सहायता करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2024–25 के दौरान 15,727 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है और 615 एमएसएमई ने सेवाएं प्राप्त की हैं। वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2024–25 तक कुल 72,397 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

3.1.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एवं विकास कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ)

3.1.3.1. एमएसएमई– विकास कार्यालय

एमएसएमई–डीएफओ, विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में 33 एमएसएमई–डीएफओ, 31 शाखा एमएसएमई–डीएफओ और 2 एमएसएमई विकास न्यूक्लियस सेल (लद्दाख और लक्षद्वीप) हैं। डीएफओ का संचालन आईईडीएस कैडर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और आईईएस और आईएसएस कैडर के अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता है।

एमएसएमई–डीएफओ द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ बीमा सहित वित्त की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, सामान्य सुविधा अवसंरचना का निर्माण, उद्यम पंजीकरण/ जेम/ जीएसटी के लिए पंजीकरण में एमएसएमई की सहायता करना, आईपीआर, डिजाइन, बिजनेस इनक्यूबेशन, लीन, एमएसई–क्लस्टर विकास कार्यक्रम, खरीद एवं विपणन सहायता, पीएम विश्वकर्मा, ईएसडीपी, लोक प्रापण नीति जैसी एमएसएमई मंत्रालय

की स्कीमों का कार्यान्वयन, एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी), केवीआईसी, एनएसआईसी और राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करना शामिल है।

3.1.3.2. परामर्श और तकनीकी सहायता

एमएसएमई–विकास कार्यालय निम्नलिखित क्षेत्र में तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले प्रथम और अग्रणी परामर्श संगठनों में से एक है:

- उत्पादन की पहचान
- परियोजना निरूपण
- उपयुक्त मशीनरी का चयन
- औद्योगिक डिज़ाइनिंग आधुनिकीकरण
- परियोजनाओं सम्बन्धी रूपरेखा तैयार करना और परियोजना मूल्यांकन
- तकनीकी सहायता सेवाएँ
- पर्यावरणीय परियोजनाओं सहित लघु उद्यमों के लिए संवर्धनात्मक कार्यक्रम
- एमएसई इकाइयों का उन्नयन/आधुनिकीकरण
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच पारस्परिक संपर्क
- बाजार और औद्योगिक संभावना संबंधी सेवाओं से जुड़े उत्पादों का विकास

3.1.3.3. बाजार अनुसंधान

एमएसएमई–विकास कार्यालय औद्योगिक विकास के लिए समग्र डेटाबेस और बाजार अनुसंधान सहायता को बरकरार रखने में भी सहायता करते हैं:

- नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादों की पहचान
- औद्योगिक परिप्रेक्ष्य की तैयारी
- औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण
- तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता हेतु परियोजनाओं का मूल्यांकन
- बाजार सर्वेक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट
- नियमित विकास गतिविधियों के अलावा जागरूकता सृजित करना।

3.1.3.4. समन्वय और कार्यान्वयन

एमएसएमई–विकास कार्यालय निम्नलिखित में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- भारत सरकार के एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित स्कीमों और सेवाओं का कार्यान्वयन।
- एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निरूपण में सरकार को परामर्श देना।

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ एक घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
- बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीति का निरूपण और उन नीतियों और कार्यक्रमों के बीच समन्वय।

3.1.3.5. क्लस्टर विकास क्रियाकलापः

एमएसएमई–विकास कार्यालय, विकास आयुक्त–एमएसएमई का कार्यालय के क्लस्टर विकास कार्यक्रम संबंधी पहलों के अंतर्गत राज्य में क्लस्टरों के विकास के लिए तकनीकी प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान करते हैं :

- सामान्य मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता, बाजार तक पहुँच आदि में सुधार पर ध्यान देते हुए एमएसई के स्थायित्व और उसके विकास के लिए सहायता प्रदान करना।
- स्वयं–सहायता समूहों के गठन, कंसोर्टिया, संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य कार्रवाई के लिए एमएसई का क्षमता निर्माण।
- एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों /क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/उनका उन्नयन करना।
- सामान्य सुविधा केंद्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चे माल के डिपो, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट, उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुपूरित करने आदि के लिए) की स्थापना करना।
- क्लस्टरों के लिए हरित और सतत विनिर्माण प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना ताकि इकाइयों को सतत और हरित उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों की ओर उन्मुख किया जा सके।

3.1.3.6. परियोजना प्रोफाइल्स

विकास कार्यालयों को सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में चयनित व्यवहार्य परियोजनाओं पर परियोजना प्रोफाइल विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इन प्रोफाइल में उत्पाद, आईएसआई विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया, पूंजी की आवश्यकता, मानवशक्ति और सामग्री, कच्चे माल, बाजार और मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं के पते के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है। ये रिपोर्टें संबंधित एमएसएमई–विकास कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

3.1.3.7. जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट

एमएसएमई–विकास कार्यालय देश भर में आकांक्षी जिलों के लिए जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण और जिला विकास योजना पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं।

3.1.3.8. वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में एमएसएमई को सहायता

- एमएसएमई विकास कार्यालय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के सदस्य हैं और वे नियमित रूप से उनकी बैठकों में भाग लेते हैं। एसएलबीसी सभी राष्ट्रीयकृत बैंको के अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को आमंत्रित करके एमएसएमई क्षेत्र तक ऋण के आवागमन की नियमित रूप से निगरानी करती है।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय राज्य स्तरीय आरबीआई अधिकार प्राप्त समिति के जरिये एमएसएमई तक ऋण के आवागमन की समीक्षा करते है और बैंकों को आगे दिए जाने वाले निर्देशों के लिए अधिकार प्राप्त समिति के जरिए एमएसएमई के ऋण संबंधी विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अग्रणी बैंको द्वारा आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। इन डीएलआरसी बैठकों के दौरान एमएसएमई–विकास कार्यालयों के जिलास्तरीय समन्वय अधिकारी एमएसएमई से संबंधित विभिन्न ऋण संबंधी मुद्दों को उठाते हैं और साथ ही एमएसएमई के लिए ऋण संबंधी विभिन्न स्कीमों की नियमित रूप से समीक्षा भी करते हैं।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय उद्यमियों को संभावित सहायता पहुंचाने के लिए उनकी ऋण संबंधी शिकायतों को एलडीएम, एसएलबीसी, आरबीआई और बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों तक पहुंचाते हैं। एमएसएमई–विकास कार्यालय चैंपियंस पोर्टल में ऋण संबंधी शिकायतों पर भी ध्यान देता है और शिकायतों को पोर्टल में नियंत्रण अधिकारियों को भेजता है। इन शिकायतों के संबंध में संभावित सहायता के लिए इन पर एलडीएम, एसएलबीसी, आरबीआई, बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों के साथ अलग से भी कार्रवाई की जाती है।

- सभी एमएसएमई–विकास कार्यालय के पास उद्यमी विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी) होता है जिसके माध्यम से एमएसएमई–विकास कार्यालय उद्यमियों को बैंकरों के साथ बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए अपने कार्यालय परिसर में तिमाही ऋण सुविधा कार्यक्रम आयोजित करता है। ईडीसी विज़िटर के डेटाबेस के माध्यम से संभावित/मौजूदा उद्यमियों को उनके व्यावसायिक प्रस्तावों पर वित्तीय संस्थानों के साथ पारस्परिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैंकों को प्रस्तुत करने से पहले ईडीसी अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक प्रस्तावों की पूर्व–जांच की जाती है। सभी प्रमुख पीएसबी को ऋण सुविधा कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय संभावित उद्यमियों को बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मॉडल परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं और उद्यमियों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने में उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

3.1.3.9. पीएम विश्वकर्मा स्कीम का कार्यान्वयनः

भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार शामिल हैं, जिन्हें 'विश्वकर्मा' के नाम से जाना जाता है, जो लोहार, बढ़ईगीरी और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न हैं। उनके उत्पादों, सेवाओं और सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का शुभारंभ किया, जो पूर्ण रूप से वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की पहल है जिसका उद्देश्य उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।

डीएफओ को पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु लाभार्थियों को पंजीकृत करने के साथ–साथ इस स्कीम को देश में जमीनी स्तर तक ले जाने का कार्य सौंपा गया है। जांच समिति का नेतृत्व डीएफओ अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके उचित परिश्रम और विचार–विमर्श के बाद लाभार्थियों को अंतिम मंजूरी देंगे। डीएफओ को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों और सीजीटीएमएसई के साथ समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

3.1.4. एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना और दीमापुर में सात एमएसएमई–परीक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित किए हैं। एमएसएमई–परीक्षण केंद्र (टीसी) सामान्य रूप से उद्योगों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा निर्मित कच्चे माल, अर्ध–निर्मित और तैयार उत्पादों के लिए परीक्षण और अंशांकन (कैलिबरेशन) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशनों का संचालन आईईडीएस कैडर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

उद्योगों के क्लस्टर वाले क्षेत्रों और कुछ कार्यनीतिक क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 1982 में जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुडुचेरी और एट्टूमनूर में सात एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन (टीएस) स्थापित किए हैं। ये परीक्षण स्टेशन वास्तव में एमएसएमई–टीसी के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं, जिससे दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की आवश्यकताऐं पूर्ण होती हैं। एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन नियमित रूप से अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन कर रहे हैं ताकि सामान्य रूप से उद्योगों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके, जो उनके इलाके में स्थित हैं।

परीक्षण केंद्र (टीसी) अर्ध–निर्मित, तैयार उत्पादों आदि के कार्य–निष्पादन परीक्षण, प्रकार परीक्षण और स्वीकृति परीक्षण करने के लिए रासायनिक, यांत्रिक, धातुकर्म और विद्युत के विषयों में स्वदेशी और आयातित अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माप उपकरणों और उपकरणों के लिए अंशांकन (कैलिबरेशन) का कार्य भी करते हैं।

3.1.4.1. एमएसएमई परीक्षण केंद्र– विशेषताएं

- सामान्य रूप से उद्योगों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा निर्मित कच्चे माल, अर्द्ध–निर्मित और तैयार उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माप उपकरणों और उपकरणों के लिए अंशांकन (कैलिबरेशन) सेवाएं प्रदान करना।
- एमएसएमई द्वारा निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को उन्नत करने में उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- एमएसएमई द्वारा प्रायोजित श्रमिकों के लाभ के लिए उत्पाद विशिष्ट परीक्षण तथा गुणवत्ता एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना, ताकि उनकी इकाइयां अपनी आंतरिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की स्थिति में आ सकें।
- एमएसएमई/अन्य उद्योगों को 'बीआईएस' लाइसेंस/गुणवत्ता अंकन आदि प्राप्त करने के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करके मानकीकरण की दिशा में बीआईएस के प्रयासों को पूरक बनाना।
- रेलवे, रक्षा, सीपीडब्ल्यूडी आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों को एमएसएमई क्षेत्र से प्राप्त सामग्रियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करना।
- एमएसएमई को परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन तथा प्रक्रियाधीन गुणवत्ता प्रणालियों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

3.1.4.2. एमएसएमई द्वारा प्रदान किए गए परीक्षण एवं अंशांकन (कैलिबरेशन) के अलावा अन्य सेवाएं – परीक्षण केंद्र/परीक्षण स्टेशन।

- प्रौद्योगिकी कंपनियां एमएसएमई को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता उन्नत करने में तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं।
- वे एमएसएमई को परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन तथा प्रक्रियागत गुणवत्ता प्रणाली में परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
- परीक्षण केंद्र युवाओं को विभिन्न उद्योगों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में लाभकारी रोजगार के लिए उत्पादों के परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- एमएसएमई द्वारा प्रायोजित श्रमिकों के लाभ के लिए उत्पाद विशिष्ट परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनकी इकाइयां अपनी आंतरिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की स्थिति में आ सकें।
- एमएसएमई प्रशिक्षण केन्द्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लाभ के लिए घरेलू विद्युत उपकरणों और संबद्ध उपकरणों की सम्पूर्ण गुणवत्ता तथा आईएसओ–9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- एमएसएमई प्रशिक्षण केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो को परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तथा एमएसएमई से प्राप्त सामग्रियों के परीक्षण में विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता भी कर रहे हैं।

3.1.4.3. विशेषज्ञता/कार्य क्षेत्र/कवर किए गए क्षेत्र

टीसी एवं टीएस का नाम	कार्य क्षेत्र	कवर किए गए क्षेत्र
एमएसएमई–टीसी, नई दिल्ली	घरेलू उपकरण, आयामी अंशांकन (कैलिब्रेशन)	यांत्रिक, धातुकर्म, रासायनिक, विद्युत
एमएसएमई–टीसी, कोलकाता	मेटलोग्राफिक विश्लेषण, एक्स–रे रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन	यांत्रिक, धातुकर्म, रासायनिक, विद्युत
एमएसएमई–टीसी, मुंबई	विद्युत सहायक उपकरण और प्रकाश उपकरण	यांत्रिक, धातुकर्म, रासायनिक, विद्युत
एमएसएमई–टीसी, चेन्नई	खाद्य उत्पाद, पेयजल और इलेक्ट्रो थर्मल कैलिब्रेशन	यांत्रिक, धातुकर्म, रासायनिक, विद्युत
एमएसएमई–टीसी, अहमदाबाद	कागज परीक्षण और यांत्रिक उत्पाद परीक्षण	यांत्रिक उत्पाद, रबर उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, पटना *	भवन निर्माण सामग्री, धातु परीक्षण	यांत्रिक, धातुकर्म और रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, दीमापुर *	भवन निर्माण सामग्री	यांत्रिक, धातुकर्म उत्पाद

एमएसएमई–टीसी, जयपुर	लौह, अलौह और निर्माण सामग्री	भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, हैदराबाद	पोर्सिलेन अवयव, एरियल बंच्ड केबल्स	विद्युत, भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, बैंग्लोर	लैंप और बैलस्ट	विद्युत उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, एट्टूमनुर	रबर उत्पाद	रबर उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, पुदुचेरी	लकड़ी के उत्पाद और जिप्सम प्लास्टर	भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, भोपाल	फास्टनर, तांबा और मिश्र धातु, सीटीडी/टीएमटी बार	भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, कोल्हापुर	फेरो, मिश्र धातु और फाउंड्री कोक सामग्री	भौतिक, रासायनिक उत्पाद

** परीक्षण केन्द्रों का अभी प्रचालन कार्य किया जाना है।*

3.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित, एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो खादी और ग्रामोद्योग के प्रचार और विकास में संलग्न है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन के रूप में, केवीआईसी न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश पर स्थायी गैर–कृषि रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्यकलापों में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण, अनुसंधान और विकास, विपणन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों का सृजन शामिल है।

खादी कताई क्रियाकलाप

चमड़े के फुटवियर विनिर्माण टूल किट

3.2.1. मुख्य उद्देश्य

केवीआईसी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

i. जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना;

ii. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना; तथा

iii. लोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना को जागृत करना।

3.2.2. कार्य

केवीआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केवीआईसी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: –

i. खादी और ग्रामोद्योग में कार्यरत या रोजगार आकांक्षी व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसका आयोजन करना;

ii. प्रत्यक्ष या निर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों का भंडार बनाना और उन्हें आपूर्ति करना या हाथ से काते गए सूत या खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादन में संलग्न या कार्यशील संभावित व्यक्तियों को कच्चे माल और उपकरणों की ऐसी दरों पर आपूर्ति की व्यवस्था करना, जैसा कि आयोग तय कर सकता है;

iii. कच्चे माल या अर्ध–निर्मित वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना और सहायता करना और अन्यथा खादी या ग्रामोद्योगों के उत्पादों के उत्पादन और विपणन की सुविधा प्रदान करना;

iv. खादी या ग्रामोद्योगों या हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना और इस उद्देश्य के लिए, जहां भी आवश्यक और संभव हो, स्थापित विपणन एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना;

v. खादी और ग्रामोद्योगों में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने, कठिन परिश्रम को समाप्त करने और अन्यथा उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा और विद्युत शक्ति का उपयोग शामिल है और इस तरह के शोध से प्राप्त मुख्य परिणामों के प्रसार की व्यवस्था करना;

vi. खादी या ग्रामोद्योग के विकास और संचालन में संलग्न संस्थानों या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से या निर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से डिजाइन, प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना, जिनके लिए आयोग की राय में प्रभावी मांग है;

vii. प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और गुणवत्ता के मानक स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उक्त मानकों के अनुरूप हों, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र या मान्यता पत्र जारी करना शामिल है; और

3.2.3. संगठन

3.2.3.1. आयोग, मुंबई में स्थित मुख्यालय और नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित छः क्षेत्रीय कार्यालयों तथा पूरे देश में फैले 40 राज्य/ मंडल/उप कार्यालयों के साथ कार्य करता है।

3.2.3.2. केवीआईसी का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दिया गया है: –

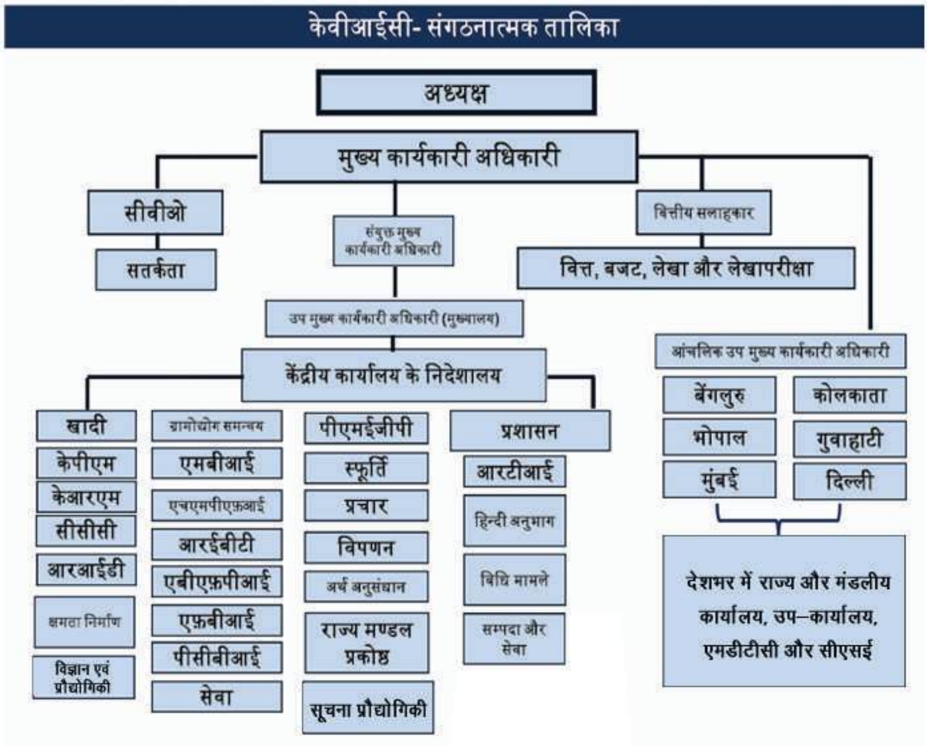

3.2.3.3 केवीआईसी अपने 35 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे व्यक्तियों को खादी और ग्रामोद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं। खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों और इकाइयों, साथ ही खादी ग्रामोद्योग भवनों और भंडारों द्वारा तैयार उत्पादों का विपणन एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें 8 विभागीय बिक्री केंद्र (खादी इंडिया), केवीआईसी की 18 शाखाएँ और देश भर में खादी संस्थाओ द्वारा संचालित 8,035 बिक्री केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी अपने पाँच केंद्रीय पूनी संयंत्रों (सीएसपी) के माध्यम से खादी संस्थाओं को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

3.2.3.4. खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और पंजीकृत केवीआई संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। खादी कार्यक्रम का निष्पादन विशेष रूप से, केवीआईसी या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवीआईबी के साथ पंजीकृत संस्थानों द्वारा किया जाता है।

3.2.4. खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतिक पहलें

देश में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा की गई कार्यनीतिक पहलें इस प्रकार हैं:

- ➢ कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए, केवीआईसी ने दिनांक 02.10.2024 से कताई मजदूरी 10.00 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लच्छा कर दी है।
- ➢ केवीआईसी ने खादी संस्था की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान के बीकानेर में मैरिनो वूल बैंक की स्थापना की है।

- केंद्रीय स्लिवर प्लांट्स (सीएसपी) के लाभ के लिए एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है, ताकि खादी संस्थानों (केआई) को कच्चे माल (स्लिवर/रोविंग) की आपूर्ति को रिकॉर्ड किया जा सके।
- मैनुअल बजट की समस्या को कम करने के लिए, केवीआईसी ने खादी संस्थाओं (केआई) के लिए एक ऑनलाइन बजट प्रणाली तैयार, विकसित और शुरू की है, ताकि केआई पिछले वर्ष की कार्य–प्रदर्शन उपलब्धि और बजट वर्ष के लिए कार्य योजना जैसी सभी विस्तृत जानकारी के साथ अपना बजट प्रस्तुत कर सके।
- खादी क्षेत्र में गुणवत्ता पारितंत्र को बढ़ाने के लिए, केवीआईसी ने कच्चे माल से तैयार माल (खेत से फैशन तक) तक गुणवत्ता आपूर्ति श्रृंखला में हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (वाणिज्य मंत्रालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- केवीआईसी ने जीआरएल मठ, बोमडिला (बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एरी सिल्क खादी उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।
- केपीआईसी ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए एमगिरी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है।

3.2.5. भारत में खादी क्षेत्र

3.2.5.1. खादी क्रियाकलाप को बहुत कम पूंजी निवेश पर ग्रामीण कारीगरों के स्थान पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए संभावित उपकरण के रूप में जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, खादी और ग्रामोद्योग की उत्पादकता राष्ट्रवाद का एक गहरा प्रतीक बन गई। इसके परिणामस्वरूप, खादी को न केवल कपड़े का एक टुकड़ा, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा।

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा, माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी और माननीय केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के साथ दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में बापूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

3.2.5.2. केवीआईसी के व्यापक नेटवर्क में 2,981 से अधिक खादी संस्थान शामिल हैं जो पूरे भारत में विभिन्न केवीआईसी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हैं। यह पहल 4.99 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती है, जिसमें महिला कारीगरों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक है।

3.2.5.3. खादी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन और बिक्री दोनों में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) और 31 मार्च, 2025 तक के अनुमानित आंकड़ों सहित पिछले पांच वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं:

खादी क्षेत्र: उत्पादन और बिक्री

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2019-20 #	2324.24	4211.26
2020-21#	1904.49	3527.71
2021-22#	2558.31	5051.72
2022-23 #	2915.83	5942.93
2023-24 (पी) #	3206.24	6496.01
2024 – 25 (31.12.2024 तक) #	2538.03	5352.00
2024-25 (31-03-2025 तक अनुमानित) #	3686.90	7470.40

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

केवीआई क्षेत्र के विकास की समीक्षा और कार्यनीति तैयार करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे तथा श्री मनोज कुमार, अध्यक्ष केवीआईसी के साथ दिनांक 28.06.2024 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में बैठक।

3.2.6. खादी विकास योजना

खादी विकास योजना (केवीवाई), खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) की एक उप–स्कीम है और इसका कार्यान्वयन खादी के प्रचार और विकास के लिए केवीआईसी द्वारा किया जा रहा है।

केवीवाई स्कीम के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

1. **संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए):**

मुख्य बिन्दु:

- ➢ भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 की तीसरी तिमाही से ''संशोधित बाजार विकास सहायता'' (एमएमडीए) स्कीम की शुरूआत की।
- ➢ संशोधित एमडीए स्कीम का उद्देश्य बिक्री मूल्य को लागत चार्ट से अलग करना तथा नियंत्रण समाप्त करना है, जिससे संस्थाओं को खादी में मूल्य संवर्धन का अवसर प्राप्त होगा; ताकि उत्पादों की बिक्री बाजारोन्मुखी मूल्यों पर की जा सके।
- ➢ कपास/मलमल, ऊन और पॉलीवस्त्र के लिए संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) की गणना मूल लागत पर 35% की दर से और रेशमी खादी के लिए मूल लागत पर 20% की दर से की जाएगी, जिसमें कच्चे माल की लागत के अलावा ग्रे कपड़े प्लस रूपांतरण शुल्क और मार्जिन रहित प्रसंस्करण शुल्क शामिल होगा।

उपलब्धियां:

- ➢ वर्ष 2023–24 के दौरान, एमएमडीए के अंतर्गत 1,088 खादी संस्थाओं और 1,49,045 कारीगरों को 267.52 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।
- ➢ वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–12–2024 तक) के दौरान, 946 खादी संस्थाओं को 152.77 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं और एमएमडीए के अंतर्गत 1,18,206 कारीगर लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.03.2025 तक) के लिए, एमएमडीए के अंतर्गत 1,200 खादी संस्थाओं को अनुमानित संवितरण 230.57 करोड़ रुपये है और 1,61,399 कारीगर लाभान्वित होंगे।

2. **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम**

मुख्य बिन्दु:

- ➢ खादी संस्थाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से अतिरिक्त निधि जुटाने हेतु मई, 1977 में इसकी शुरुआत की गई।
- ➢ आईसेक स्कीम खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले केवीआईसी/केवीआईबी के अंतर्गत पंजीकृत सभी खादी संस्थानों के लिए लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत, केवीआई संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार पूंजीगत व्यय (सीई) के साथ–साथ कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को वास्तविक उधार दर और 4% के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है, और इस उद्देश्य के लिए केवीआईसी को खादी विकास योजना अनुदान शीर्ष के अंतर्गत निधि प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां:

- ➢ वर्ष 2023–24 के दौरान, आईसेक के अंतर्गत 1,097 खादी संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी के रूप में 37.36 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।
- ➢ वर्ष 2024–25 (31.12.2024 तक) के दौरान, आईसेक के अंतर्गत 1,089 खादी संस्थाओं को 24.98 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2024–25 (31–03–2025 तक) के लिए, आईसेक के अंतर्गत 1,095 खादी संस्थाओं को 38.00 करोड़ रुपये का संवितरण किए जाने का अनुमान है।

3. खादी कारीगर हेतु वर्कशेड स्कीम

मुख्य बिन्दु:

- ''खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम'' का शुभारंभ वर्ष 2008–09 में किया गया था, जिसका उद्देश्य खादी कारीगरों को सुचारू और थकान मुक्त कार्य के लिए पर्याप्त स्थान और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।
- इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000 रु. और समूह वर्कशेड के लिए प्रति कारीगर 80,000 रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2023–24 के दौरान, इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 87 खादी कारीगर लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–12–2024 तक) के दौरान, इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 1305 खादी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–03–2025 तक) के लिए, वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 1250 खादी कारीगरों को लाभान्वित होने का अनुमान है।

4. मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता

मुख्य बिंदु:

- यह स्कीम दो उप–स्कीमों अर्थात् ''मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और ''विपणन अवसंरचना हेतु सहायता'' का संयोजन है।
- स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना; कमजोर/संकटग्रस्त खादी संस्थाओं को अपने क्रियाकलापों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए 15.00 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- खादी संस्थाओं, केवीआईबी के बिक्री केन्द्रों और विभागीय बिक्री केन्द्रों को विपणन अवसंरचना अर्थात सामान्य लोगो, साइनेज, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, बिलिंग और बार–कोडिंग सहित कम्प्यूटरीकरण, बिक्री कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, नवीनीकरण से संबंधित सिविल कार्य सहित फर्नीचर और फिक्सचर आदि हेतु 25.00 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की गई थी।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2023–24 के दौरान 18 खादी संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया। इसके अलावा, विपणन अवसंरचना सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 119 बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है।
- वर्ष 2024–25 के दौरान (दिनांक 31–12–2024 तक) 40 खादी संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, विपणन अवसंरचना हेतु सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 34 बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है। वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–03–2025 तक) के लिए 40 खादी संस्थाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। इसके अलावा, विपणन अवसंरचना हेतु सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 120 बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण किए जाने का अनुमान है।

3.2.7. ग्रामोद्योग

'ग्रामोद्योग' से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी ऐसे उद्योग से है, जो बिजली के उपयोग से या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन या कोई सेवा प्रदान करना है, जिसमें प्रति कारीगर या श्रमिक का निर्धारित पूंजी विनिवेश मैदानी क्षेत्रों में 1.00 लाख रु. और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रु. से अधिक न हो या ऐसी अन्य राशि, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

3.2.7.1. पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन और बिक्री तथा दिनांक 31.03.2025 तक अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

ग्रामोद्योगः उत्पादन एवं बिक्री **(रुपए करोड़ में)**

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2019-20	65343.07	84664.28
2020-21	70330.66	92213.65
2021-22	81731.62	110363.51
2022 – 23	93040.84	128686.56
2023 – 24 (पी)	105091.67	149177.12
2024-25 (31.12.2024 तक)(पी)	83138.87	119483.85
2024-25 (31-03-2025 तक अनुमानित)(*)	113855.88	160132.37

(*) अनुमानित आंकड़े

3.2.8. ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई):

ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई), खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) की एक अम्ब्रेला स्कीम की उप–स्कीम है तथा इसे ग्रामोद्योग के विकास के लिए केवीआईसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) में जिन ग्रामोद्योगों पर विचार किया गया है, वे निम्नलिखित हैं–

क्र. सं.	उद्योग कार्यक्षेत्र	क्रियाकलाप
1	कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीपीएफआई)	• ग्रामीण तेल उद्योग • शहद और मधुमक्खी पालन • पाम गुड़ और अन्य पाम उत्पाद • फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • दाल और अनाज प्रसंस्करण उद्योग • मसाले और मसाला प्रसंस्करण उद्योग • बांस, बेंत और सरकंडा उद्योग
2	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)	• हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन, चमकदार और सिरेमिक मिट्टी के बर्तन, घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन, खाद्य उद्योग के लिए मिट्टी के बर्तन

क्र. सं.	उद्योग कार्यक्षेत्र	क्रियाकलाप
3	स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई)	• साबुन और तेल उद्योग सहित कल्याण और सौंदर्य प्रसाधन • कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग • बालों का तेल और शैंपू, प्रसाधन उद्योग • स्नान साबुन उद्योग • अगरबत्ती उद्योग
4	हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएल और पीआई)	• हस्तनिर्मित कागज और कागज उत्पाद उद्योग • कागज़ रूपांतरण उद्योग • चमड़ा उद्योग • कयर उद्योग के अलावा प्राकृतिक रेशा
5	ग्रामीण अभियांत्रिकी और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)	• बायो–गैस, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, जैव–खाद, वर्मी–कम्पोस्ट • बढ़ईगीरी उद्योग
6	सेवा उद्योग	• इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रखरखाव एवं सर्विसिंग • प्लंबिंग, सिलाई, एसी/मोबाइल रिपेयरिंग जैसे नए क्रियाकलाप

जीवीवाई की प्रमुख गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

1. शहद मिशन

मुख्य बिन्दु:

➢ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आधुनिक मधुमक्खी पालन को शुरू करके और इसे लोकप्रिय बनाकर तथा स्थायी रोजगार और आय का सृजन करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में संलग्न है।

➢ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान ''श्वेत क्रांति के साथ–साथ मीठी क्रांति की भी जरूरत है'' मिशन से प्रेरित होकर, एमएसएमई मंत्रालय ने शहद मिशन को मंजूरी दे दी।

उपलब्धियां:

➢ स्थापना के बाद से, दिनांक 31.12.2024 तक, शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 20,918 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कालोनियों के साथ कुल 2,03,989 मधुमक्खी के छत्ते (बक्से) वितरित किए गए।

➢ वर्ष 2023–24 के दौरान, शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,795 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कालोनियों के साथ 17,950 मधुमक्खी के छत्ते (बक्से) वितरित किए गए।

- वर्ष 2024 –25 (दिनांक 31.03.2025 तक) के दौरान, शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,270 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कालोनियों के साथ 12,700 मधुमक्खी के छत्ते (बक्से) वितरित किए जाने का अनुमान है।

2. कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम

मुख्य बिन्दुः

- खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पॉटरी में संलग्न कुम्हार परिवारों को सुदृढ़ करने हेतु पॉटरी कारीगरों को अन्य औज़ारों व उपकरणों के साथ–साथ इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील भी वितरित किए।

उपलब्धियांः

- इसकी शुरुआत के बाद से, दिनांक 31–12–2024 तक, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 32,501 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को कुल 32,501 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरण वितरित किए गए और 1,30,004 कारीगर लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2023–24 के दौरान, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6,151 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को 6,151 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरण वितरित किए गए और 24,604 कारीगर लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–12–2024 तक) के दौरान, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 410 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को 410 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील वितरित किए गए और 1,640 कारीगर लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–03–2025 तक) के दौरान, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 8,000 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को 8,000 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील वितरित किए जाने और 32,000 कारीगरों को लाभान्वित होने का अनुमान है।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)

मुख्य बिन्दुः

- केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और बाजार मांग के अनुरूप ग्रामीण उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए भी नवाचार, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने और समावेश के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है।
- केवीआईसी ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं और आईएसओ 9001–2015 प्रमाणन के माध्यम से केवीआई क्षेत्र के गुणवत्ता पहलुओं, अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए कड़े प्रयास किए हैं।
- प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से उत्पाद की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से जरूरतमंद संस्थाओं को वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का लगातार पता लगाया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2023—24 के दौरान, खादी के अंतर्गत 04 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और ग्रामोद्योग के अंतर्गत 09 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत सहायता प्राप्त हैं।
- वर्ष 2024—25 (दिनांक 31—12—2024 तक) के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग प्रस्ताव के तहत 04 परियोजनाओं की सहायता की गई है। वर्ष 2024—25 (दिनांक 31—03—2025 तक) के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग प्रस्ताव के तहत 16 परियोजनाओं की सहायता किए जाने का अनुमान है।
- क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए केवीआईसी द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु एमगिरी के साथ समझौता ज्ञापन।

4. क्षमता निर्माण

मुख्य बिन्दु:

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 35 विभागीय एवं गैर—विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न विषयों जैसे साबुन एवं डिटर्जेंट बनाना, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, रेडीमेड परिधान बनाना, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर रिपेयरिंग, बाइंडिंग आदि के अंतर्गत आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2023—24 के दौरान 90,162 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।
- वर्ष 2024—25 (दिनांक 31—12—2024 तक) के दौरान 54,632 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।
- वर्ष 2024—25 (दिनांक 31—03—2025 तक) के दौरान 97,552 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किए जाने का अनुमान है।

केवीआईसी द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

3.2.9. खादी और ग्रामोद्योग में वृद्धि

खादी और ग्रामोद्योग क्रियाकलाप ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, जिनमें देश भर में बड़ी संख्या में विद्यमान कत्तिन, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्य–निष्पादन (दिनांक 31.12.2024 तक के वास्तविक आंकड़े और दिनांक 31.03.2025 तक के अनुमानित आंकड़े) उनकी महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि को दर्शाता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्य–निष्पादन

(रु. करोड़ में और रोजगार लाख व्यक्तियों में)

क्र. सं.	विवरण	2023–24	2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक वास्तविक)	2024–25 (दिनांक 31.03.2025 तक अनुमानित)*
I	**उत्पादन**			
क	खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	3206.24	2538.03	3686.90
ख	ग्रामोद्योग	105091.67	83138.87	113855.88
	कुल केवीआई उत्पादन	**108297.91**	**85676.90**	**117542.78**
II.	**बिक्री**			
क	खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	6496.01	5352.00	7470.40
ख	ग्रामोद्योग	149177.12	119483.85	160132.37
	कुल केवीआई बिक्री	**155673.13**	**124835.85**	**167602.77**
III.	रोजगार			
क	खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	4.99	4.99	5.00
ख	ग्रामोद्योग	182.32	185.46	191.05
	कुल केवीआई रोजगार	**187.31**	**190.45**	**196.05**

(*) अनुमानित आँकड़े

3.2.10. केजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी को बजटीय सहायता

3.2.10.1 भारत सरकार खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों को चलाने के लिए ''खादी ग्रामोद्योग विकास योजना अनुदान'' के रूप में बजट परिव्यय आवंटित करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

➢ ''खादी विकास योजना (केवीवाई) अनुदान'' के अंतर्गत बजटीय आवंटन केवीवाई घटकों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए हैं।

➢ ''ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) अनुदान'' के अंतर्गत बजटीय आवंटन जीवीवाई घटकों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए हैं।

➢ ''खादी अनुदान'' के अंगतर्गत बजटीय आवंटन प्रशासनिक/स्थापना व्यय जैसे वेतन, टीए, आकस्मिक व्यय, पेंशन आदि के लिए हैं।

3.2.10.2 पिछले दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बजटीय स्रोतों (खादी ग्रामोद्योग विकास योजना) से उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

केजीवीवाई के अंतर्गत केवीआईसी को बजटीय सहायता

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	केजीवीवाई के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा संवितरित निधि
2022-23	676.98
2023-24	660.98
2024 – 25	731.99*

** दिनांक 31.01.2025 तक सरकारी प्राप्ति*

3.3. कयर बोर्ड

3.3.1. भूमिका

कयर बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके अधिदेश में कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और भारत में इस परंपरागत उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार करना शामिल हैं। बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्यों की संख्या, जो चालीस से अधिक नहीं होगी, जैसा भी केन्द्र सरकार समीचीन समझे, होगी तथा जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाएगी।

3.3.2. उद्देश्य

भारत विश्व का सबसे बड़ा कयर उत्पादक है, जो वैश्विक कयर रेशा उत्पादन में 80% से अधिक का योगदान देता है। लगभग 7.4 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाला यह उद्योग, जिनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण वर्गों से हैं, महत्वपूर्ण आजीविका के अवसर प्रदान करता है। उल्लेखनीय रूप से, फाइबर निष्कर्षण और कताई में शामिल लगभग 80% श्रमिक महिलाएँ हैं। भारत में कयर क्षेत्र अत्यधिक विविधतापूर्ण है, जिसमें परिवार, सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन, निर्माता और निर्यातक शामिल हैं।

कयर बोर्ड इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और इस पारंपरिक शिल्प में संलग्न श्रमिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3.3.3. कार्य

कयर बोर्ड के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- धागों एवं कयर उत्पादों का निर्यात करना तथा इस प्रयोजन के लिए प्रचार कार्य करना;
- कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए कयर स्पिंडल और करघों तथा कयर उत्पादों के निर्माताओं को पंजीकृत करके भूसी, कयर धागा और कयर उत्पादों के उत्पादन को विनियमित करना, कयर, कयर धागा और कयर उत्पादों के निर्यातकों को लाइसेंस देना और निर्धारित किए गए अन्य उचित कदम उठाना।

- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करना, सहायता करना या प्रोत्साहित करना और एक या अधिक अनुसंधान संस्थानों का रखरखाव करना तथा रखरखाव में सहायता करना।
- कयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना।

3.3.4. संगठन

बोर्ड का मुख्यालय, कयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि, केरल में स्थित है। यह बोर्ड भारत के विभिन्न भागों में स्थापित 25 शोरूम और बिक्री डिपो सहित 46 प्रतिष्ठान का संचालन कर रहा है। बोर्ड के अंतर्गत कुल 231 कर्मचारी हैं।

3.3.5. भारत में कयर उद्योग

कयर नारियल की भूसी से निकाला गया एक प्राकृतिक रेशा है। नारियल के रेशों से बनी रस्सियों और डोरियों का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। सदियों पहले, भारतीय नाविक जो समुद्र के रास्ते मलाया, जावा, चीन और अरब की खाड़ी की यात्रा करते थे, वे अपने जहाज के केबल के रूप में रस्सी का इस्तेमाल करते थे। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व, जब वर्ष 1859 में अल्लापुझा में पहली फैक्टरी स्थापित की गई थी, तभी भारत में फैक्टरी के आधार पर मैटिंग और अन्य फर्श कवरिंग की शुरुआत हुई थी।

केरल में एक पारंपरिक कृषि–आधारित उद्योग के रूप में शुरू हुआ कयर क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों तक फैला हुआ है। अपनी समृद्ध विरासत और निर्यात–उन्मुख फोकस के साथ, कयर उद्योग में मूल्य संवर्धन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से विकास की महत्वपूर्ण संभावना है।

3.3.5.1. पिछले 5 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान कयर का निर्यात

वर्ष	मूल्य (रुपए लाख में)
2019-20	241596.65
2020-21	352654.84
2021-22	424034.21
2022-23	289454.12
2023-24	298200.40
वर्ष 2024–25 (अक्टूबर, 2024 तक)	191916.05

स्रोत : डीजीसीआईएस

3.3.5.2. वर्ष 2024–25 के दौरान भारत से कयर आयात करने वाले 5 शीर्ष देश

क्र. सं .	देश	मूल्य लाख रु. में	प्रतिशत %
1	चीन	44455.11	23.16
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	39389.04	20.52
3	नीदरलैंड	13975.86	7.28
4	स्पेन	9812.09	5.11
5	कोरिया गणराज्य	9692.07	5.05

स्रोत : डीजीसीआईएस

3.3.5.3. पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के लिए भारत में कयर रेशा का उत्पादन।

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कयर रेशे का उत्पादन (मीट्रिक टन)	7,41,000	7,58,000	7,67,000	7,91,000	7,96,300	599800*

(दिसंबर, 2024 तक अनंतिम)

- **भारत में पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के लिए रोजगार सृजन**

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
रोजगार सृजन (संचयी) व्यक्तियों की सं.	7,36,733	7,40,834	7,43,566	7,47,637	7,50,089	7,51,167*

(दिसंबर, 2024 तक अनंतिम)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कयर इकाई पंजीकरण (सचंयी) इकाइयों की संख्या	16495	16706	16826	17054	17221	17286*

(दिसंबर, 2024 तक अनंतिम)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कयर और कयर उत्पादों का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है:

वस्तु	2021-22 (मात्रा एमटी में)	2022-23 (मात्रा एमटी में)	2023-24 (मात्रा एमटी में)	2024-25* (मात्रा एमटी में)
कयर फाइबर	7,67,000	7,91,000	796300	599800
कयर धागा	461500	474600	477780	359880
कयर उत्पाद	304500	313236	315335	237520
कयर रस्सी	92300	94920	95556	71976
कर्ल कयर	92000	94920	95556	71976
रबरयुक्त कयर	111800	118650	119445	89970

(दिसंबर, 2024 तक अनंतिम)

3.3.6. कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

3.3.6.1. कयर विकास योजना (सीवीवाई)

कयर बोर्ड देश में कयर उद्योग की समग्र वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

व्यापार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएँ (टीआईआरएफएसएस)

व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएँ (टीआईआरएफएसएस) और कल्याणकारी उपाय' क्षत्रक स्कीम 'कयर विकास योजना' (सीवीवाई) के प्रमुख घटक हैं। सीवीवाई के टीआईआरएफएसएस के अंतर्गत निम्नलिखित उप–घटकों के माध्यम से सभी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। क्षत्रक स्कीम 'कयर विकास योजना' के अंतर्गत कार्यान्वित घटक स्कीमें/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

2. ज्ञान प्रबंधन

3. मानव संसाधन विकास

4. अवसंरचना सृजन

3.3.6.2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)

कयर बोर्ड, कयर उद्योग के समग्र और सतत विकास के लिए विभिन्न स्कीम/स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। सीवीवाई की अंब्रेला स्कीमों के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम परंपरागत उद्योग को आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण से अपनाई जाती हैं। आधुनिकीकरण से उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादों के विविधीकरण और अत्यधिक मेहनत का बचाव होगा। बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:

1. उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

2. मशीनरी और उपकरणों का विकास

3. उत्पाद विकास और विविधीकरण

4. पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास

5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इनक्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएँ

विभिन्न घटकों के अंतर्गत की गई प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

रेवा विश्वविद्यालय, बैंगलोर के साथ मिलकर एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की जा रही है जिसका शीर्षक है "कयर रेशे से प्राप्त लिग्नोसल्फोनेट/सेल्यूलोज और लिग्नोसेल्यूलोज कार्बनयुक्त पदार्थ तथा सुपरकैपेसिटर में इसका अनुप्रयोग"। यह परियोजना कयर रेशा से बायोमास–व्युत्पन्न कार्बनयुक्त पदार्थों के विकास पर केंद्रित है, जो सुपरकैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखते हैं। शोध अभी प्रगति पर है।

2. मशीनरी और उपकरणों का विकास

पतली किस्म मिश्रित कयर धागा 2–हेड स्पिनिंग मशीन:

उद्देश्य: पतले कयर धागे के लिए अनुकूलित कताई मशीन का विकास।

स्पिनिंग मशीन इनपुट फीड के अनुरूप प्री–प्रोसेसिंग 3–स्टेज कॉम्बिंग मशीन

मुख्य विशेषताओं में फाइबर संरेखण और सफाई के लिए बहु–चरण कॉम्बिंग शामिल है।

कयर/मिश्रित धागे की पतली किस्म के उत्पादन के लिए स्पिनिंग मशीन का विकास

3. उत्पाद विकास और विविधीकरण

i. **आत्म निर्भर खिलौने— कयर टॉयकैथॉन 2024:** 30 अगस्त, 2020 को अपने मन की बात संबोधन में, माननीय प्रधान मंत्री ने भारतीय खिलौनों की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत वर्ष 2020—21 और 2021—22 के दौरान खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है, जिसने दशकों की आयात निर्भरता को समाप्त कर दिया है।

इस पहल के अंतर्गत, सीसीआरआई ने कयर टॉयकैथॉन 2024 का शुभारंभ किया, जिसमें निफ़्ट, एनआईडी, आईआईटी, एनआईटी और भारत भर के विभिन्न अभियांत्रिकी कॉलेजों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से भागीदारी आमंत्रित की गई। प्रतियोगिता के लिए कुल 125 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 29 छात्रों ने निर्धारित प्रारूप में अपनी डिजाइन अवधारणाएँ प्रस्तुत कीं। पंजीकरण के बाद, प्रतिभागियों को खिलौना डिजाइन के लिए आवश्यक कच्चा माल भेजा गया।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद, सीसीआरआई को विभिन्न संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 प्रतिभागियों से खिलौने के प्रोटोटाइप प्राप्त हुए। प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए एक निर्णायक मण्डल का गठन किया गया है, तथा प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

ii. **कोकोपोड्स**

कोकोपॉड एक अभिनव और पर्यावरण—अनुकूल बीज बॉल है जिसे कयर पिथ से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बंजर या वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण और पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देना है। अंडे के आकार का, प्रत्येक पॉड पोषक तत्वों से भरपूर कयर मैट्रिक्स के भीतर बीजों को घेरता है, जो बीज के अंकुरण और शुरुआती विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

यह संपुटित बीज प्रौद्योगिकी, वनरोपण, टिकाऊ खेती और बागवानी में क्रांति लाने के लिए नारियल के रेशे के प्राकृतिक गुणों का लाभ उठाती है, तथा पर्यावरण बहाली के लिए एक सरल किन्तु प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करती है।

4. पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास

क. रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ), येलहंका, बेंगलुरु द्वारा उपयोग के लिए रेल व्हील एक्सल कप

कयर बोर्ड के केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) ने रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ), येलहंका, बैंगलोर के अनुरोध पर पर्यावरण के अनुकूल रेल व्हील एक्सल पैकेजिंग कप विकसित किए हैं। ये अभिनव कप मौजूदा एचडीपीई प्लास्टिक कप के लिए एक टिकाऊ विकल्प के रूप में कार्य करते हैं।

उत्पाद डिजाइन को बेहतर बनाने और लागत को किफायती करने के लिए, सीसीआरआई ने मेसर्स आरजी एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर आरडब्लूएफ को मूल्यांकन के लिए 50 रेल व्हील कप की आपूर्ति की। पैकेजिंग कप ने फैक्ट्री और ट्रांजिट परफॉरमेंस टेस्ट को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है, और आरडब्लूएफ से मिले फीडबैक के आधार पर उत्पादन लागत को और किफायती बनाने के प्रयास जारी हैं।

ख. नई सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं

कयर बोर्ड ने अमृता विश्व विद्यापीठम के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं

i. कयर उत्पादों का जीवन चक्र मूल्यांकन – अनुसंधान के परिणामस्वरूप अन्य वैकल्पिक सिंथेटिक उत्पादों की तुलना में कयर उत्पादों की स्थिरता का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सकेगा।

ii. कयर जियोटेक्सटाइल्स को इंटरफ़ेस लेयर के रूप में इंटरलॉकिंग कंक्रीट फुटपाथ ब्लॉकों में इंटरफ़ेस लेयर के रूप में कयर जियोटेक्सटाइल्स के उपयोग की प्रभावशीलता का अध्ययन करते हुए उपयोग करते हुए आईसीबीपी के संरचनात्मक और जल निकासी व्यवहार पर जांच करना। इसके अलावा, परत में उपयोग किए जाने पर सामग्री के विक्षेपण, जल निकासी और कतरनी व्यवहार का अध्ययन करना और फुटपाथ निर्माण में आईसीबीपी की मोटाई को कम करना।

5. प्रौद्योगिकी अंतरण

कयर उद्योग के समग्र और सतत विकास के लिए, व्यवस्थित प्रौद्योगिकी अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों को हितधारकों को अंतरित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देना और उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

6. परीक्षण और सेवा सुविधाएं

अनुसंधान संस्थान व्यापार आवश्यकताओं के आधार पर आईएस, एएसटीएम, एएटीसीसी और अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में कयर और कयर उत्पादों का परीक्षण करता है। अप्रैल, 2024 और

जनवरी, 2024 के बीच, सीसीआरआई ने गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए 277 नमूनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

7. प्रदर्शनी विवरण

शोध संस्थान ने केरल के विभिन्न जिलों में कयर पिथ कम्पोस्ट तकनीक की तीन प्रदर्शनियाँ प्रदर्शित की गई। इसके अतिरिक्त, जागरूकता और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा विकसित अन्य नवीन तकनीकों की 109 क्षेत्रीय प्रदर्शनियाँ प्रदर्शित की गई।

8. प्रशिक्षण

महाराष्ट्र उद्यमिता विकास केंद्र (एमसीईडी) ने महाराष्ट्र के कयर क्षेत्र में उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सहयोगी परियोजना के लिए कयर बोर्ड के केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) के साथ भागीदारी की है। इस परियोजना के अंतर्गत 56 प्रशिक्षुओं, जिनमें 82% महिलाएँ थीं, ने सीसीआरआई में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण सत्र पूरे किए, जिससे उन्हें कयर उत्पाद प्रसंस्करण और संबंधित प्रौद्योगिकियों में आवश्यक कौशल प्राप्त हुए। यह प्रशिक्षण न केवल प्रतिभागियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाता है, बल्कि महाराष्ट्र में कयर उद्योग के विकास में भी योगदान देता है, जिससे आर्थिक प्रगति होती है और क्षेत्र में आजीविका में वृद्धि होती है।

3.3.7. कौशल उन्नयन कार्यक्रम एवं महिला कयर योजना

कयर उद्योग एक श्रम–प्रधान और निर्यातोन्मुखी क्षेत्र है जो सात लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं। कयर बोर्ड का मुख्य जोर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति के विकास पर है। उल्लेखनीय रूप से, यह अनुमान लगाया गया है कि 80% कार्यबल, विशेष रूप से पूर्व–उत्पाद क्षेत्रों में, महिलाओं से बना है। सभी विकासात्मक क्रियाकलापों और कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन देश भर में कयर बोर्ड के क्षेत्र स्तरीय प्रतिष्ठानों के माध्यम से किया जाता है।

कौशल विकास स्कीम के हिस्से के रूप में, मूल्य–वर्धित उत्पाद (वीएपी) के निर्माण में प्रशिक्षण, महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत कयर धागा कताई, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, एक्सपोजर टूर और राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय सेमिनार जैसी कई पहल आयोजित की जाती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने कयर कारीगरों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए हैं और विभिन्न राज्यों में 42 प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान आयोजित विभिन्न कौशल प्रशिक्षणों, प्रोत्साहन कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

3.3.7.1. महिला कयर योजना (एमसीवाई)

महिला कयर योजना (एमसीवाई) कयर बोर्ड द्वारा वर्ष 1994 से कयर क्षेत्र में महिला कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए कार्यानन्वित की जा रही पहली महिला उन्मुखी स्वरोजगार योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। पिछले दो दशकों में, भारत में कयर फाइबर का उत्पादन काफी हद तक बढ़ा है। ग्रामीण घरों में मोटर चालित रट पर कयर फाइबर को सूत में बदलने से बड़े पैमाने पर रोजगार, कयर

फाइबर की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, बेहतर कार्य स्थितियां और उच्च आय की संभावना बनती है, जिससे अंततः ग्रामीण महिला कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार होता है। दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम वजीफा प्रकृति का है।

कयर बोर्ड ने महिला कयर योजना के अंतर्गत 912 महिला कयर कारीगरों को कयर धागा कताई का प्रशिक्षण दिया। इसने 989 कयर कारीगरों को मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया।

3.3.7.2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

कयर क्षेत्र में उद्यमियों के लाभ के लिए तीन दिवसीय सत्र में ईडीपी आयोजित की जाती है, ताकि उद्यमी संसाधन प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, उत्पादकता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख पहलुओं की निगरानी करके अपने प्रतिष्ठान को सुचारू और प्रभावी तरीके से चला सकें। ईडीपी के अंत में निकट के कयर प्रसंस्करण केंद्र का एक फील्ड दौरा आयोजित किया जाता है।

3.3.7.3. एक्सपोजर दौरा

कयर प्रसंस्करण केन्द्रों के भावी उद्यमियों और कारीगरों के लाभ के लिए एक्सपोजर टूर का आयोजन किया जाता है, ताकि वे अन्य कयर इकाइयों और कयर उत्पादन केन्द्रों का दौरा कर सकें, वहां की इकाइयों की कार्यप्रणाली के बारे में जान सकें और कयर तथा कयर उत्पादों के उत्पादन की विभिन्न विधियों को समझ सकें। वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा एक एक्सपोज़र टूर का आयोजन किया गया।

3.3.7.4. जागरूकता कार्यक्रम

सामान्य व्यक्ति को कयर बोर्ड और एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों और सेवाओं से परिचित कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही कयर कारीगरों को इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कयर बोर्ड ने सफलतापूर्वक 17 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

3.3.7.5. नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड इस स्कीम के अंतर्गत दो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता हैः कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सात महीने की अवधि, जिसमें एक महीने की इंटर्नशिप शामिल है) और कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पंद्रह महीने की अवधि, जिसमें तीन महीने की इंटर्नशिप शामिल है)। ये पाठ्यक्रम बोर्ड के निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और दो क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैंः

1. राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एनसीटीएंडडीसी), कलावूर, केरल
2. क्षेत्रीय विस्तार केंद्र (आरईसी), तंजावुर, तमिलनाडु
3. क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश

बोर्ड के दोनों नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत आते हैं अर्थात एनएसक्यूएफ स्तर–3 पर कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का सर्टिफिकेट कोर्स और एनएसक्यूएफ स्तर–4 पर कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कोर्स। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को कुल 46 प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक पूरा किया। कुल मिलाकर, 1,947 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया और इस अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा 42 प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

3.3.8. निर्यात बाजार संवर्धन

कयर बोर्ड वैश्विक बाजार में भारतीय कयर उत्पादों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उद्देश्य छोटे पैमाने के निर्यातकों को सशक्त बनाना और इस पर्यावरण–अनुकूल प्राकृतिक फाइबर की निर्यात क्षमता का विस्तार करना है। प्रमुख क्रियाकलापों में कयर निर्यातकों का पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत सहायता प्रदान करना और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए कयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। इन पहलों के माध्यम से, बोर्ड छोटे पैमाने के

निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि सिंथेटिक सामग्रियों के एक स्थायी विकल्प के रूप में कयर के अद्वितीय गुणों पर जोर देता है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान उपलब्धियां

1. **अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँः**

विदेश में आयोजित निम्नलिखित प्रदर्शनियों में कयर बोर्ड ने भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की भागीदारी कीः

कयर बोर्ड को बजटीय समर्थन

क्र.सं.	मेले का नाम	देश	अवधि
1	हॉर्ट कनेक्शन 2024	ऑस्ट्रेलिया	3–5 जून 2024
2.	मेगा शो, भाग I	हांगकांग	20–23 अक्टूबर, 2024

2. आईसी स्कीम के अनुसार बाजार विकास सहायता (एमडीए)ः

क्र.सं.	मेले का नाम	आवेदकों की सं.	राशि
1.	भारतीय एमएसएमई कयर एक्सपो 2023, थाईलैंड	11	1803198
2.	गार्डेक्स 2023, जापान	10	3018419
3.	आईएफटीएफ 2023, हॉलैंड	10	2200761
4.	आईपीएम एसेन 2023, जर्मनी	10	3807334
5.	डोमोटेक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024, जर्मनी	16	2805281
6.	एनएचएस 2024, यूएसए	8	933971
7.	आईपीएम एसेन 2024, जर्मनी	18	5880531
8.	आईईसीए 2024, यूएसए	7	1332504
9.	हॉर्ट कनेक्शन 2024, ऑस्ट्रेलिया	11	2924114
	कुल	**101**	**24706113**

3.3.9. घरेलू बाजार संवर्धन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कयर बोर्ड ने 19 प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर पूरे देश में कयर और कयर उत्पादों के प्रचार–प्रसार में अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित की। जागरूकता और बाजार की मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों में घरेलू बाजार में कयर और कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उपाय के रूप में 5.63 करोड़ रुपये का व्यय शामिल था। वर्ष के दौरान प्रमुख घरेलू प्रदर्शनियाँ इस प्रकार हैंः

➢ **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो शिखर सम्मेलन और पुरस्कार –2024**

बोर्ड ने 3 से 6 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान कला केंद्र, पंजिम, गोवा में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो शिखर सम्मेलन और पुरस्कार–2024 में भाग लिया। प्रदर्शनी और स्टालों का उद्घाटन माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री श्रीपद नाईक जी ने किया।

➢ **भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2024**

बोर्ड ने 14 से 27 नवंबर 2024 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में भाग लिया। मेले का उद्घाटन 16 नवंबर 2024 को माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी द्वारा किया गया। मंत्रालयों और विभागों, पीएसयू, पीएसबी और कमोडिटी बोर्ड के पैवेलियन में से कयर बोर्ड पैवेलियन को **स्वर्ण पदक** प्राप्त हुआ और 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए प्रथम चुना गया।

3.3.10. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

वर्ष 2018–19 से, कयर बोर्ड, कयर क्षेत्र मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान 21 कयर इकाइयों की स्थापना के लिए 92.04 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

3.3.11. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

कयर बोर्ड को प्रदान की गई बजटीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

कयर बोर्ड को बजटीय सहायता		
वर्ष	आवंटन (सं.अ.) (रुपए करोड़ में)	जारी की नई निधियाँ (रुपए करोड़ में)
	योजना	योजना
2020-21	80.70	80.69
2021-22	80.00	79.81
2022-23	87.14	87.14
2023-24	92.15	92.15
2024-25	75.10	53.77*

**दिसंबर, 2024 तक की निर्मुक्ति*

3.4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

3.4.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अधीन भारत सरकार का आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है। एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता प्रदान करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है।

3.4.2 उद्देश्य

एनएसआईसी का मिशन "विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं से युक्त एकीकृत सहायता सेवा मुहैया कराके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना एवं उनकी मदद करना है।"

एनएसआईसी का विज़न "देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को संवर्धित करने वाला अग्रणी संगठन" बनना है।

3.4.3. संगठन

कंपनी के निदेशक मंडल के लिए स्वीकृत पदों में एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक; दो कार्यकारी निदेशक; दो सरकारी नामित निदेशक और तीन गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं।

एनएसआईसी को कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क जिनमें 8 (आठ) तकनीकी केंद्र भी शामिल हैं, के माध्यम से संचालित किया जाता है और इसने प्रशिक्षण–सह–इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया है, जो एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं का पैकेज भी मुहैया कराता है।

3.4.4. प्रचालन कार्य–निष्पादन:

(क) कच्चे माल का वितरण (आरएमडी)

कच्चा माल वितरण निगम के प्रमुख क्रियाकलापों में से एक है जो एमएसएमई को कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एनएसआईसी बड़े पैमाने पर निर्माताओं के साथ आवश्यक कच्चे माल जैसे लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, पॉलिमर, बिटुमेन, सीमेंट और अन्य को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) स्थापित करता है। आरएमडी पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद रबर को जोड़ा गया है। एनएसआईसी औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल के वितरण केंद्र खोलकर एमएसएमई की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि एमएसएमई को कच्चा माल उनके स्थान पर ही उपलब्ध हो सके और उनकी इन्वेंट्री लागत कम हो सके। एनएसआईसी ने एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए क्षेत्रीय उत्पादकों, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान, एनएसआईसी ने 2698.62 करोड़ रुपये की कीमत के 3,65,168 मीट्रिक टन कच्चे माल की आपूर्ति की और वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर 2024 तक) में 2129 करोड़ रुपये के मूल्य वाले 2,60,350 मीट्रिक टन कच्चे माल का वितरण किया। एजेंसी बिक्री के अंतर्गत, एनएसआईसी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 3456.54 करोड़ रुपये मूल्य के 2,86,568 मीट्रिक टन माल का वितरण किया और वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) में 1869.50 करोड़ रुपये के मूल्य के 1,21,833.5 मीट्रिक टन कच्चे माल का वितरण किया। वितरित किए गए प्रमुख कच्चे माल में जिंक, एल्युमिनियम, पॉलिमर और बिटुमेन शामिल थे।

(ख) ऋण सहायता

एनएसआईसी कच्चे माल की खरीद के लिए बैंक गारंटी के बदले कच्चा माल सहायता स्कीम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके अल्पावधि ऋण सहायता प्रदान करता है। एमएसएमई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी द्वारा 2697 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को कच्चे माल सहायता (आरएमए) के अंतर्गत 8,100.32 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) में, 2482 से अधिक एमएसएमई को 5743.26 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई।

(ग) बिल डिस्काउंटिंग स्कीम

इस स्कीम में वास्तविक व्यापार लेनदेन से उत्पन्न बिलों की छूट शामिल है, अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और राज्य और केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों और निजी लिमिटेड कंपनियों (व्यापारी नहीं) को की गई आपूर्ति, जो विनिर्माण या सेवा क्रियाकलापों में संलग्न हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल 40.56 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक गारंटी के विरुद्ध कुल बिलों की छूट दी गई। चालू वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) में 29.90 करोड़ रुपये के बिलों की छूट दी गई है।

(घ) एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)

एनएसआईसी सरकारी निविदाओं में सहभागिता और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में योगदान करने के लिए एमएसई की क्षमता निर्माण हेतु सरकारी खरीद के लिए एकल बिंदु पंजीकरण संचालित करता है। एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सरकारी खरीद नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। एसपीआरएस के अंतर्गत पंजीकरण प्रत्येक दो वर्ष के बाद समीक्षा एवं नवीकरण के अधीन वैध है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 1,839 नई इकाइयां जोड़ी गईं और 5,554 इकाइयों का नवीनीकरण किया गया। चालू वित्त वर्ष 2024–25 में, वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) कुल 1150 नई इकाइयां जोड़ी गईं और 3728 इकाइयों का नवीनीकरण किया गया।

(ङ) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र

एनएसआईसी अपने आठ "एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों" (एनटीएससी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करता है, जो ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलंगाना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), राजपुरा (पंजाब) और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) तथा नीमका (हरियाणा) में स्थित हैं:

i. मांग आधारित – उच्च कौशल और पारंपरिक व्यापारों के क्षेत्रों में उद्योग केन्द्रित प्रशिक्षण।

ii. एनएसबीएल मान्यता प्राप्त और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परंपरागत से लेकर उच्च–तकनीकी मशीनों और परीक्षण सुविधाओं पर तकनीकी परामर्श और जॉब वर्क के लिए सामान्य सुविधा सेवाएँ।

(च) कौशल विकास

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र वर्तमान में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों में नौकरी उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। केंद्र पारंपरिक से लेकर हाई–टेक मशीनरी और उपकरणों से सुसज्जित

हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, तकनीकी केंद्रों में 66,765 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया और 21.61 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) में, 47,838 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया और 14.11 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

(छ) एमएसएमई के लिए ई–मार्केटिंग/डिजिटल सेवा सुविधा

एनएसआईसी एमएसएमई ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से ई–मार्केटिंग सेवा की सुविधा भी प्रदान करता है। एनएसआईसी का मार्केटिंग पोर्टल एमएसएमई को बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। पोर्टल में 2.0 लाख से अधिक पंजीकृत सदस्यों का विशाल डेटाबेस है और इसमें लगभग एक लाख उत्पाद शामिल हैं।

(ज) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, जिसका शुभारंभ अक्टूबर, 2016 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करना और एससी/एसटी आबादी के बीच "उद्यमिता संस्कृति" को बढ़ावा देना है। एनएसएसएच स्कीम एससी/एसटी को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने तथा मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा लोक प्रापण नीति के अंतर्गत 4% खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए सशक्त बना रही है। इसका कार्यान्वयन एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किया जा रहा है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एनएसएसएच के अंतर्गत कई हस्तक्षेप या उप–योजनाएं शुरू की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम
2. क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस)
4. विभिन्न हस्तक्षेपों/उप–स्कीमों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समर्थन:
    - क. बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति
    - ख. प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति
    - ग. परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
    - घ. निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता/अंशदान/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति
    - ङ. सरकार द्वारा प्रवर्तित ई–कॉमर्स पोर्टलों में सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति
    - च. एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के लिए पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति

इसके अलावा, एससी/एसटी उद्यमियों को उनके व्यवसाय चक्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, देश के विभिन्न भागों (लुधियाना, आगरा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और बोधगया) में 15 राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित

किए गए हैं। ये कार्यालय उद्यम पंजीकरण, जेम नामांकन, निविदा भागीदारी, जागरूकता कार्यक्रम, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, सम्मेलन आदि आयोजित करके एससी/एसटी एमएसई की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी, एनएसआईसी, प्रौद्योगिकी केंद्र, विकास कार्यालय (डीएफओ) आदि जैसे संगठनों के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के संस्थागत नेटवर्क का उपयोग लक्षित लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

देश के एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों में राष्ट्रीय एससी–एसटी हब सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जो महत्वाकांक्षी और मौजूदा एससी/एसटी उद्यमियों को सीपीएसई, वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार आदि के साथ वार्ता करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करते हैं। लोक प्रापण नीति पर एक सीपीएसई सम्मेलन फरवरी, 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया है ताकि सीपीएसई को संवेदनशील बनाया जा सके, उन्हें मान्यता दी जा सके और सम्मानित किया जा सके, जो भारत सरकार की लोक प्रापण नीति के अनुसार अधिदेशित खरीद लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

दिनांक 31.12.2024 तक, 1.36 लाख से अधिक मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी/एसटी उद्यमियों को एनएसएसएच स्कीम के विभिन्न घटकों से लाभ प्राप्त हुआ है। निरंतर प्रयासों से, सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई की हिस्सेदारी 17 गुना से अधिक वृद्धि (मूल्य के संदर्भ में) तक पहुँच गई है, अर्थात वर्ष 2015–16 में 99.37 करोड़ रुपये (0.07%) से वर्ष 2023–24 में 1757.26 करोड़ (1.03%) तक। वित्त वर्ष 2024–25 में (दिनांक 31.12.2024 तक), सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी एमएसई की हिस्सेदारी 1.29% तक पहुँच गई है।

3.5. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

निम्समे की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1960 में तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नई दिल्ली में केंद्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में की गई थी। इस संस्थान का स्थानांतरण वर्ष 1962 में लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से पंजीकृत सोसायटी के रूप में हैदराबाद में कर दिया गया था।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के साथ, संस्थान ने अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने संगठनात्मक ढांचे को फिर से तैयार किया। नए अधिनियम के अनुरूप, संस्थान को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है। निम्समे को क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) द्वारा उत्कृष्ट, 3–स्टार रेटिंग दी गई है

3.5.1. उद्देश्य

3.5.1.1. निम्समे का प्राथमिक उद्देश्य मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षक के रूप में कार्य करना है। तकनीकी प्रगति और गतिशील बाजार के माहौल के साथ, संगठन ने एक प्रशिक्षण संस्थान से आगे बढ़कर परामर्श, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और सूचना सेवाओं को शामिल करने के लिए अपनी भूमिका का विस्तार किया है।

3.5.1.2. औद्योगीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप, संस्थान विकास और अन्वेषण के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ➢ स्टार्ट–अप और विकास के लिए नवाचार और इनक्यूबेशन

- उद्यमिता,
- कौशल विकास,
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और अंतरण,
- नीतिगत मुद्दे,
- एनजीओ नेटवर्किंग,
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ,
- क्लस्टर विकास,
- प्रबंधन परामर्श,
- गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएँ,
- डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग,
- वित्तीय सेवाएँ
- सूचना सेवाएं

3.5.2. कार्य

निम्समे के कार्यों का केंद्र बिंदु उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास होने की वजह से इस संस्थान की क्षमता निम्नलिखित पहलुओं की ओर अभिसारित हैः–

- सूचना प्रौद्योगिकी में नये आयाम में प्रशिक्षण।
- सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के जरिए विषयगत मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाना।
- आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना।
- कार्यक्रम मूल्यांकन।
- नीति निर्माण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन; और
- सूक्ष्म उद्यम निर्माण के माध्यम से वंचितों को सशक्त बनाना।

3.5.3. संगठन

संस्थान के शीर्ष निकाय का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण शाषी परिषद के माध्यम से किया जाता है। एमएसएमई मंत्रालय के माननीय मंत्री सोसायटी के अध्यक्ष और शाषी परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान के महानिदेशक द्वारा दिन–प्रतिदिन के कार्य और गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

संस्थान के क्रियाकलाप इसके चार उत्कृष्टता विद्यालयों अर्थात उद्यम विकास; उद्यम प्रबंधन; उद्यमिता एवं विस्तार तथा उद्यम सूचना एवं संचार के माध्यम से आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में विषय–केंद्रित केंद्र और प्रकोष्ठ शामिल हैं।

अकादमिक परिषद एक समन्वयकारी निकाय है जो प्रासंगिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन और आकलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों के साथ अकादमिक गतिविधियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है।

3.5.4. प्रमुख क्रियाकलाप और उपलब्धियां

वर्ष 2024–25 के दौरान संस्थान द्वारा संचालित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्य–निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष 2024–25 के दौरान निम्समे का कार्य–निष्पादन

क्र. सं.	क्रियाकलाप	01.04.2024 से 31.12.2024	
		कार्यक्रम	प्रतिभागी
1	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	2	30
2	राष्ट्रीय घोषित कार्यक्रम	5	75
3	अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	137	3952
4	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	242	7801
5	सहयोगी कार्यक्रम	6	2565
6	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	2	271
7	सेमिनार और कार्यशालाएँ	3	190
	कुल	**397**	**14884**

3.5.5. एटीआई स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों का स्व–रोजगार और वेतन रोजगार

वर्ष 2020–21 से अब तक के कार्यक्रमों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

वर्ष 2020 से 2025 तक वेतन रोजगार/स्वरोजगार वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिशत।

वर्ष	कार्यक्रम (अंकों में)	प्रशिक्षु (अंको में)	उपलब्धि (सफलता दर)				
			वेतन रोजगार		स्वरोजगार		कुल
			संख्या	%	संख्या	%	%
2020-21	77	2310	22	5.08	12	2.77	7.85
2021-22	74	2220	515	23.19	32	1.44	24.63
2022-23	64	1920	248	24.89	94	4.89	29.79
2023-24	40	1200	370	30.83	41	3.42	34.25
2024-25	55	1650	-	-	-	-	-

एटीआई स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण

3.6. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

3.6.1 जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई), वर्धा को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से अक्टूबर, 2008 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान के रूप में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) नाम से पुनर्गठित किया गया।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने दिनांक 20.09.2024 को एमगिरी, वर्धा का दौरा किया, कर्मचारियों को संबोधित किया, और संस्थान के विभागों और प्रयोगशालाओं का दौरा किया, खादी और ग्रामोद्योग के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के बारे में जानकारी ली

3.6.2. उद्देश्यः

संस्थान के मुख्य उद्देश्य, संस्था के बहिर्नियम में स्पष्ट रूप से दर्शाये गए हैंः–

- स्थायी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी एवं सुधार लाना ताकि खादी व ग्रामोद्योग का अस्तित्व मुख्य धारा में स्थापित हो सके।
- ग्राम स्वराज के लिए प्रतिष्ठित और विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करना।
- पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना।
- प्रायोगिक अध्ययन/क्षेत्र परीक्षण के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास करना।

3.6.3. कार्यः

एमगिरी की गतिविधियां इसके छह प्रभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक वरिष्ठ वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद् करते हैं।

i. **रासायनिक ग्रामोद्योग विभागः** इस विभाग का मुख्य ध्येय खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्य पदार्थ और रासायनिक ग्रामोद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी प्रदान करता है और इस क्षेत्र में कुटीर और लघु–स्तरीय इकाइयों की सुविधा के लिए किट, तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।

ii. **खादी एवं वस्त्र विभागः** इस विभाग द्वारा मुख्य रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके तथा गुणवत्ता आश्वासन सहायता प्रदान करके खादी संस्थानों में निर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्य संवर्धन

और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और विधियों को सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी कार्य करता है।

iii. **जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी–बूटी विभाग:** एमगिरी के इस विभाग ने ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद, जैव–उर्वरक और जैव–कीटनाशकों के उत्पादन और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज और गुणवत्ता आश्वासन की सरल नीतिया, विधियाँ तैयार की हैं। यह विभाग 'पंचगव्य' और उनकी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और सुविधाओं का उपयोग करके नए सूत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।

iv. **ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना विभाग:** इस विभाग को ग्रामोद्योग को सुविधाजनक बनाने लिए ऊर्जा के आमतौर से उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का लेखा–जोखा करने का दायित्व सौपा गया है, ताकि उन्हें ऊर्जा कुशल बनाया जा सके।

v. **ग्रामीण शिल्प एवं अभियांत्रिकी विभाग:** यह विभाग ग्रामीण कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और उत्पादकता को उन्नत करने और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए है।

vi. **प्रबंधन एवं व्यवस्थापन विभाग:** यह विभाग ग्रामोद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान/सहायता प्रदान करता है।

3.6.4. संगठन :

एमगिरी की एक सामान्य परिषद (जी.सी.) है, जिसके अध्यक्ष माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार हैं तथा एक कार्यकारी परिषद (ई.सी.) है, जिसके अध्यक्ष सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार संस्थान के निदेशक सामान्य परिषद तथा कार्यकारी परिषद दोनों के सदस्य सचिव होते हैं।

3.6.5. मुख्य पहलें

i. एमगिरी कर्मचारियों ने वैज्ञानिक समुदाय और केवीआई क्षेत्र के बीच अनुसंधान कार्य और ज्ञान साझा करने की प्रस्तुति के लिए 55 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों में भाग लिया।

ii. एमगिरी ने भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे बनाए रखने तथा उत्पादों में पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए विभिन्न उत्पाद/मापदंडों के नमूनों के लिए 61 एजेंसियों जैसे संस्थानों, उद्यमियों, छात्रों, किसानों आदि को गुणवत्ता परीक्षण और मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान की हैं।

iii. एमगिरी ने 13 नए उत्पाद विकसित किए हैं।

iv. एमगिरी ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए 09 मशीन/उत्पाद/प्रक्रिया विकास पर कार्य कर रहा है।

v. अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 06.09.2024 को केवीआईसी और एमगिरी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमगिरी का फोकस ग्रामीण उद्योगों को वैश्विक सक्षमता के साथ सहायता देने पर केंद्रित है, जो ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता

को बढ़ाने के केवीआईसी के लक्ष्य के अनुरूप है। समझौता ज्ञापन में दोनों संस्थानों के बीच सहायता फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप दिया गया है, तथा यह परिभाषित किया गया है कि एमगिरी किस प्रकार से केवीआईसी को और इसी प्रकार दोनों एक–दूसरे को तकनीकी सेवाएं प्रदान करेंगे।

मुख्य आकर्षण

अपरिपक्व और बेकार संतरों से प्राप्त पेक्टिन का मानकीकरण

अपशिष्ट पॉलिमर से चिपकने वाला पदार्थ का विकास।

3.6.6. एमगिरी को वित्तीय सहायता

एमएसएमई मंत्रालय, एमगिरी को अपने क्रियाकलापों के संचालन के लिए धन मुहैया कराता है। पिछले दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान एमगिरी को उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा संवितरित धनराशि
2022-23	1106.61
2023-24	1275.72
2024-25 (दिनांक 21.01.2025 तक)	1639.00

अध्याय **4**

एमएसएमई मंत्रालय और उसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें

प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के आधार के रूप में कार्य करते हैं, जो रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। ये पहलें **ऋण और वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास, विपणन सहायता, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन** तथा **अन्य सेवाओं** सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इसके साथ ही, इन स्कीमों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा में सुधार करके और सतत विकास सुनिश्चित करके एमएसएमई को सुदृढ़ बनाना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सशक्त हो सके। एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों की विस्तृत सूची का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

4.1 ऋण और वित्तीय सहायता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और सततता लिए किफायती तथा पर्याप्त ऋण की उपलब्धता आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई स्कीमें शुरू की हैं, जिससे वे अपनी प्रचालन और विस्तार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस विषय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्कीमों का विवरण निम्नानुसार हैः

I. पीएम विश्वकर्मा स्कीम

सितंबर, 2023 में 13,000 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक परिव्यय के साथ शुरू की गई 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का उद्देश्य कारीगरों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है, उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। यह स्कीम कारीगरों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने, उनके व्यापार, सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करती है।

उद्देश्यः

- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना, ताकि वे इस स्कीम के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र बन सकें।
- उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।

- उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना और ब्याज छूट देकर ऋण की लागत को कम करना।
- विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- ब्रांड प्रचार और बाजार संपर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके।

मुख्य विशेषताएं:

इस स्कीम में कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है:

- **मान्यता:** पीएम विश्वकर्मा प्रमाण–पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता।
- **कौशल उन्नयन:** 5–7 दिनों का मूल प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, जिसमें प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा मिलेगा;
- **टूलकिट प्रोत्साहन:** मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ में ई–वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
- **ऋण सहायता:** भारत सरकार की 8% तक की छूट सहित, 5% रियायती ब्याज दर पर, 18 माह एवं 30 माह की अवधि के साथ क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की दो किस्तों में 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त 'उद्यमी विकास ऋण' प्रदान करना। बेसिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लाभार्थी 1 लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किस्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरा ऋण किश्त उन लाभार्थियों को उपलब्ध होगा, जिन्होंने पहली किश्त प्राप्त कर ली है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है तथा अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- **डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:** प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में प्रति डिजिटल लेनदेन 1 रुपये की राशि, अधिकतम 100 मासिक लेनदेन तक जमा की जाएगी।
- **विपणन सहायता:** कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जेम जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

शामिल व्यापार

i. बढ़ई	ii. मोची
iii. नाविक/नाव निर्माता	iv. राजमिस्त्री
v. अस्त्रकार	vi. टोकरी/चटाई/झाड़ू–निर्माता/कयर बुनकर
vii. लोहार	viii. गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)

ix. हथौड़ा और टूल किट निर्माता	x. नाई
xi. मरम्मत करने वाला	xii. मालाकार
xiii. सुनार	xiv. धोबी
xv. कुम्हार	xvi. दर्जी
xvii. मूर्तिकार	xviii. मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले

- यह स्कीम लाभार्थियों को उद्यम सहायता मंच पर औपचारिक एमएसएमई पारितंत्र में 'उद्यमी' के रूप में शामिल करेगी।

उपलब्धियाँ

- मात्र 16 माह में, 25 लाख से अधिक लाभार्थियों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, जबकि 5 वर्षों में 30 लाख का लक्ष्य रखा गया था।
- पंजीकरण:
  - 3–स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से 26.79 लाख कारीगरों के आवेदनों को सत्यापित और अनुमोदित किया गया और स्कीम के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रदान किया गया।
- कौशल उन्नयन:
  - 16.68 लाख लाभार्थियों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
- टूलकिट ई–वाउचर:
  - 13.20 लाख लाभार्थियों को टूलकिट के लिए ई–वाउचर जारी किए जा रहे हैं।
- ऋण सहायता:
  - रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक–मुक्त ऋण के रूप में 2.82 लाख लाभार्थियों के लिए 2,442.63 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए।
- डिजिटल प्रोत्साहन:
  - 6.98 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्षम हैं।
- विपणन सहायता:
  - 29,866 को जेम, 1,711 को ओएनडीसी और 126 को फैबइंडिया पर शामिल किया गया। कारीगरों और उनके शिल्प और कौशल को बढ़ावा देने के लिए समग्र देश में 72 व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं।
  - 27 राज्य–स्तरीय प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं, जिनसे 1,350 कारीगरों को लाभ प्राप्त हुआ।

II. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका उद्देश्य

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। पीएमईजीपी वर्ष 2008–09 से प्रचालित है और इसे 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, इस स्कीम का कार्यान्वयन केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी), कयर बोर्ड (कयर से संबंधित कार्यकलापों के लिए) और बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

मुख्य उद्देश्यः

- इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व–रोजगार के उद्यमों/परियोजनाओं /सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह स्कीम देश के परम्परागत तथा भावी कारीगरों और ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को सतत और निरंतर रोजगार प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके।

मुख्य विशेषताएं :

- नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 25% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 15% शहरी क्षेत्रों के लिए तथा विशेष श्रेणी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% और शहरी क्षेत्रों के लिए 25% प्रदान की जाएगी।
- विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रु. और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रु. है।
- पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सभी नई इकाइयों को इकाई के वास्तविक सत्यापन और पीएमईजीपी लाभार्थी ऋण खाते में मार्जिन मनी के समायोजन से पहले उद्यम पोर्टल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।
- इकाइयों द्वारा उत्पादों और सेवाओं का विवरण प्राप्त करने और इनके लिए बाजार संपर्क सृजित करने हेतु पीएमईजीपी इकाइयों की जियो–टैगिंग शुरू की गई है।
- जनवरी, 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात गुजराती, मलयालम, पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, मराठी, तमिल, असमिया, कन्नड़, उड़िया और तेलुगु में भौतिक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

अभीष्ट लाभार्थी :

- स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर श्रेणी से संबंधित भावी उद्यमियों को उच्च सब्सिडी के लिए विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।

मौजूदा पीएमईजीपी/ आरईजीपी/ मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए द्वितीय ऋण

- वर्ष 2018–19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी पिछले अच्छे कार्य–निष्पादन के आधार पर

उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ सहायता प्रदान की जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

उपलब्धियां:

- ➢ वित्त वर्ष 2008–09 में इसकी शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2024–25 तक (दिनांक 31.12.2024 तक), कुल 9.87 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 26,124.27 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है और 80.53 लाख लोगों को अनुमानित रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- ➢ पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित लगभग 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शेष 20% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- ➢ 50% से अधिक इकाइयां महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के स्वामित्व में हैं।
- ➢ लगभग 15% इकाइयां आकांक्षी जिलों में स्थापित की गई हैं।
- ➢ वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23 वर्ष 2023–24 और चालू वर्ष के दौरान स्कीम का कार्य–निष्पादन नीचे दिया गया है: –

वित्तीय वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
2020-21	2,188.80	74,415	5,95,320
2021-22	2,977.66	1,03,219	8,25,752
2022-23	2,722.17	85,167	6,81,336
2023-24	3,093.88	89,118	7,12,944
2024-25*	1,160.19	28,503	2,28,024

** वित्तीय वर्ष 2024–25 दिनांक 31.12.2024 तक के आंकड़े*

III. एमएसएमई के कार्य–निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम

रैम्प एक विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसका कुल परिव्यय 6062.45 करोड़ रुपये (808 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपये (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) विश्व बैंक समर्थित है तथा शेष का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया गया है। रैम्प कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई की ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच में सुधार करना है।

उद्देश्य:

- ➢ गतिवर्धन केंद्र– एमएसएमई संवर्धन और विकास में राज्य सहयोग
- ➢ प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

➢ एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्तपोषण बाजार को सुदृढ़ करना।

➢ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की प्रभावशीलता को बढ़ाना, और एमएसई एवं महिला स्वामित्व वाले एमएसई की हरित पहल के लिए गारंटी को बढ़ावा देना।

➢ एमएसई को विलंबित भुगतान के बोझ को कम करना।

मुख्य विशेषताएंः

➢ रैम्प स्कीम राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच, ऋण आदि को बढ़ावा देकर एमएसएमई के कार्य–निष्पादन को बढ़ाएगी।

➢ रैम्प स्कीम में कार्यक्रम अवधि (वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27) के दौरान 5.5 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गयी है।

➢ रैम्प कार्यक्रम के तत्वावधान में, मंत्रालय ने चार उप–स्कीमों का शुभारंभ किया है–

(i) एमएसई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण (एमएसई–गिफ्ट)ः जो चयनित हरित प्रौद्योगिकियों के लिए ब्याज छूट और गारंटी प्रदान करता है।

(ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश संवर्धन के लिए एमएसई स्कीम (एमएसई–स्पाइस) जो सीई समाधानों का कार्यान्वयन करने के लिए मौजूदा एमएसई को पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।

(iii) एमएसई–ओडीआर का उद्देश्य एमएसई को विलंबित भुगतानों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान और कानूनी सेवाओं के लिए सहायता हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना है।

(iv) एमएसएमई टीम स्कीम को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के सहयोग से चलाने के लिए तैयार किया गया है, जो व्यापार आधारित विकास अवसरों की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करेगा और ऑनबोर्डिंग कार्यशालाओं का आयोजन करके, उत्पाद सूचीकरण और सहयोग /खाता प्रबंधन प्रदान करके एमएसएमई की ई–कॉमर्स सक्षमता में सहायता करेगा।

➢ राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद

- माननीय एमएसएमई मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव सदस्य शामिल हैं।
- परिषद के कार्यों में अंतर–केंद्रीय मंत्रिस्तरीय/विभागीय समन्वय, केंद्र–राज्य सहयोग और रैम्प सहित एमएसएमई क्षेत्र में अधिदेशित सुधारों की प्रगति की देखरेख करना शामिल है।
- अब तक, माननीय केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में और माननीय राज्य मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 03 (तीन) राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद बैठकें आयोजित की गई हैं।

तीसरी एमएसएमई परिषद की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी

अभीष्ट लाभार्थी:

➢ प्रत्येक उद्यम पंजीकृत एमएसएमई

उपलब्धियां:

➢ सभी 36 राज्य/संघ शासित प्रदेश रैम्प स्कीम में भाग ले रहे हैं। इन सभी को कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) तैयार करने के लिए 5–5 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जो संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए एक रोडमैप होगा।

➢ 34 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से कार्यनीतिक निवेश योजनाएं (एसआईपी) प्राप्त हुई हैं।

➢ इन 34 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की एसआईपी में चयनित परियोजना प्रस्तावों के लिए कुल 2966.144 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

➢ रैंप उप–स्कीम (गिफ्ट/स्पाइस/टीम) की प्रगति का ब्यौरा

- 19 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने एमएसई गिफ्ट और एमएसई स्पाइस स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- टीम पोर्टल तैयार है और भागीदारी के लिए एमएसएमई का पंजीकरण शुरू हो गया है।
- पहल के लिए विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) को सूचीबद्ध करने का कार्य शुरू हो गया है और 21 एसएनपी पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण भी प्रारंभ हो गया है।

IV. एमएसई के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई)–एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान

सीजीटीएमएसई स्कीम के अंतर्गत, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए गारंटी प्रदान की जाती हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- इस स्कीम में पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रति उधार इकाई 5 करोड़ रुपये (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) तक की गीरवी रहित ऋण सुविधा (अवधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी) प्रदान की जाती है।
- इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटी कवर ऋण की मात्रा और लाभार्थी के प्रकार के आधार पर 90% तक है।
- स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) के रूप में बकाया ऋण राशि पर मामूली राशि ली जाती है।
- महिला उद्यमियों के महत्व को स्वीकार करते हुए, देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज को बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।

ऋण गारंटी स्कीम का सुदृढ़ीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रु. की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम को नया रूप दिया गया है और बजट घोषणा 2023–24 के बाद, सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रु. डाला गया है।

कोष में निधियों के संचार को ध्यान में रखते हुए पुननिर्मित सीजीटीएमएसई के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं:

I. **बढ़ी हुई अधिकतम सीमा:** गारंटी कवरेज सीमा को 2 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है।

II. **ऋण की कम लागत:** वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) को कम कर दिया गया है, जिससे ऋण की कुल लागत कम हो गई है।

III. **छूट सीमा में वृद्धि:** कानूनी कार्रवाई की छूट के लिए सीमा को 5 लाख रु.से बढ़ाकर 10 लाख रु. कर दिया गया है।

उपलब्धियां:

- इसके शुभारंभ से, सीजीटीएमएसई स्कीम से 1 करोड़ से अधिक उद्यम लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 8.07 लाख करोड़ रुपये के गारंटी कवर के लिए 1.01 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- सीजीटीएमएसई वित्तपोषण के बाद इस स्कीम के लाभार्थियों ने अपने कारोबार और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय सुधार देखा है। इससे प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, बाजार विस्तार और आर्थिक एवं सामाजिक दोनों विकास सहित एमएसई क्षेत्र के कई प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- इस स्कीम में महत्वपूर्ण भौगोलिक विस्तार देखा गया है, जिसमें समग्र देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए वंचित क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोतर तक पहुंचने पर जोर दिया गया है।

➢ इस स्कीम से 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ हुआ है, जो एमएसई क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी व्यापक प्रयोज्यता को उजागर करता है।

➢ इसका प्रभाव केवल प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों तक ही सीमित नहीं है; अपितु इस स्कीम का लाभ द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों तक भी पहुंचा है, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला है और औद्योगिक विकास का विकेन्द्रीकरण हुआ है।

➢ दावों के निपटारे में सीजीटीएमएसई अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है।

स्कीम का विवरण और नवीनतम परिपत्र सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtmse.in पर उपलब्ध हैं।

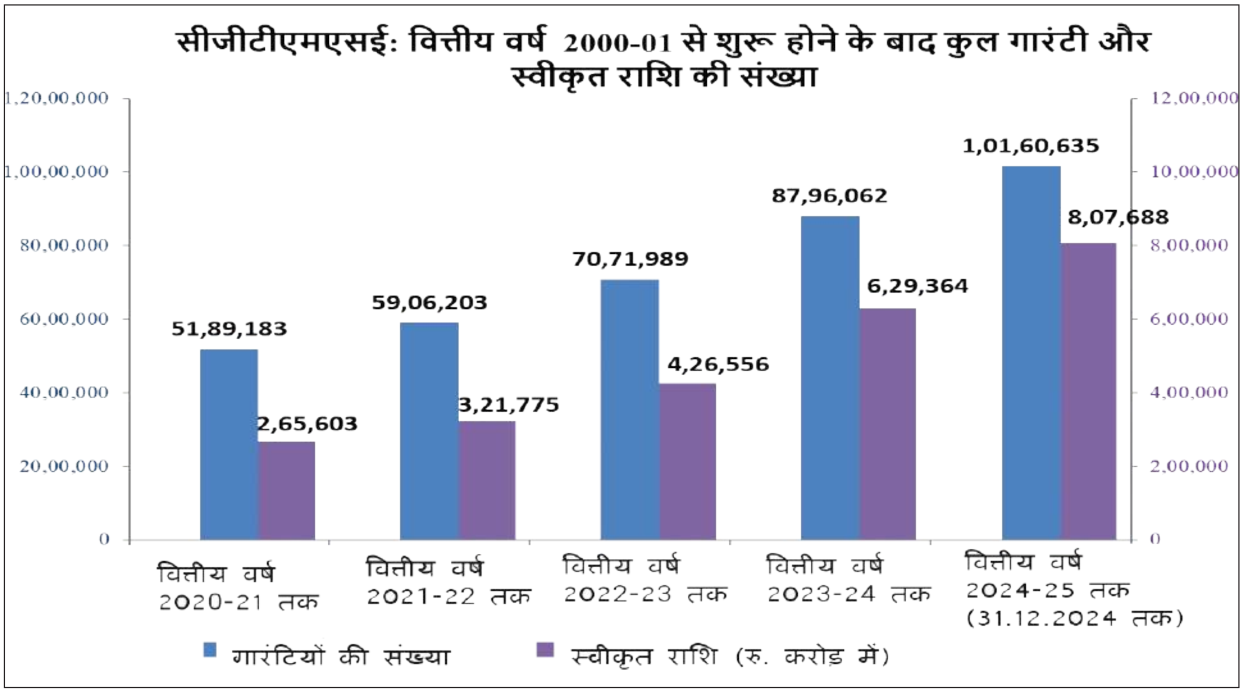

4.2 कौशल विकास और प्रशिक्षण

V. नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)

एस्पायर स्कीम का अनुमोदन 194.87 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक जारी रखने के लिए किया गया है। मंत्रालय की इनक्यूबेशन स्कीम के साथ अभिसरण के कारण प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) घटक को वापस ले लिया गया। संशोधित दिशानिर्देश निम्नलिखित उद्देश्यों और कार्यकलापों के साथ दिनांक 28.01.2022 को जारी किए गए थे।

उद्देश्य:

➢ रोजगार सृजन और बेरोजगारी कम करना,

➢ भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना,

➢ एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना

स्कीम के अंतर्गत घटक का विवरणः

(i) **आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई)ः** ग्रामीण एवं अल्प सेवित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने सहित कृषि–ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रदान करने और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के लिए एक स्थापित निकाय हैं।

एलबीआई के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- ➢ औपचारिक, स्केलेबल सूक्ष्म–उद्यम निर्माण की सुविधा प्रदान करके रोजगार के अवसर सृजित करना।
- ➢ बेरोजगारों, मौजूदा स्वरोजगार/मजदूरी कमाने वालों को नई प्रौद्योगिकियों में कौशल, कौशल उन्नयन, पुनः कौशल प्रदान करना।
- ➢ आस–पास के औद्योगिक क्लस्टरों को कुशल मानव पूंजी प्रदान करना और एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सशक्त करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना।

स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों के लिए पात्रता का विवरण :

- ➢ भारत सरकार/राज्य सरकार की कोई एजेंसी/संस्थान अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र। केवल संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए पात्र एजेंसियों को 100 लाख रु. तक और प्रचालन व्यय सहायता के रूप में 100 लाख रु. की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ➢ इनक्यूबेशन और/या कौशल विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक निष्पादन करने में अनुभव रखने वाली कोई भी गैर–लाभकारी निजी संस्था एलबीआई स्थापित करने के लिए पात्र हो सकती हैं – पात्र एजेंसियों को केवल संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 75 लाख रुपये तक की सहायता और प्रचालन व्यय सहायता के रूप में 100 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

उपलब्धियाँः

दिनांक 31.12.2024 तक 109 आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) और 22 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) को मंजूरी दी गई है

- ➢ 77 एलबीआई और 14 टीबीआई पहले से ही क्रियाशील हैं।
- ➢ कुल 77 क्रियाशील एलबीआई में 1,08,141 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18,044 प्रशिक्षु स्वरोजगार में संलग्न थे और 13,072 प्रशिक्षु कृषि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थे।
- ➢ इसके अतिरिक्त, अब तक 650 सूक्ष्म उद्यमों की सहायता/ स्थापना की गई है।
- ➢ एस्पायर एफ़ओएफ़ के अंतर्गत 310 करोड़ रु. के कुल कोष में से 11 एआईएफ को कुल 217.5 करोड़ रु. की प्रतिबद्धता की गई है।

(ii) **सिड्बी द्वारा प्रबंधित एस्पायर एफओएफः** नवपरिवर्तन, उद्यमिता, विनिर्माण और कृषि आधारित क्षेत्र में सेवा प्रदाय की विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं के साथ फार्वड और बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने वाले क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी और व्यावसाय उद्यम विकसित करने में सफल होने के लिए सहायता और पथ–प्रदर्शन के आकांक्षी नए स्टार्ट अप में,

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सृजित किया गया हैं। सिडबी एफओएफ का कुल कोष 310 करोड़ रु. है।

VI. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, दिव्यांग जनों, भूतपूर्व–सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व–रोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से किसी एक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों का संवर्धन, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इस स्कीम (ईएसडीपी) का कार्यान्वयन समग्र देश में व्यापक रूप से किया जा रहा है। दिनांक 25.3.2022 को अनुमोदित ईएसडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, ईएसडीपी स्कीम के पांच घटक हैं।

- **उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)**– अवधि एक दिवसीय, 50–100 प्रतिभागी, लागत 20,000 रु. प्रति कार्यक्रम।
- **उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ई–एसडीपी)**– न्यूनतम 6 सप्ताह का कार्यक्रम, 25 प्रतिभागी, लागत– 1,25,000 रु. प्रति कार्यक्रम।
- **अग्रिम ई–एसडीपी**– यह घटक नया जोड़ा गया है, जिसकी लागत आईआईटी, आईआईएम, आईसीएआर, बीएआरसी, राज्य या केन्द्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10.00 लाख रु. (अधिकतम) है।
- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)**–न्यूनतम एक सप्ताह, 20–25 प्रतिभागी, लागत– 50,000 रु. प्रति कार्यक्रम।
- **अग्रिम एमडीपी**– 15वें वित्त आयोग के लिए अनुमोदित दिशा–निर्देशों में इस घटक को जोड़ा गया है, जिसका आयोजन ई–एसडीपी घटकों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जाता है, तथा इसकी लागत प्रति कार्यक्रम 10.00 लाख रु. है।

आईआईटी, कानपुर द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) पर उन्नत ईएसडीपी उद्यमिता पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया

उद्यमियों को सशक्त बनाने पर उन्नत एमडीपीः 'लघु व्यवसाय स्वामियों के निर्णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक कौशल', एनआईटी कालीकट

4.3 अवसंरचना विकास

VII. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)

1. पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका मुख्य फोकस परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को सामूहिक रूप से मूल्य वर्धित उत्पादन के लिए विनिर्माण उद्यमों के रूप में संगठित करने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप कारीगरों की आय में सतत वृद्धि होती है। स्फूर्ति के अंतर्गत कवर किए गए परंपरागत क्षेत्रों में वस्त्र, हस्तशिल्प, बांस, कृषि प्रसंस्करण, शहद, खादी, कयर आदि शामिल हैं। भौतिक अवसंरचना के निर्माण, क्षमता विकास, नई मशीनों की खरीद, डिज़ाइन हाउस की स्थापना, कच्चे माल की खरीद, बाजार लिंकेज आदि के लिए क्लस्टर के समग्र विकास हेतु स्कीम के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. इस स्कीम में समाज के वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिनांक 31.12.2024 तक, स्फूर्ति के अंतर्गत 513 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल वित्तीय सहायता लगभग 1,333 करोड़ रुपये थी, जिससे लगभग 3.00 लाख कारीगरों को लाभ प्राप्त हुआ। स्वीकृत क्लस्टरों में से 62 क्लस्टर सभी एससी/एसटी क्लस्टर हैं और 68 क्लस्टर सभी महिला क्लस्टर हैं। इसके अलावा, 89 क्लस्टर 86 आकांक्षी जिलों में स्थित हैं, जो इन सीमांत क्षेत्रों के विकास में योगदान दे रहे हैं। दिनांक 30.9.2022 से आगे भी इस स्कीम को जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

VIII. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क्लस्टर के विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) को लागू कर रहा है। एमएसई–सीडीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह एक मांग संचालित स्कीम है। यह एक मांग आधारित स्कीम है।

उद्देश्य:

- मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- नए औद्योगिक क्षेत्रों / एस्टेट्स / फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना / मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु।

स्कीम के मुख्य घटक:

क. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):

- भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत के 70% (5.00 करोड़ रु. – 10.00 करोड़ रु.) और परियोजना लागत के 60% (10.00 करोड़ रु. – 30.00 करोड़ रु.) तक सीमित होगा।
- पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों तथा 50% से अधिक सूक्ष्म/ ग्राम अथवा महिला स्वामित्व वाली अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों वाले समूहों के मामले में, भारत सरकार का अनुदान क्रमशः परियोजना लागत का 80% (5.00 करोड़ रुपये – 10.00 करोड़ रुपये) और परियोजना लागत का 70% (10.00 करोड़ रुपये – 30.00 करोड़ रुपये) होगा।
- 30.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सीएफसी परियोजनाओं पर भी विचार किया जाता है, तथापि भारत सरकार की सहायता अधिकतम 30.00 करोड़ रुपये की पात्र परियोजना लागत पर ही दी जाएगी।

ख. अवसंरचना विकास:

- नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत (5.00 करोड़ रुपये – 15.00 करोड़ रुपये) के 60% तक सीमित होगा तथा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत (5.00 करोड़ रुपये – 10.00 करोड़ रुपये) का 50% होगा।
- पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और 50% से अधिक सूक्ष्म/ग्राम या महिला स्वामित्व वाली या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों वाले क्लस्टरों के मामले में, भारत सरकार का अनुदान नई औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 70% (5.00 करोड़ रुपये – 15.00 करोड़ रुपये) और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए परियोजना लागत का 60% (5.00 करोड़ रुपये – 10.00 करोड़ रुपये) होगा।
- 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली आईडी परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार की सहायता अधिकतम 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये की पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।

उपलब्धियां:

- ➢ स्कीम की शुरूआत से अब तक, कुल 593 परियोजनाओं में से 240 परियोजनाएँ जारी हैं और 353 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- ➢ स्वीकृत 593 परियोजनाओं में से, लगभग 601 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 29 परियोजनाओं को भारत सरकार की 392 करोड़ रुपये की सहायता के साथ जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान मंजूरी दी गई।

4.4 विपणन सहायता

IX. खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम

एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद और विपणन सहायता स्कीम शुरू की गई है। यह स्कीम देश–भर में आयोजित राष्ट्रीय/अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो/राष्ट्रीय कार्यशाला/सेमिनार आदि में आयोजन/भागीदारी जैसी बाजार पहुंच पहल प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक प्रापण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाजार संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नई पहलें की गई हैं::

- सूक्ष्म उद्यमों द्वारा बार कोड को अपनाना।
- सूक्ष्म उद्यमों द्वारा ई–कॉमर्स को अपनाना।
- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना।

4.5 प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता

X. एमएसएमई चैंपियंस स्कीम

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम एकल उद्देश्य के साथ विभिन्न स्कीमों और कार्यकलापों को एकीकृत, समन्वित और अभिसारित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। यह स्कीम स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए तैयार की गई। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत 3 घटक हैं, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(क) एमएसएमई–सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम

(ख) एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम

(ग) नवपरिवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए) स्कीम

उद्देश्य:

- क्लस्टरों और उद्यमों का चयन करना तथा उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपशिष्ट को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच एवं उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना।

क. एमएसएमई–सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम

अप्रैल, 2022 में शुरू की गई एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं :

- **जागरूकता:** एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
- **एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन:** जेड प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई को एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना।
- **जेड प्रमाणीकरण के लाभ:** अपशिष्ट में पर्याप्त कमी, उत्पादकता और परिचालन दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ऊर्जा संरक्षण में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, बाजार अवसरों का विस्तार।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना:** एमएसएमई को उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणाली को मानकीकृत करने के लिए प्रेरित करना।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** मूल्यांकन, सहायता, प्रबंधकीय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर केंद्रित है।
- **स्थायित्व:** दीर्घकालिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

सहायता की प्रकृति :

- प्रमाणीकरण की लागत: स्तर 1: कांस्य 8,000/–रुपये, स्तर 2: रजत : 32,000/– रुपये, स्तर 3: स्वर्ण : 72,000/– रुपये
- जेड प्रमाणन लागत पर सब्सिडी: ज्वाईनिंग पुरस्कार: 10,000/–रुपये (यदि लाभ उठाया जाता है, तो प्रभावी रूप से कांस्य प्रमाणन निःशुल्क होगा)। सब्सिडी दर सूक्ष्म उद्यमों के लिए 80%, लघु उद्यमों के लिए 60%, मध्यम उद्यमों के लिए 50%, महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 100% सब्सिडी
- अतिरिक्त सब्सिडी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई और पूर्वोत्तर/हिमालयी/वामपंथी उग्रवाद/द्वीपीय क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों में स्थित उद्यमों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी

  एमएसएमई के लिए 5% जो स्फूर्ति (परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम) और एमएसई–सीडीपी (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम) का भी हिस्सा हैं
- परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायता: 50,000/– रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी के साथ बहुल परीक्षण/प्रणाली/उत्पाद प्रमाणन के लिए कुल लागत का 75%।
- प्रारम्भिक सहायता/परामर्श सहायता: एमएसएमई को उच्च प्रमाणन स्तर प्राप्त करने में मदद करने की दृष्टि से, सहायता एवं परामर्श हेतु 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- जीरो इफेक्ट समाधान हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता प्रदान करना: जीरो इफेक्ट समाधान, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उपलब्धियां:

- इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,01,735 एमएसएमई इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए जिनमें से 1,07,435 एमएसएमई वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) में पंजीकृत हुए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) में एमएसएमई को 72,794 कांस्य, 515 रजत और 998 स्वर्ण प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए हैं तथा शेष पंजीकृत एमएसएमई के लिए प्रमाणन प्रक्रियाधीन है।
- 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी–अपनी औद्योगिक नीतियों में जेड को शामिल किया है और जेड प्रमाणित एमएसएमई को अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रहे हैं।
- 19 वित्तीय संस्थानों ने जेड प्रमाणित एमएसएमई को प्रसंस्करण शुल्क और ब्याज दर में रियायतों के रूप में प्रोत्साहन देना शुरू किया तथा इन्हें अधिसूचित किया।
- महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए प्रमाणन लागत प्रभावी रूप से शून्य कर दी गई है।

II. एमएसएमई–नवपरिवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए) स्कीम

एमएसएमई– नवपरिवर्तन एमएसएमई के लिए एक पहल है जिसे एकल मोड दृष्टिकोण में इनक्यूबेशन, डिजाइन क्रियाकलाप एवं आईपीआर सुरक्षा में नवाचार को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य एमएसएमई के बीच भारत की नवाचार क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना है। नवाचार के लिए हब के रूप में कार्य करते हुए, यह पहल विचारों को व्यवहार्य व्यावसायिक प्रस्तावों में बदलने और मार्गदर्शन करने की सुविधा प्रदान करती है जिससे सीधे समाज लाभान्वित हो सकता हैं तथा बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के 4 उप–घटक हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:

क. एमएसएमई–नवपरिवर्तन (इनक्यूबेशन)

इस स्कीम का उद्देश्य अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना तथा विनिर्माण एवं ज्ञान–आधारित एमएसएमई में उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम के लक्षित लाभार्थी उद्यम–पंजीकृत एमएसएमई और अन्य संस्थाएँ हैं। इस स्कीम का कार्यान्वयन एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। दिसंबर, 2024 तक, इस स्कीम के अंतर्गत 10.44 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

सहायता की प्रकृति : नवीन विचारों को विकसित करने और उनका पोषण करने के लिए मेजबान संस्थानों (एचआई) को प्रति विचार 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024–25 में हुई उपलब्धि/स्थिति का ब्यौरा (दिनांक 31.12.2024 तक):

- ➢ स्वीकृत मेजबान संस्थान (एचआई): समग्र भारत में कुल 780 एचआई।
- ➢ विचार प्रस्तुतियाँ: 11 सितंबर, 2024 को माननीय एमएसएमई मंत्री जी द्वारा शुरू किए गए आइडिया हैकाथॉन 4.0

(युवा नवोन्मेषक) के अंतर्गत 29,237 विचार प्राप्त हुए। आगे की जाँच के लिए एचआई द्वारा 8,936 विचारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

ख. एमएसएमई–नवपरिवर्तन (डिजाइन)

इस घटक का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता/ डिजाइन बंधुत्व के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच तैयार करना है। इसका उद्देश्य नए उत्पाद विकास, उनके निरंतर सुधार और मौजूदा/नए उत्पादों में मूल्य संवर्धन के लिए वास्तविक समय की डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श और लागत प्रभावी उपाय प्रदान करना है।

इस स्कीम के लक्षित लाभार्थी उद्यम–पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई हैं। इस स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। दिसंबर, 2024 तक, इस स्कीम के अंतर्गत 0.68 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

सहायता की प्रकृति :

- डिजाइन परियोजनाः कुल परियोजना लागत का 75% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो अधिकतम 40 लाख रुपये तक होगा।
- छात्र परियोजनाः कुल परियोजना लागत का 75% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक होगा।

वर्ष 2024–25 में हुई उपलब्धि/स्थिति का ब्यौरा (दिनांक 31.12.2024 तक):

- 11 एनआईटी, 6 आईआईटी, 1 आईआईएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- स्वीकृत कुल व्यावसायिक डिजाइन/छात्र परियोजनाओं की संख्याः 47

ग. एमएसएमई–नवपरिवर्तन (आईपीआर)

इस स्कीम का उद्देश्य दो प्रमुख क्रियाकलापों पर केंद्रित करते हुए भारत में बौद्धिक संपदा (आईपी) संस्कृति को सुदृढ़ करना हैः

- एमएसएमई के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भारतीय अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक तथा नवाचार को बढ़ावा देना है।
- एमएसएमई द्वारा विकसित विचारों, तकनीकी नवाचारों और व्यावसायिक कार्यनीतियों की रक्षा करने वाले उपायों को लागू करना, उनके व्यावसायीकरण और आईपीआर उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सक्षम करना।

स्कीम के अभीष्ट लाभार्थी वैध उद्यम पंजीकरण वाला कोई भी आवेदक/संस्था/इकाई हो सकती है। इस स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसंबर, 2024 तक, स्कीम के अंतर्गत 8.91 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

सहायता की प्रकृति :

- बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र (आईपीएफसी) को माइलस्टोन आधारित (तीन या अधिक) किस्तों में 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

- पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जी.आई.), डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति करना।
- आईपीआर घटक के अंतर्गत पात्र आवेदकों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:
  - विदेशी पेटेंट: 5.00 लाख रुपये तक
  - घरेलू पेटेंट: 1.00 लाख रुपये तक
  - जीआई पंजीकरण: 2.00 लाख रुपये तक
  - डिजाइन पंजीकरण: 0.15 लाख रुपये तक
  - ट्रेडमार्क: 0.10 लाख रुपये तक

वर्ष 2024–25 में हुई उपलब्धि/स्थिति का ब्यौरा (दिनांक 31.12.2024 तक):

बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्रों (आईपीएफसी) द्वारा निम्नलिखित संख्या में आईपी को मंजूरी दी गई है:

i.	पेटेंट की संख्या	73
ii.	ट्रेडमार्क की संख्या	616
iii.	डिजाइन पंजीकरण की संख्या	37
iv.	जीआई पंजीकरण की संख्या	1

घ. एमएसएमई–नवपरिवर्तन (डिजिटल)

डिजिटल एमएसएमई स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई के बीच डिज़िटाइज़ेशन एवं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य इन उद्यमों को उनके उत्पादन और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल उपकरणों, अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके सशक्त बनाना है, जिससे घरेलू और वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।

स्कीम के अभीष्ट लाभार्थी उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई हैं।

सहायता की प्रकृति :

- एमएसएमई के ऑनलाइन उपस्थिति हेतु वेबसाइट/ऐप का प्रावधान।
- एमएसएमई की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम), ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), वित्तीय प्रबंधन, कच्चा माल प्रबंधन, आदि का ध्यान रखने के लिए पूर्व–विकसित एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सूट प्रदान करना।

iii. एमएसएमई प्रतिस्पर्धा (लीन)

मार्च, 2023 में शुरू की गई, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा (लीन) स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लीन उपकरणों तथा तकनीकों के कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक पहल है। बेहतर तरीके से स्थापित और प्रभावी ये पद्धतियाँ, एमएसएमई क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य–दक्षता में सुधार और प्रक्रियाओं के अनुकूलन पर केंद्रित हैं।

इस स्कीम के अभीष्ट लाभार्थी उद्यम–पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई हैं। इस स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। दिसंबर, 2024 तक, इस स्कीम के अंतर्गत 6.57 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

सहायता की प्रकृति :

कार्यान्वयन की लागत :

	आधार स्तर	मध्यवर्ती स्तर	अग्रिम स्तर
कार्यान्वयन लागत (अधिकतम प्रति इकाई)	मुफ्त	1,20,000 रुपये + टैक्स	2,40,000 रुपये + टैक्स
लाभार्थी का योगदान	लागू नहीं	कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात 12,000 रुपये + प्रति इकाई टैक्स (अधिकतम)	कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात 24,000 रुपये + प्रति इकाई कर (अधिकतम)
भारत सरकार का योगदान	लागू नहीं	एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (अतिरिक्त टैक्स) के लिए 1,08,000 रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी।	एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (अतिरि. क्त टैक्स) के लिए 2,16,000 रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी।
अतिरिक्त लाभ	लागू नहीं	क) स्फूर्ति क्लस्टर, महिला/एससी/एसटी स्वामित्व वाले, एनईआर स्थित एमएसएमई का हिस्सा वाले एमएसएमई के लिए भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान। ख) ओईएम/उद्योग संघ रूट ➢ उद्योग संघ/ओईएम के माध्यम से पंजीकरण करने वाले एमएसएमई को सभी स्तरों को पूरा करने के बाद भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान दिया जाएगा। ➢ लीन इंटरवेंशन के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई 5000 रुपये दिए जाएंगे।	

वर्ष 2024–25 में हुई उपलब्धि/स्थिति का ब्यौरा (दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार):

➢ वितीय वर्ष 2024–25 में (दिसंबर, 24 तक) 12,955 से अधिक एमएसएमई ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराया है।

➢ वित्त वर्ष 2024–25 में (दिसंबर, 24 तक) लगभग 4,000 एमएसएमई ने बेसिक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, जिनमें से 742 एमएसएमई ने इंटरमीडिएट स्तर पर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की है।

➢ अप्रैल, 24 से लेकर अब तक कुल 294 जागरूकता कार्यक्रम और 15 परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

➢ मोंटे कार्लो, एवन साइकिल, जेबीएम, फोर्ब्स मार्शल, टाइटन और अन्य जैसे प्रमुख ओईएम के साथ उनके आपूर्तिकर्ता आधार को शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

➢ लगभग 1600 एमएसएमई वाली कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 202 उद्यम समूह (जीओई) का गठन किया गया है।

➢ 129 जीओई में परामर्शदाता का चयन पूरा हो गया है और वर्तमान में इन जीओई में इंटरमीडिएट स्तर पर लीन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

समग्र देश में एमएसएमई हेतु यूनिडो एमएसएमई मंत्रालय, जीईएफ–5 परियोजनाएं

I. यूनीडो एमएसएमई मंत्रालय, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन के संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना	
विवरण	यूनीडो, जीईएफ–5 परियोजना जिसका शीर्षक 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन को बढ़ावा देना' है, का उद्देश्य ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करके और विभिन्न क्लस्टरों के भीतर इन पहचानी गई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि करके एमएसएमई के लिए एक सहायक बाजार वातावरण को प्रोत्साहन देना है।
उद्देश्य	इस परियोजना का उद्देश्य एक चक्रीय निधि तंत्र का सृजन करके तथा उसका रख–रखाव करते हुए एमएसएमई क्षेत्र के भीतर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है ताकि ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रतिरूप को सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं: – एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; – ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रतिरूप के लिए एक तंत्र विकसित करना और उसे बनाए रखना; – परियोजना की अवधि से परे गतिविधियों को बनाए रखने के लिए एग्रीगेटर (ईईएसएल) से प्राप्त राजस्व के कुछ हिस्सों का उपयोग करके एक चक्रीय कोष (रेवोलविंग फ़ंड) का सृजन करना; – ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ाने में चिह्नित बाधाओं को दूर करना जिससे भारत में एक अधिक सतत और प्रतिस्पर्धी एमएसएमई उद्योग का संवर्धन हो सके।
लक्षित ऊर्जा	समग्र तौर पर, इस परियोजना का लक्ष्य 956,184 जी.जे की प्रत्यक्ष वार्षिक ऊर्जा बचत हासिल करना है। 10 वर्षों की निवेश अवधि के साथ, अर्थात एक दशक में कुल 9,561,838 जी.जे की ऊर्जा में कमी आई। इसके अतिरिक्त, परियोजना का लक्ष्य वार्षिक कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 86,000 टन की कमी लाना है।
उपलब्धि/स्थिति	• इस परियोजना ने बारह क्लस्टरों की पहचान की है, 840 सर्वेक्षण, 89 ऊर्जा ऑडिट और 84 आधारभूत ऊर्जा अध्ययन पूरे किए हैं। स्वीकृत ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए 130 से अधिक स्थानीय सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) का चयन किया गया है, और एमएसएमई इकाइयों में 100 से अधिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रतिकृति चरण के लिए क्लस्टरों से 131 अभिरुचि पत्र एकत्र किए गए हैं। • परियोजना कार्यकलापों को साझा करने के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए परियोजना संचालन समिति द्वारा 38 ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 38 एक्सेल–आधारित त्वरित अनुमानक उपकरण (क्यूईटी) विकसित किए गए और टूलकिट भी तैयार किए गए।

I. यूनीडो एमएसएमई मंत्रालय, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन के संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना	
	• प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए नवीन वित्तपोषण के माध्यम से रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। • ईएमआरएफ संरचना के अनुसार, वित्तपोषण एमएसएमई विकास बैंक सिडबी द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि तकनीकी सेवाएं ईईएसएल द्वारा प्रदान की जाएंगी।
अभीष्ट लाभार्थी	यह कार्यक्रम सात क्षेत्रों में 12 क्लस्टरों को लक्षित करता हैः पल्प एवं कागज, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन एवं रंग, ढलाई एवं फोर्जिंग, तथा लोहा एवं इस्पात, साथ ही एक मिश्रित क्लस्टर।
कार्यान्वयन	यह परियोजना भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं (जीईएफ) के कार्यक्रम फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीआे) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) और एमएसएमई मंत्रालय प्रमुख निष्पादन एजेंसी (ईए) के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) प्राथमिक निष्पादन भागीदार है, जबकि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) परियोजना के लिए मार्गदर्शक एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।

II. यूनीडो एमएसएमई मंत्रालय, सौर ऊर्जा प्रवेश और विस्तार के लिए बिजनेस मॉडल के संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना'	
विवरण	इस परियोजना का उदेश्य कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल (सीएसटी) प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, जो सीएसटी सौर विकिरण को ग्रहण करता है और इसे ऊष्मा में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग औद्योगिक और अन्य प्रक्रियाओं को हीटिंग करने या कूलिंग करने के लिए किया जा सकता है।
उद्देश्य	इस परियोजना का उद्देश्य एमएसएमई क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता के लिए जीईएफ–5 वित्त पोषित यूएनआईडीओ परियोजना के अंतर्गत पांच या अधिक क्लस्टरों में हीटिंग और कूलिंग के लिए सीएसटी प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं: – 12 से अधिक एमएसएमई औद्योगिक क्लस्टरों में सीएसटी स्थापनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। – उद्योगों के भीतर सबसे उपयुक्त सीएसटी प्रौद्योगिकी की स्थापना और एकीकरण की सुविधा के लिए लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

II. यूनीडो एमएसएमई मंत्रालय, सौर ऊर्जा प्रवेश और विस्तार के लिए बिजनेस मॉडल के संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना'	
	सिस्टम संचालन के बारे में उपयोगकर्ताओं की समझ बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण मैनुअल बनाना– विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में सीएसटी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
उपलब्धि /स्थिति	**परियोजना में हुई प्रगति अद्यतन का विवरण** छह चिह्नित किए गए और स्वीकृत क्लस्टरों में परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। इन क्लस्टरों में, कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल (सीएसटी) तकनीक की स्थापना के लिए 14 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गईं और उन्हें मंजूरी दी गई। वर्तमान में, इनमें से तीन परियोजनाएं सीएसटी तकनीक की खरीद की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। 1. चिह्नित किए गए क्लस्टरों में नौ (09) व्यवसाय बैठकें आयोजित की गईं। 2. जून, 2024 में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) आयोजित किया गया। 3. परियोजना संचालन समिति ने नए क्लस्टरों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिसमें रांची और बोकारो, पुणे, चित्तूर, लुधियाना और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों और सामान्य सुविधाओं के क्षेत्रों को भी स्वीकृति दी गई।
अभीष्ट लाभार्थी	एमएसएमई उद्योग, अस्पताल, सामान्य भाप सुविधाएं जिनके पास उद्यम आधार पंजीकरण है।
कार्यान्वयन	वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं (जीईएफ) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ सहयोग करता है, जो कार्य–निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जीईएफ– यूनीडो परियोजना को ज्ञान, तकनीकी और वित्तपोषण बाधाओं को संबोधित करके एमएसएमई मंत्रालय के सहायता कार्यक्रम को पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसने पहले ही प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सूचना पैकेज तैयार कर लिए हैं तथा इसका उद्देश्य वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और खाद्य जैसे चयनित एमएसएमई उप–क्षेत्रों के लिए सीएसटी अनुप्रयोगों को मानकीकृत करना है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकी के लिए बाजार परिवर्तन पर एमएसएमई मंत्रालय – यूनीडो – जीईएफ पहल के साथ संरेखित है।

XI. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) की शुरुआत अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की लोक प्रापण नीति में निर्धारित सीपीएसई द्वारा 4% खरीद अधिदेश को पूरा करना और एससी/एसटी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। हब ने एससी/एसटी एमएसई के बीच उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाने और ऋण, बाजार संपर्क, वित्त सुविधा, बोली भागीदारी आदि की चुनौती को पूर्ण करने के लिए कई पहलें की हैं।

इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से किया जा रहा है, जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा, एससी/एसटी उद्यमियों को उनके व्यवसायिक जीवनचक्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने तथा सीपीएसई के साथ निविदा संबंधी भागीदारी के लिए, देश भर में लुधियाना, आगरा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और बोधगया में 15 राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित किए गए हैं।

विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) घटक के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के एससी/एसटी एमएसई, संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के लिए 25% सब्सिडी (25 लाख रुपये तक) के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश भर में एससी–एसटी उद्यमियों को विभिन्न कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूदा कौशल विषमता को समाप्त कर सकते हैं, उद्यमियों की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं तथा लक्षित लाभार्थियों में उद्यमिता विकसित कर सकते हैं।

स्कीम के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक पूरे देश में 1.36 लाख से ज़्यादा एससी–एसटी उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है। इस स्कीम ने लक्षित लाभार्थियों के बीच उनके कौशल उन्नयन में पेशेवर सहायता, बाज़ार संपर्कों की सुविधा और सहायता प्रदान करके सकारात्मक प्रभाव डाला है, जो एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई से सार्वजनिक खरीद में 17 गुना अर्थात वर्ष 2015–16 में 99.37 करोड़ रुपये (0.07%) से 2023–24 में 1757.26 करोड़ (1.03%) तक की वृद्धि (मूल्य के संदर्भ में) से स्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में (दिनांक 31.12.2024 तक), सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी एमएसई की हिस्सेदारी 1.29% तक पहुँच गई है।

पंजाब के मोगा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) सम्मेलन

अध्याय 5

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, विशिष्ट दिव्यांगजन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित कार्य–प्रदर्शन

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कार्यकलाप (एनईआर)

5.1.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के कल्याण एवं विकास के लिए मंत्रालय के वार्षिक बजट का 10% निर्धारित करने की सरकार की पहल के अनुरूप, वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान (बीई) में विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए 2187.02 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। यह आवंटन इन क्षेत्रों में एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों तथा कार्यक्रमों का समर्थन एवं संवर्धन करता है तथा यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों को कवर करता है।

वर्ष 2020–21 से 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजटीय परिव्यय और व्यय:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट आवंटन	पूर्वोत्तर क्षेत्र को 10% का बजट आवंटन	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र का व्यय
2020-21	7572.20	566.81	482.07
2021-22	15699.65	1622.73	1611.68
2022-23	21422.00	2743.22	2752.68
2023-24	22138.01	2310.38	2341.01
2024-25	22137.95	1711.00	691.62

क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी

एनएसआईसी–टीआईसी गुवाहाटी फैशन डिजाइनिंग, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, उन्नत ब्यूटीशियन तकनीक और सजावटी मोमबत्ती बनाने की तकनीकों से सुसज्जित है। ये सुविधाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों की सेवा के लिए तैयार की गई हैं, जो भावी उद्यमियों को व्यावहारिक, बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। यह कार्यक्रम इनक्यूबेटर में स्थापित लाइव प्रोजेक्ट्स का उपयोग करके व्यावहारिक अनुभव के साथ कक्षा शिक्षण को भी जोड़ते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षु मूल्यवान, उद्योग–प्रासंगिक कौशल प्राप्त कर सकें।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सीधे प्रवेश के आधार पर या प्रायोजित आधार पर प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

क. नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड (एनआरएल), असम

ख. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, असम सरकार

ग. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, बीटीसी, कोकराझार, असम

घ. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

ङ. असम कौशल विकास मिशन, असम

वितीय वर्ष 2024–25 में, एनएसआईसी ने एटीआई प्रशिक्षण शुरू किया है जिसके अंतर्गत 160 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे जी ने दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एनएसआईसी, गुवाहाटी का दौरा किया।

5.1.2 ''पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम

प्रस्तावना : यह स्कीम वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसे 15वें वितीय आयोग (वर्ष 2021–2026) के दौरान 295.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए आगे जारी रखा गया था।

यह स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं को बनाने या उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवप्रवर्तनों तथा कौशल कार्यकलापों को पूरा किया जा सके।

स्कीम के घटकः

1. **नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरणः**

उद्देश्यः इस स्कीम में नए टूल रूमों/मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में उपलब्ध फलों, मसालों, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन और बांस आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों हेतु विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचार तथा प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। परियोजना की जियो–टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायताः भारत सरकार की अधिकतम सहायता 13.50 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो तक सीमित रहेगी, शेष राशि एवं अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार की अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्माण लागत में लगने वाली सहायता 1.00 करोड़ रुपये तक सीमित होगी, जो भारत सरकार की कुल स्वीकार्य सहायता के अध्यधीन है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता भूमि लागत के लिए स्वीकार्य नहीं है।

2. **नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट का विकासः**

उद्देश्यः भारत सरकार नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अवसंरचना सुविधाओं में ऊर्जा वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़क, भंडार और विपणन केंद्र आदि शामिल हैं। परियोजना की जियो–टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायताः भारत सरकार से अधिकतम सहायता नए औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 13.50 करोड़ रु. अथवा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 9.00 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी, तथा शेष और अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. **पर्यटन क्षेत्र का विकासः**

उद्देश्यः पूर्वोत्तर और सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र में निहित अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए, होमस्टे के क्लस्टर में रसोई, बेकरी, लॉड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रीजरेशन और शीतागार, आईटी अवसंरचना पेयजल, स्थानीय उत्पादों के लिए प्रदर्शनी केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र आदि जैसे सामान्य सुविधा केंद्रों के निर्माण की परियोजनाओं हेतु विचार किया जा सकता है। स्थानीय एमएसई के साथ परियोजनाओं का संपर्क होना चाहिए। पर्यटन विकास हेतु राज्य पर्यटन विकास एजेंसी अथवा केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय की परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी।

अनिवार्य आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी––

(क) परियोजना की जियो टैगिंग;

(ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीपीआर का सत्यापन;

(ग) न्यूनतम लाभार्थियों की संख्या– 10 एमएसई (पर्यटन सेवाओं में);

(घ) लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से किसी प्रसिद्ध ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए।

वित्तीय सहायताः भारत सरकार की सहायता 4.50 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी और शेष और अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अभीष्ट लाभार्थी: पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी एमएसएमई

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां: वर्ष 2016 में स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 28 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब तक भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए कुल 264.94 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

क्र. सं.	राज्य और अन्य कार्यकलाप	मिनी तकनीकी केंद्र	औद्योगिक एस्टेट/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	अन्य गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाएं *	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	00	01	00	01
2	असम	01	22	01	24
3	मेघालय	00	03	00	03
4	मिजोरम	00	06	00	06
5	नागालैंड	03	05	01	09
6	सिक्किम	03	06	02	11
7	त्रिपुरा	01	04	00	05
	अध्ययन*	00	00	04	04
	प्रशिक्षण*	00	00	02	02
	योग	**08**	**47**	**10**	**65**

** नवीनतम दिशानिर्देशों के अंतर्गत घटक जारी नहीं किया गया।*

स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियां (वर्ष–वार)

वित्तीय वर्ष	ब.अ./सं.अ. (करोड़ में रुपए)	व्यय (करोड़ में रुपए)
2020-21	20.00	22.97*
2021-22	20.00	21.09*
2022-23	50.00	49.43
2023-24	50.00	49.35
2024-25	50.00	39.09 (दिनांक 20.01.2025 तक)
योग	**277.42**	**264.94**

**अन्य स्कीमों से समान उद्देश्य वाले शीर्षों से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गई*

- दिनांक 26.06.2024 को आयोजित पीएएमसी की 11वीं बैठक में कुल 12 (बारह) औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 178.24 करोड़ रुपये है तथा भारत सरकार द्वारा 142.05 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

एनईआर पर पहल और फोकस

➢ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने एमएसएमई स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 18.01.2025 को मेघालय के साउथ गारो हिल्स का दौरा किया। यात्रा के दौरान, माननीय मंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत की, उनके उत्पादों की सराहना की और जिले के संभावित उद्यमियों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। प्रतिभागियों से मंत्रालय की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई और मंत्रालय की ओर से निरंतर सहायता का आश्वासन दिया।

माननीय केंद्रीय मंत्री एमएसएमई का दक्षिण गारो हिल्स जिले, बाघमारा, मेघालय का दौरा

- **पीएम विश्वकर्मा** स्कीम की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, अगरतलाः पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत कारीगरों के पंजीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई विभाग ने त्रिपुरा में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी के दौरान, कारीगरों ने अपने शिल्प कौशल को उजागर करते हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतम राम मांझी जी विशेष अतिथि के रूप में, माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमती संताना चकमा जी सम्माननीय अतिथि के रूप में और त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान, पंजाब नेशनल बैंक ने त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर पीएम विश्वकर्मा कारीगरों को ऋण वितरित किया। साथ ही, इस स्कीम के अंतर्गत सफल कारीगरों को प्रमाण–पत्र भी प्रदान किए गए।

त्रिपुरा सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा अगरतला के रवींद्र सताबर्षिकी भवन में संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी और मेले।

5.1.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कार्यकलाप

5.1.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन क्षेत्रों में केवीआई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य केवीआई बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.1.3.2 इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मधुमक्खी पालन, अनाज और दलहनों का प्रसंस्करण, मिट्टी के बर्तन, रेशा, साबुन, बेंत और बांस, बढ़ईगीरी और लोहार उद्योग; तथा खादी और पॉलीवस्त्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

5.1.3.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगः

वर्ष 2024–25 (दिनांक 30–09–2024 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी# का राज्य–वार वास्तविक कार्य–निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु.में)	संचयी रोजगार (संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	15.63	37.94	46
2	असम	1143.95	1024.44	7530
3	मणिपुर	73.99	57.56	247
4	मेघालय	18.87	16.27	87
5	मिजोरम	2.31	3.73	18
6	नागालैंड	36.24	48.29	434
7	सिक्किम	20.98	32.19	41
8	त्रिपुरा	1.92	27.51	37
	योग	**1313.89**	**1247.93**	**8440**

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

वर्ष 2024–25 (दिनांक 31–03–2024 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी# का राज्य–वार वास्तविक कार्य–निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु.में)	संचयी रोजगार (संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	24	74	62
2	असम	1758	1975	10185
3	मणिपुर	111	108	334
4	मेघालय	28	31	117
5	मिजोरम	4	7	24
6	नागालैंड	55	92	586
7	सिक्किम	32	61	56
8	त्रिपुरा	3	52	50
	योग	**2015**	**2400**	**11414**

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

5.1.3.4 पीएमईजीपी–पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं

(i) वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 100.49 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके कुल

3,361 पीएमईजीपी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	उपयोग की गई मार्जिन मनी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (संख्या में)	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	427.65	74	592
2	असम	4,092.03	1,444	11,552
3	मणिपुर	715.12	321	2,568
4	मेघालय	904.69	356	2,848
5	मिजोरम	847.67	211	1,688
6	नागालैंड	2,104.51	574	4,592
7	सिक्किम	183.03	65	520
8	त्रिपुरा	773.85	316	2,528
	योग	**10,048.54**	**3,361**	**26,888**

5.1.3.5 वितीय वर्ष 2019–20 से वितीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में (नई पीएमईजीपी इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी मात्रा हेतु) पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त राज्य–वार सूक्ष्म उद्यम (परियोजनाएं)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
अरुणाचल प्रदेश	98	196	158	169	74
असम	2939	3855	2596	2417	1,444
मणिपुर	1556	1139	545	348	321
मेघालय	359	699	306	280	356
मिजोरम	810	650	412	401	211
नागालैंड	740	1241	469	517	574
सिक्किम	57	85	57	132	65
त्रिपुरा	842	958	703	588	316
योग	**7401**	**8823**	**5246**	**4852**	**3361**

* *दिनांक 31.12. 2024 तक*

5.2 महिलाओं के कल्याण पर लक्षित कार्यकलाप

5.2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत महिला लाभार्थी उच्च सब्सिडी और कम योगदान की हकदार हैं। इसकी शुरुआत (अर्थात वर्ष 2008–09 से 31 दिसंबर 2024 तक) से लेकर अब तक, पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों की कुल 3,22,195 परियोजनाओं को सहायता दी गई है।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24) और चालू वर्ष के लिए 31 दिसम्बर, 2024 तक महिला लाभार्थियों की संख्या का संचयी डेटा निम्नानुसार है:

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी (लाभार्थी)
2020-21	27,285
2021-22	39,156
2022-23	32,626
2023-24	36,806
2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)	11,415

5.2.2 मंत्रालय के संगठनों द्वारा शुरू की गई स्कीमों और कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना है। तथापि, कुछ स्कीमें और कार्यक्रम ऐसे हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए उन्मुख हैं। इसके अतिरिक्त, कई स्कीमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभ, रियायतें और वितीय सहायता प्रदान करती हैं। इन रियायतों के बारे में विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध संबंधित स्कीम दिशानिर्देशों में उपलब्ध है।

5.3 विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए कल्याण

5.3.1 मंत्रालय, विशिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक 'आरक्षण रोस्टर' रखता है। मंत्रालय और इसके संबद्ध विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 100–बिंदु रोस्टर से उत्पन्न रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं, जैसे वाहन भत्ते, प्रदान किए जाते हैं।

5.3.2 एमएसएमई मंत्रालय के एनएसआईसी और निम्समे जैसे संगठन, उद्यमिता विकास और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण तथा प्राथमिकताएं प्रदान कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य विशिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के विकास और सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करता है।

5.3.3 **पीएमईजीपी** – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत दिव्यांग जनों को विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उच्च दर की सब्सिडी और कम अंशदान के हकदार हैं। इसकी शुरूआत से लेकर (अर्थात वर्ष 2008–09 से 31 दिसंबर, 2024 तक) अब तक, पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए कुल 5,704 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019–20 से 2023–24) और चालू वर्ष 31 दिसंबर, 2024 तक दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या का डेटा निम्नानुसार है:

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत पीएमईजीपी उद्यमी (लाभार्थी)
2019-20	414
2020-21	400
2021-22	484
2022-23	433
2023-24	349
2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)	111

5.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

5.4.1 अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई को विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए क्षमता निर्माण करना है, साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना है।

- इस स्कीम के अंतर्गत, विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के साथ–साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उद्यम आदि के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों/उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- स्कीम के **बाजार विकास सहायता घटक** के अंतर्गत, वर्ष 2024 के दौरान 23 अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से कुल 338 एमएसएमई को सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, भारत में आयोजित 25 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर 5700 एमएसएमई को सीधे लाभ हुआ है। इस संबंध में, वर्ष 2024 के दौरान 15.08 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

- स्कीम के **प्रथम निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) घटक के अंतर्गत, वर्ष 2024 के दौरान,** कुल 89 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आरसीएमसी शुल्क, निर्यात बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के माध्यम से 6.10 लाख रुपये की सहायता दी गई।

5.4.2 बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मामलेः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो जीडीपी, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने ट्यूनीशिया, रोमानिया, रवांडा, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोट डी आइवर, मिस्र, दक्षिण कोरिया, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, मॉरीशस, स्वीडन, यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते, समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और संयुक्त कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

- **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः**

- **भारत और यूएस–एसबीए के बीच समझौता ज्ञापन**– एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 13.8.2024 को नई दिल्ली में लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लघु व्यवसाय प्रशासन (यूएस–एसबीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एमएसएमई मंत्रालय और यूएस–लघु व्यवसाय प्रशासन (यूएस–एसबीए) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

- एमएसई के क्षेत्र में सहयोग हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), भारत और उद्योग और नई प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईएनटी), तजाकिस्तान गणराज्य के बीच दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), भारत तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एजेंसी (एमएसएमईडीए), मिस्र के बीच दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

➢ **अन्य देशों के साथ आयोजित द्विपक्षीय बैठकें:**

- भारत–जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी रोडमैप (आईजेआईसीपी) के अंतर्गत गठित एमएसएमई सहयोग पर भारत–जापान संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी बैठक दिनांक 22.05.2024 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए जापानी विशेषज्ञों द्वारा 5 एस और काइज़न कार्यक्रम प्रदान करने के लिए वितीय वर्ष 2024–25 के रोडमैप पर चर्चा की गई।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के एक्ज़िम बैंक की अध्यक्ष और प्रेसिडेंट सुश्री रीटा जो लुईस ने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव और टीम के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने निर्यात–उन्मुख सहयोग पर चर्चा की, जिसमें दोनों देशों के एमएसएमई के बीच वन ऑन वन ज्ञान साझा करने के माध्यम से निर्यात–आयात प्रक्रियाओं के बारे में एमएसएमई को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें महिलाओं और पहली बार निर्यात करने वालों पर विशेष जोर दिया गया।

- मंत्रालय ने एमएसएमई के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई का कार्यालय) के नेतृत्व में 02–04 अक्टूबर, 2024 के दौरान ताइवान में तीसरी भारत–ताइवान एसएमई संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक और भारत–ताइवान एसएमई सहयोग फोरम की तीसरी बैठक में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान, एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), भारत और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (आईटीआरआई), ताइवान के बीच दिनांक 02.10.2024 को भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- दिनांक 3 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में एमएसएमई के माननीय मंत्री, एमएसएमई के माननीय राज्य मंत्री और बहरीन साम्राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन अदेल फाखरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमएसएमई मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

  बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने—अपने देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास से संबंधित नीतियों और अनुभवों का विस्तारपूर्वक आदान—प्रदान किया। यह चर्चा—परिचर्चा एमएसएमई क्षेत्र में आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और ज्ञान—साझाकरण के प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित करने पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के कई प्रस्तावित क्षेत्रों पर विचार—विमर्श किया।

माननीय एमएसएमई मंत्री जी, माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री जी तथा बहरीन साम्राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महामहिम अब्दुल्ला बिन अदेल फखरो जी के नेतृत्व में आयोजित प्रतिनिधिमंडल की बैठक

सत्यमेव जयते

RAISING AND ACCELERATING MSME PERFORMANCE

RAMP

उत्थान, उन्नयन, उत्कृष्टता

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

सामान्य सांविधिक दायित्व

6.1 राजभाषा

6.1.1 सरकार की नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने, वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय में वर्ष के दौरान प्रभावी कदम उठाए गए।

6.1.2 सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है। मंत्रालय की एक कार्यात्मक हिंदी भाषा वेबसाइट http://msme.gov.in है ।

6.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सभी दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्ति, अनुबंध, करार, निविदा प्रपत्र और नोटिस, संकल्प, नियम, ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट और सरकारी कागजात द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। विभागीय उपयोग के लिए सामान्य आदेश केवल हिन्दी में जारी किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं।

6.1.4 एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में एक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तथा निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

6.1.5 हिंदी में पत्राचारः राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को यथासंभव हिंदी में पत्र जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार, 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में पत्र भेजे गए। वर्ष 2024 के दौरान 'क' क्षेत्र में लगभग 93%, 'ख' क्षेत्र में 91% और 'ग' क्षेत्र में 86% पत्राचार हिंदी में किया गया।

6.1.6 निगरानी और निरीक्षणः राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अनुसरण में, राजभाषा नीति के प्रयोग और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों के कई अधीनस्थ कार्यालयों के साथ–साथ मंत्रालय के अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया।

6.1.7 इस अवधि के दौरान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण भी किया गया।

क्र.सं.	निरीक्षण किये गये कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख़
1.	डीसी (एमएसएमई) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।	09 जुलाई, 2024
2.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ओखला, नई दिल्ली।	12 जुलाई, 2024
3.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (नि.एमएसएमई), यूसुफगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना।	15 जुलाई, 2024
4.	उप–क्षेत्रीय कार्यालय, कॉयर बोर्ड, 'ए' ब्लॉक, एमएसएमई परिसर, रहमतनगर, यूसुफगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना।	16 जुलाई, 2024
5.	एनएसआईसी, शाखा कार्यालय, 301, 303, श्री दत्ता साईं कॉम्प्लेक्स, आरटीसी क्रॉस रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।	16 जुलाई, 2024
6.	दक्षिण–11, जोनल कार्यालय, एनएससी, 202, 203, श्री दत्ता साईं कॉम्प्लेक्स, आरटीसी क्रॉस रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।	17 जुलाई, 2024
7.	कयर बोर्ड शोरूम और बिक्री केंद्र, 5–8–328/1, चैपाल रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।	18 जुलाई, 2024
8.	एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र, स्वतंयवीर तांत्या टोपे मार्ग, चूनाभट्टी, सायं, मुंबई, महाराष्ट्र।	15 जनवरी, 2025
9.	एमएसएमई–विकास कार्यालय (डीएफओ), कुर्ला अंधेरी मार्ग, साकीनाका, मुंबई, महाराष्ट्र।	16 जनवरी, 2025

6.1.8 **हिन्दी माहः** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में दिनांक 14 सितंबर, 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस, 2024 के अवसर पर 14 सितंबर, 2024 को, एमएसएमई मंत्रालय के साथ–साथ इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन के लिए माननीय मंत्री जी (एमएसएमई) का संदेश प्रसारित किया गया। हिंदी दिवस के दौरान, कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

6.1.9 हिंदी दिवस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर, एक नई हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता (महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए) शुरू की गई। शुरू की गई यह नई प्रतियोगिता काफी सफल रही, जिसमें कई महिला कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

6.1.10 **हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारीः** हिंदी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामित किया गया। वर्ष 2024–25 हेतु हिंदी टंकण के लिए 02 कर्मचारी तथा हिंदी शिक्षण के लिए 02 अधिकारी नामित किए गए।

6.1.11 **हिंदी कार्यशाला का आयोजनः** अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में अपना काम यथासंभव हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने हेतु त्रैमासिक आधार पर कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जिसमें राजभाषा अधिनियम, नियम और आदेशों के साथ–साथ हिंदी ध्वनि–विज्ञान (फोनेटिक्स) के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। उन्हें हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायता प्रदान की गई।

6.1.12 संबद्ध कार्यालयों और सांविधिक निकायों में हिंदी का प्रयोग

6.1.12.1 इस अवधि के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के हिंदी अनुभाग द्वारा मुख्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश पर राजभाषा अधिनियम, नियमों और माननीय राष्ट्रपति

के आदेशों का निरंतर और सुचारु अनुपालन सुनिश्चित किया गया। सभी प्रपत्र, रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नों और धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात उक्त अवधि के दौरान द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार किए गए।

- **अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण:**

उक्त अवधि के दौरान, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के हिंदी अनुभाग ने निम्न अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण भी किया।

क्र.सं.	निरीक्षण किए गए कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तिथि
1.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, हुबली	08.04.2024
2.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, बैंगलुरू	09.04.2024
3.	एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन	10.04.2024
4.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, जयपुर	13.05.2024
5.	एमएसएमई–क्षेत्रीय परीक्षण स्टेशन, जयपुर	14.05.2024
6.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, करनाल	09.10.2024
7.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, अहमदाबाद	12.11.2024
8.	आईजीटीआर, अहमदाबाद	13.11.2024
9.	शाखा एमएसएमई–विकास कार्यालय	14.11.2024
10.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, नागपुर	15 और 16.01.2025

- **हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा (हिंदी माह) का आयोजन:**

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय में हिंदी दिवस (14 सितम्बर, 2024) का आयोजन किया गया तथा 01 सितंबर, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। माह के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आयोजित की गई प्रतियोगिताओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	दिनांक
1.	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता (हिंदीतर भाषा–भाषी वर्ग)	10.09.2024
2.	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता (हिंदी भाषी कर्मियों हेतु)	11.09.2024
3.	हिंदी टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता	12.09.2024
4.	हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता	23.09.2024
5.	हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (एमटीएस संवर्ग के लिए)	24.09.2024
6.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	25.09.2024
7.	हिंदी कविता प्रतियोगिता (स्वरचित)	26.09.2024
8.	राजभाषा ज्ञान एवं सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	30.09.2024

- उपरोक्त प्रतियोगिताओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किये गये।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजनः

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईः—

क्र.सं.	तिमाही का विवरण	बैठक के आयोजन की तिथि
1.	अप्रैल—जून 2024 (प्रथम तिमाही)	28.06.2024
2.	जुलाई—सितंबर 2024 (द्वितीय तिमाही)	-
3.	अक्टूबर—दिसम्बर 2024 (तृतीय तिमाही)	09.01.2025

- **हिंदी कार्यशालाओं का आयोजनः**

अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में अपना कार्य यथासंभव अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र.सं.	तिमाही का विवरण	कार्यशाला के आयोजन की तिथि
1.	अप्रैल—जून 2024 (प्रथम तिमाही)	05.04.2024
2.	जुलाई—सितंबर 2024 (द्वितीय तिमाही)	13.09.2024
3.	अक्टूबर—दिसम्बर 2024 (तृतीय तिमाही)	13.01.2025

इन कार्यशालाओं में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के लगभग 214 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नियमों एवं राजभाषा से संबंधित आदेशों आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई और उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ—साथ उन्हें हिंदी में काम करते समय होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायता प्रदान की गई। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले आईटी टूल जैसे यूनिकोड, ई—महाशब्दकोश, कंठस्थ सॉफ्टवेयर आदि का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है उस बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

6.1.12.2 केवीआईसीः खादी और ग्रामोद्योग आयोग (मुख्यालय), मुंबई में एक पूर्ण हिंदी विभाग है जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय—समय पर जारी राजभाषा नीति और दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 01 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया था, जिसमें केवीआईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी टिप्पण और प्रारूपण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी श्रुत—लेखन, हिंदी टाइपराइटिंग, हिंदी स्वरचित काव्य पाठ, हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई। हिंदी विभाग, मुख्य कार्यालय मुंबई के तत्वावधान में राज्य कार्यालय, जम्मू द्वारा 5 और 6 सितंबर, 2024 को श्रीनगर में मुख्यालय, मुंबई और आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात अनुवाद अधिकारियों के लिए दो दिवसीय 'राजभाषा सम्मेलन' आयोजित किया गया रिपोर्टिंग अवधि तक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें और तीन हिंदी कार्यशालाएं प्रधान कार्यालय, केवीआईसी, मुंबई और राज्य/मंडल/उप—कार्यालयों और बहु—विषयक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित की गई।

6.1.12.3 एमगिरीः कार्यालय के कार्यकलापों में हिंदी (राजभाषा) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रासंगिक विषयों पर त्रैमासिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, संस्थान की कार्यकारी समिति की त्रैमासिक बैठक में कार्यालयी संचार, द्विभाषी विज्ञापन आदि में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा यह संतोषजनक पाया गया।

संस्थान में 14—28 सितंबर 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के कर्मचारियों के बीच टिप्पण, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, कविता—पाठ, भाषण और हिंदी के ज्ञान पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई और कार्यालय प्रमुख और प्रतिनिधियों ने नराकास की बैठक में भाग लिया।

6.1.12.4 **कयर बोर्डः** कयर बोर्ड अपने सभी प्रतिष्ठानों में संघ की राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए और नियम (5) के अन्तर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। राजभाषा कार्यान्वन समिति की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। पूरे भारत में कयर बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा पर वर्चुअल रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितंबर, 2024 से 29 अक्टूबर, 2024 तक विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

कयर बोर्ड और उसके उप—कार्यालयों में राजभाषा गतिविधियां

- **हिंदी कार्यशाला का आयोजनः** वर्ष 2024—25 के दौरान आयोजित त्रैमासिक हिंदी कार्यशाला की सूची का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र. सं.	तिमाही का विवरण	विषय	कार्यशाला की तारीख
1.	अप्रैल—जून 2024 (प्रथम तिमाही)	वार्षिक कार्यक्रम 2024—25 के अनुसार प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य	14.06.2024
2.	जुलाई—सितंबर 2024 (द्वितीय तिमाही)	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और हिंदी	30.09.2024
3.	अक्टूबर—दिसम्बर 2024 (तृतीय तिमाही)	संविधान दिवस	26.11.2024

- कयर बोर्ड ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निरंतर प्रयासों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोच्चि द्वारा वर्ष 2022—23 के लिए राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ट्रॉफी और प्रमाण—पत्र प्रदान करके मान्यता दी गई है। दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को 'थानिमा' हॉल आयकर विभाग, कोच्चि में आयोजित पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता केरल के प्रधान मुख्य आयुक्त और समिति के अध्यक्ष ने की।

6.1.12.5 एनएसआईसी: एनएसआईसी सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एनएसआईसी में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति ने दिनांक 21 नवंबर, 2024 को निगम का सफलतापूर्वक राजभाषा निरीक्षण किया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

1. 12 जुलाई, 2024 को मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा मुख्य कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।
2. हिंदी पखवाड़े के दौरान 06 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का हिंदी दिवस संदेश सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया गया।
4. अगस्त, 2024 में मुख्य कार्यालय में कार्यरत विकास अधिकारियों/लेखा अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. निगम के अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन किया गया तथा इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।
6. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 21 नवम्बर, 2024 को निगम के मुख्य कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।

6.1.12.6 निम्समे: संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर संस्थान में दिनांक 14 सितम्बर, 2024 से 29 सितम्बर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न हिंदी कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

6.2 सतर्कता

6.2.1 मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग और जांच एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

6.2.2 मंत्रालय अपनी सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच सतर्कता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों को लागू कर रहा है। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/मंत्रालय के अधीन संगठनों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भ/सतर्कता शिकायतों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया।

6.2.3 सतर्कता प्रभाग सतर्कता संबंधी मामलों और मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने तथा प्राप्त शिकायतों आदि के संबंध में की गई अपीलों से संबंधित मामलों को देखता है। प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं: –

(i) स्पैरो https://sparrow.eoffice.gov.in की ऑनलाइन प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का रख–रखाव।

(ii) सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के अंतर्गत कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी सहित आने वाले सभी मामले।

(iii) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सतर्कता मंजूरी।

6.2.4 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, 46 शिकायतें प्राप्त हुईं और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जहां लागू हो, के परामर्श से उनकी छानबीन/निपटारा किया गया।

6.2.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताहः

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई विषय–वस्तु के साथ दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनायाः

"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एमएसएमई मंत्रालय ने मंत्रालय स्तर पर तथा इस मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए। इससे कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त तत्त्वज्ञान स्थापित करने/पारदर्शिता लाने, पूर्ण निष्ठा बनाए रखने तथा हर समय कर्तव्य के प्रति समर्पण की दिशा में कार्य करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

- 30 अक्टूबर 2024 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम हॉल में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम 2024 पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री अजय कुमार कनौजिया ने भाग लिया। सचिव (एमएसएमई) ने नैतिक पद्धतियों को बढ़ावा देने और ईमानदारी एवं अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। कार्यशाला में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त सचिव और एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय कुमार कनौजिया भी उपस्थित थे। सतर्कता जागरूकता विषय पर मंत्रालय द्वारा एक एनीमेशन वृत्तचित्र प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त सचिव ने सतर्कता व्यवस्था और प्रासंगिक दिशा–निर्देशों पर एक संबोधन दिया।

- मंत्रालय के अंतर्गत अपने पदाधिकारियों हेतु संगठनों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

6.3 नागरिक चार्टर

6.3.1 एमएसएमई मंत्रालय के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस चार्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और सामान्य रूप से भारत के लोगों के लिए अपने मिशन और प्रतिबद्धता को शामिल करते हुए मंत्रालय की घोषणा शामिल है।

6.3.2 स्व–रोजगार पर वार्षिक रिपोर्ट और पुस्तिका प्रकाशित की गई है और यह संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों की सूचना के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट, अर्थात, www.msme.gov.in सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है और इसके संगठनों के लिए लिंक प्रदान करती है।

6.3.3 मंत्रालय का विस्तृत नागरिक/क्लाइंट चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.4. **शिकायतें:** प्रशासिनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) में लोक शिकायतों हेतु http://pgportal.gov.in पोर्टल का सृजन किया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। डीएपीआरजी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें, इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय एवं राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेजी जाती हैं। अन्य मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन स्थानांतरित किया जा सकता है। एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई), एनएसआईसी और अन्य अधीनस्थ संगठनों को http://pgportal.gov.in से लिंक प्रदान किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठन शिकायतों का त्वरित निपटान कर रहे हैं। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। सूचना और सुविधा काउंटर और शिकायत प्रकोष्ठ का पता, फोन और फैक्स नंबर इस प्रकार हैं:

विवरण	वेबसाइट का पता	संगठन
1. **शिकायत प्रकोष्ठ** अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, कमरा नंबर 716, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 । दूरभाष: 23061277, फैक्स: 23061804	www.msme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुम्बई
	www.coirboard.gov.in	कयर बोर्ड, कोच्ची
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

6.4 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, नागरिक किसी भी कार्य दिवस पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) से संपर्क कर सकते हैं।

मंत्रालय और इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में पूरी जानकारी नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपील प्राधिकारी का विवरण संबंधित कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

6.5 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

6.5.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

6.5.2 वर्ष 2024–25 के दौरान आंतरिक शिकायत समिति में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया तथा आईसीसी के पास कोई मामला लंबित नहीं है।

6.5.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली–''शी–बॉक्स'' (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स) शुरू की गई है, ताकि केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी सीधे शिकायत दर्ज करा सकें। मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों और संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के बीच इसका व्यापक प्रचार किया गया है।

6.5.4 परिसर में एक भौतिक शी–बॉक्स स्थापित किया गया है। वर्ष 2024–25 के दौरान कार्यशाला एवं त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई है।

अनुबंध– I

प्रमुख स्कीम–वार कुल व्यय 2022–23, 2023–24 तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कुल व्यय 2022–23	कुल व्यय 2023–24	बजट अनुमान (बीई) 2024–25	संशोधित अनुमान (आरई) 2024–25	20.01.2025 तक व्यय
1	पीएम विश्वकर्मा स्कीम	-	745.92	4824.00	4000.00	3132.27
2	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	2733.21	3106.18	2300.00	1918.00	1712.06
3	एमएसएमई कार्यनिष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प)	269.38	1319.41	1170.00	750.00	502.73
4	खादी ग्रामोद्योग विकास योजना	676.97	660.98	1037.19	866.11	637.09
5	निधियों का कोष (पूंजी)	392.78	579.45	575.00	575.00	439.51
6	नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/ विस्तार केंद्रों हब और स्पोक की स्थापना	10.00	9.99	450.00	97.76	16.51
7	क्लस्टर विकास कार्यक्रम	119.55	178.66	400.00	300.00	87.46
8	प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)ईएपी	123.60	94.10	350.00	350.00	112.63
9	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)	1.95	2.41	260.00	70.00	0.08
10	टूल रूम एवं तकनीकी संस्थान	101.00	140.00	140.00	140.00	78.07
11	कयर विकास योजना	87.14	92.15	103.10	75.10	52.27
12	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	135.00	100.00	99.92	99.92	61.64
13	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	38.71	62.84	99.00	75.00	67.22
14	अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण– पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	49.40	49.39	50.00	50.00	39.09

एमएसएमई मंत्रालय और उसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट और ई–मेल	दूरभाष/फ़ोन	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय, उद्योग भवन , नई दिल्ली–110011	वेबसाइट: www.msme.gov.in ईमेल: min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061068 23061726
2	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, 7 वां तल, ए–विंग, निर्माण भवन , नई दिल्ली–110011	वेबसाइट: www.dcmsme.gov.in; www.laghu.com; www.smallindustry. com ईमेल: dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (केग्रामोद्योगसी), "ग्रामोदय" 3 ,इर्ला रोड, विले पार्ले, (पश्चिम), मुंबई – 400056, महाराष्ट्र	वेबसाइट: www.kvic.org.in ईमेल: kvichq@bom3.vsnl.net.in ditkvic@bom3.vsnl. net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320 25/ 26716323- /26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, ''कयर हाउस'', एमजी रोड, एर्नाकुलम , कोच्चि–682016, केरल	वेबसाइट: www.coirboard.gov.in ईमेल: info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, टोल फ्री 1-800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एनएसआईसी भवन , ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली –110 020	वेबसाइट: www.nsic.co.in ईमेल: info@nsic.co.in	011- 26926275 26910910 26926370 टोल फ्री 1-800-111955	011- 26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), यूसुफगुडा , हैदराबाद–500 045	वेबसाइट: www.nimsme.gov.in ईमेल: ar@nimsme.gov.in	040-23633260 23633202 23633203 23633213	
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा–442001	वेबसाइट: www.mgiri.org ईमेल: director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

1.	कयर बोर्ड	
1	**कयर बोर्ड मुख्यालय** कयर हाउस, कयर बोर्ड, एमजी रोड, कोच्चि, केरल, 682 016	दूरभाष 0484-2351900 फैक्स: 0484-2370034 ईमेल : info@coirboard.org
2	**कयर प्रदर्शन एवं सूचना केंद्र** कयर बोर्ड, राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, द्वितीय मंजिल, बाबा खड्ग सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001	दूरभाष : 011-24337766
3	**हिंदुस्तान कयर** कयर बोर्ड कलावूर पी.ओ., अल्लेप्पी, केरल, 688522	दूरभाष: 0477-2258267 ईमेल: hindcoir@gmail.com
	अनुसन्धान संस्थान	
1	**केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरई)** केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कयर बोर्ड, कलावूर पी.ओ., अलेप्पी, केरल–688 522	दूरभाष 0477-2258094/ 2258480/ 2258933 दूरभाष /फैक्स: 0477-2258415 ईमेल :ccri.coirboard@gmail.com
2	**केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीसीआईसीटी)** **केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी)** कयर बोर्ड, नं.3ए, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, टीवीएस क्रॉस के पास बैंगलोर, कर्नाटक–560 058	दूरभाष 080-28394875 ईमेल :cictcoirboard@gmail.com
	प्रशिक्षण केंद्र	
1	**राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एनसीटी एवं डीसी)** राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एनसीटीडीसी) कयर बोर्ड, कलावूर पी.ओ., अलेप्पी, केरल–688 522	दूरभाषः 0477-2258067 ईमेल : adnctdc@gmail.com
2	**क्षेत्रीय विस्तार केंद्र तंजावुर** क्षेत्रीय विस्तार केंद्र कयर बोर्ड, पिल्लैयारपट्टी वाया वल्लम तंजावुर तमिलनाडु–613403	दूरभाष : 04362-264655 ईमेल : cbrectnjcoirboard@gmail.com
	क्षेत्रीय कार्यालय	
1	**बंगलूरू** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, पीन्या, बैंगलोर, कर्नाटक–560 058	दूरभाष: 080-28375023 ईमेल : cbrobangalore@gmail.com
2	**भुवनेश्वर** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड, जगमारा (उद्योगपुरी), पी.ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिशा–751030	दूरभाष: 0674-2350078 ईमेल : robbsrcoirboard@gmail.com
3	**राजमुंदरी** क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, स्वराज नगर, एसी गार्डन, डौलेसरम रोड, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश–53101	दूरभाष: 0883-2420196 ईमेल: coirboardrorjy@yahoo.co.in

4	**पोलाची** क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, नं–41, नेहरू स्ट्रीट, महालिंगा पुरम, रौंदना के पास, वाटर टैंक के नजदीक, पोलाची, कोयंबटूर, तमिलनाडु–642 002	दूरभाष: 04259-222450 ईमेल: coirpollachi2@gmail.com
5	**कंकावली** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड प्रहार बिल्डिंग (जीएफ), कंकावली, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र–416602	ईमेल: cbro.sindhudurg@gmail.com
6	**कलावूर** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड कयर बोर्ड कॉम्प्लेक्स, कलावूर पी.ओ., अल्लेप्पी, केरल–688522	दूरभाष: 0477-2258801 फैक्स : 0477-2258806 ईमेल:coirmarkscheme@yahoo.com
7	**बालासोर** कयर बोर्ड एक्सटेंशन सेंटर भू तल, एनओसीसीआई बिजनेस पार्क, ट्रेड टावर, बामपाड़ा, बालासोर, ओडिशा–756056	दूरभाष: 06782-255255 ईमेल :cbecbls@gmail.com
8	**सिंधुदुर्ग** कयर बोर्ड एक्सटेंशन सेंटर कमरा नंबर 207, जिला कलेक्टरेट बिल्डिंग ओरोस, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र – 416812	दूरभाष: 02362-228092 ईमेल: cbec.sindhudurg@gmail.com
	उप क्षेत्रीय कार्यालय	
9	**कन्नूर** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, माधव अपार्टमेंट, थेझुक्किल पीडिका, मेले चोव्वा, कन्नूर, केरल–670006	दूरभाष: 0497-2726360 ईमेल :cbsroknr@gmail.com
10	**तेलंगाना** कयर बोर्ड उप क्षेत्रीय कार्यालय, 5–8–328/1, चैपल रोड, तेलंगाना–500001	दूरभाष: +91-40-23202276 मोबाइल :+91 8985712276 ईमेल: coirboardsrohyd@gmail.com
11	**गुवाहाटी** कयर बोर्ड उप–क्षेत्रीय कार्यालय, 2जी दीहान आर्केड, तीसरी मंजिल, एबीसी, जीएस रोड, भंगागढ़, गुवाहाटी 781005,	दूरभाष: 0361-2556828 ईमेल :cbsroghty@gmail.com
12	**कावारथी** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, केरल के अधीन कार्यरत	दूरभाष: 04896-262026 ईमेल: srokavaratti@gmail.com
13	**कोलकाता** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड नया सचिवालय भवन, सी –ब्लॉक, भू तल 1, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700001	दूरभाष: 033-22625735 ईमेल:cbsrokol@gmail.com
14	**पोर्ट ब्लेयर** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड एनेक्स बिल्डिंग, उद्योग परिसर, विभागीय वर्कशॉप के सामने, मिडिल पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार–744101	दूरभाष: 03192-230265 ईमेल : coirportblair@gmail.com

2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

क्र.स.	कार्यालय	पता	संपर्क नंबर एवं ई–मेल
1	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	cmd@nsic.co.in 011-26927172, 26926067
2	निदेशक (योजना एवं विपणन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	dpm@nsic.co.in 011-26927327
3	निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	dfin@nsic.co.in 011-26920920
4	कार्यकारी निदेशक (कार्य संपदा प्रभाग एवं प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	navinchopra@nsic.co.in 011-26920911
5	मुख्य महाप्रबंधक (बैंक टाईअप, बीजी के विरुद्ध कच्चा माल सहायता, बिल डिस्काउंटिंग, सीएसआर एवं प्रशासन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	ravikumar@nsic.co.in 011-26924505
6	मुख्य महाप्रबंधक (कॉपोरेट विपणन, घरेलू प्रदर्शनियां, एकल बिंदु पंजीकरण योजना और निविदा विपणन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	manojlal@nsic.co.in 011-26926275
7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (सीएमडी सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं मानव संसाधन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	styagi@nsic.co.in 011-26926067
8	महाप्रबंधक (एनएसएसएच) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	scsthub@nsic.co.in 011-26926275
9	वरिष्ठ महाप्रबंधक (कॉपोरेट योजना, डिजिटल सेवा सुविधा एवं प्रशिक्षण) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	vidyasagar@nsic.co.in 011-26324401
10	मुख्य सतर्कता अधिकारी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	cvo@nsic.co.in 011-26926513
11	महाप्रबंधक (कानून और वसूली और सीपीआईओ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	opgupta@nsic.co.in 011-26924503
12	महाप्रबंधक (आईटी प्रभाग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	sandeepmohan@nsic.co.in 011-26927502

क्र.स.	कार्यालय	पता	संपर्क नंबर एवं ई–मेल
13	वरिष्ठ महाप्रबंधक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	makhan@nsic.co.in 011-26926275
14	महाप्रबंधक (पीएम विश्वकर्मा), सीएमआर, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	rajeshkumar@nsic.co.in 011-26926275
15	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा प्रभाग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	pmajhi@nsic.co.in 011-26924502
16	महाप्रबंधक (व्यापार विकास आरएमडी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	akc@nsic.co.in 011-26928023
17	महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	opsingh@nsic.co.in 011-26926315
18	उप महाप्रबंधक (एफ एंड ए) (आंतरिक लेखा परीक्षा) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	kkagrawal@nsic.co.in 011-26926275
19	उप महाप्रबंधक (एफ एंड ए) (कंपनी सचिव) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	nishthagoyal@nsic.co.in 011-26926275
20	उप महाप्रबंधक (अनुबंध एवं खरीद) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	nitikaanand@nsic.co.in 011-26924507
21	उप महाप्रबंधक (ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	sanjayshari@nsic.co.in 011-26826801
22	उप महाप्रबंधक (शिकायत अधिकारी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	grievance@nsic.co.in 011-26926275

3. केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
	उत्तर क्षेत्र			
1	दिल्ली (निवासी प्रतिनिधि कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केग्रामोद्योगसी पैविलियन, गेट नंबर 4, गांधी दर्शन, राजघाट के सामने, नई दिल्ली – 110002	011-23724695, 011-23724694	011-23724694	rrkvic.kvic@gov.in
2	दिल्ली (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्राम्य विकास आयोग, के–ब्लॉक, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	011-2341 2796, 011-2341 8620	011-23418620	sodelhi.kvic@gov.in
3	हरियाणा (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, 103–ए, द मॉल, पी बी.34, अंबाला कैंट–133001	0171-2630 334, 0171-2643 688	0171-264 688	soambala.kvic@gov.in
4	हिमाचल प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, क्लीव लैंड, चौड़ा मैदान, शिमला–171004	0177-2806528, 0177-2652320	0177-265 320	soshimla.kvic@gov.in
5	संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 242, शास्त्री नगर, जम्मू–180004	0191-2458 333, 2433 412	0191-243412	sojammu.kvic@gov.in
6	पंजाब (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, एससीओ – 3003–04, सेक्टर–22डी, चंडीगढ़–160022	0172-2701 261, 2702 690	0172-2702 690	sochandigarh.kvic@gov.in
7	राजस्थान (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302004	0141-2707 850	0141-2706 969	sojaipur.kvic@gov.in
8	संभागीय कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, किशनगंज भवन, श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर–334004	0151-2250 171	0151-2250 161	dobikan.kvic@gov.in
9	क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, माणिक्यलाल वर्मा भवन, नेहरू नगर, के पास आदर्श स्टेडियम, बाडमेर–344001	02982-220 061	02982-226966	rbdobarmer.kvic@gov.in
10	कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रामसिंहपुरा, सिकरपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर – 302029	0141-6556 616	0141-2730 369	knhpi.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई—मेल
	पूर्वी क्षेत्र			
1	बिहार (राज्य कार्यालय), खादी एवं खादी आयोग, पोस्ट– बी. वी. कॉलेज परिसर, शेखपुरा, पटना—800014	0612-2228 010	0612-2228 010	sopatna.kvic@gov.in
2	सेंट्रल स्लिवर प्लांट खादी और ग्रामोद्योग आयोग, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, जिला वैशाली—844101 (बिहार)	06224-273 776, 274 315	06224-274 315	csphajipur.kvic@gov.in
3	झारखंड (राज्य), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 191—सी, विद्यालय मार्ग, एटी एंड पोस्ट अशोक नगर, रांची, पिन—834 002	0651-3502400	0651-2213 839	soranchi.kvic@gov.in
4	ओडिशा (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग प्लॉट नंबर जे/16, भीमपुर, गंडामुंडा, पी.ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर—751030	0674-2351 161, 2351 131	0674-2351 161	sobhubaneshwar.kvic@gov.in
5	पश्चिम बंगाल (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 33, चित्तरंजन एवेन्यू, 6ठी और 7वीं मंजिल, कोलकाता—700 012	033-2211 9491, 2211 4345	033-2211 9491	sokolkata.kvic@gov.in
	पश्चिमी क्षेत्र			
1	गोवा (राज्य कार्यालय), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सुशीला बिल्डिंग, प्रथम तल, ए—विंग, एलआईसी कार्यालय के सामने, 18 जून रोड, पणजी—403 001	0832-2223 676	0832-2223 676	sogoa.kvic@gov.in
2	गुजरात (राज्य कार्यालय), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ई—ब्लॉक, चतुर्थ तल, कैपिटल कमर्शियल सेंटर, एलिसब्रि आश्रम रोड, अहमदाबाद—380 009	079-2657 9974, 2657 9974	079-2657 9974	soahmedabad.kvic@gov.in
3	महाराष्ट्र (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय बीमा भवन, चौथी मंजिल,14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट ,मुंबई—400 020	022-2281 7449	022-2281 7449	somumbai.kvic@gov.in
4	संभागीय कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, प्रथम तल, मैत्री विलोज, सर बेजोंजी मेहता रोड, गांधी सागर, नागपुर—440 018	0712-3918 036	0712-2565 151	donagpur.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1	असम (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, रूपनगर , गुवाहाटी–781 032	0361-2461 023, 2461 126	0361-2461 023	soguwahati.kvic@gov.in
2	अरुणाचल प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, एच–सेक्टर इटानगर–791 113	0360-2212 224, 2291 663	0360-2212 224	soitanagar.kvic@gov.in
3	मणिपुर (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, पाओना बाजार, इम्फाल–795 001	0385-2451 759	0385-2451 759	soimphal.kvic@gov.in
4	मेघालय (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, वार्ड नं. 8, ओकलैंड, शिलांग–793 001	0364-2227 807	0364-2227 807	soshillong.kvic@gov.in
5	मिजोरम (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, डी–66, सिकुलपुइकॉन, रिपब्लिक रोड, आइजोल–796 001	0389-2316 387	0389-2316 387	soaizwal.kvic@gov.in
6	नागालैंड (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, दीमापुर–797 112	03862-226 546	03862-226 546	sodimapur.kvic@gov.in
7	सिक्किम (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इंदिरा बायपास, एसडीएफ भवन के पास, पी.ओ.–ताडोंग, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम–737 102	03592-280 696	03592-280 696	sosikkim.kvic@gov.in
8	त्रिपुरा (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, असम– अगरतला रोड, कामारपुकुरपार, पी.ओ. अगरतला कॉलेज, जिला पश्चिम त्रिपुरा–799004 (अगरतला)	0381-2323 735, 2323 735	0381-2323 735	sotripura.kvic@gov.in
	दक्षिण क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नंबर 56–3–10ए, पहली और दूसरी मंजिल, रामिनेनीवारी स्ट्रीट, पटामाता, विजयवाड़ा – 520010	0866-2471725 247352		sohyderabad.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
2	तेलंगाना (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ब्लॉक–ए, एनआई–एमएसएमई परिसर, यूसुफगुडा, हैदराबाद–500 045	040-2460 8464	040-2460 8464	sotelangana.kvic@gov.in
3	संभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, डी.नं.13–28–8, श्रीहरि प्लाजा, महारानीपेटा, विशाखापत्तनम–530 002	0891-2561 156, 2565 904	0891-2561 156	dovizag.kvic@gov.in
4	कर्नाटक (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पोस्ट– विजिनापुरा, दूरवानीनगर, बैंगलोर – 560 016	080-2566 5885, 2566 5884	080-2566 5885	sobangalore.kvic@gov.in
5	सेंट्रल स्लिवर प्लांट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पीबी नं. 81, प्लॉट नंबर 9–10–11, केलागोटे औद्योगिक क्षेत्र, चित्रदुर्ग – 577 501	08194-235 285, 235 285	08194-235 285	cspchitradurga.kvic@gov.in
6	केरल (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पट्टम पैलेस, पी.ओ.,तिरुवनंतपुरम–695 004	0471-2331 061, 2331 625	0471-2331 061	sotvm.kvic@gov.in
7	सेंट्रल स्लिवर प्लांट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, पी.ओ.–कुट्टूर, त्रिशूर–680 013	0487-2387 120, 2387 119	0487-2387 120	cspthrissur.kvic@gov.in
8	तमिलनाडु (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 326, अवाई शनमुगम रोड, गोपालपुरम, चेन्नई–600 086	044-2835 1019	044-2835 1697	sochennai.kvic@gov.in
9	मंडल कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 10, बायपास रोड, मदुरै–625 010	0452-2386 792	0452-2386 762	domadurai.kvic@gov.in
10	संभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग सांगा (फेड) परिसर, बेंगेरी,हुबली – 580 023	0836-2282882	....	dohubli.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
	मध्य क्षेत्र			
1	छत्तीसगढ़ (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पहली मंजिल, गांधी भवन, केयूर वुशन स्मृति परिसर, कंकालीपारा,रायपुर – 492 001	0771-2886 428, 2885 164	0771-2886 428	soraipur.kvic@gov.in
2	मध्य प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बी–3/4 विंग, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462 023	0755-2583 668, 2583 667	0755-2583 668	sobhopal.kvic@gov.in
3	सेंट्रल स्लिवर प्लांट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इछावर रोड, सीहोर – 466 001	07562-228 202, 228 201	07562-228 202	cspsehore.kvic@gov.in
4	उत्तराखंड (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जनरल महादेव सिंह रोड, कंवाली, देहरादून – 248 001	0135-2627 241, 2724 709	0135-2627 241	sodehradun.kvic@gov.in
5	उत्तर प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्राम्य विकास आयोग, 'ग्रामोदय', इंदिरा नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ – 226 016	0522-2354 511, 2311 112	0522-2310 378	solucknow.kvic@gov.in
6	संभागीय कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, पुरानी चुंगी के पास, गढ़ रोड, मेरठ – 250 001	0121-2653 288, 2647 645	0121-2653 288	domeerut.kvic@gov.in
7	संभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, संस्कृत विश्वविद्यालय मार्ग, तेलिया बाग, वाराणसी – 221 002	0542-2204 434, 2208 697	0542-2204 434	dovaranasi.kvic@gov.in

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों की सूची

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम और उनके प्रभारी	पता और वेबसाइट	ई–मेल एवं सम्पर्क मोबाइल नं.
1.	**श्री आर.डी. पाटिल** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो–जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद।	पी–31, एमआईडीसी, चिकलथाना औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद 431 006 www.igtr-aur.org	gm@igtr-aur.org 9545877348
2.	**श्री विशाल कुमार** महाप्रबंधक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो–टूल रूम), अहमदाबाद	प्लॉट–5003, फेज–IV, जीआईडीसी वटवा, मेहमदाबाद रोड, अहमदाबाद 382 445 (गुजरात) www.igtrahd.com	gm@igtrahd.com pstogm@igtrahd.com 9099041992
3.	**श्री डी.वी. रौतेला** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो–जर्मन टूल रूम), इंदौर	प्लॉट नं.291/बी, 302/ए, सेक्टर–ई, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर 452 015 (म.प्र.) www.igtr-indore.com	patogm@igtr-indore.com igtrindore-mp@nic.in 9229490702
4.	**श्री ए.पी. शर्मा** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय टूल रूम), लुधियाना	ए–5, फोकल प्वाइंट लुधियाना 141 010 (पंजाब) www.ctrludhiana.org	gmctrludhiana@gmail.com tcludhiana@dcmsme.gov.in 9872320993
5.	**श्री के. मुरली** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान), हैदराबाद	ए–1 से ए–8 एपीआईई, बालानगर हैदराबाद 500 037 (तेलंगाना) www.citdindia.org	citdpddcmsme@yahoo.com pstopd@citdindia.org 9840291804
6.	**श्री देबदत्ता गुहा** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी (केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र), कोलकाता	बोनहूघली औद्योगिक क्षेत्र कोलकाता 700 108 (पश्चिम बंगाल) http://www.msmetoolroom-kolkata.com	cttc-msme@gov.in debdutta.guha@msmetoolroom-kolkata.com 9871472369
7.	**श्री राजशेखर लिंगम** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र), भुवनेश्वर	बी–36, चंदका औद्योगिक क्षेत्र, पी.ओ. पटिया भुवनेश्वर 751 024 (उड़िसा) www.cttc.gov.in	cttc@cttc.gov.in rajasekhar.lingam@gmail.com 9434491950
8.	**श्री आनंद दयाल,** महाप्रबंधक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम) जमशेदपुर	एम–4 (भाग) चरण–VI, टाटा कांड्रा रोड, गम्हरिया जमशेदपुर 832 108 (झारखंड) www.idtr.gov.in	reach@idtrjamshedpur.com ananddayal@idtr.gov.in 7485806806

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम और उनके प्रभारी	पता और वेबसाइट	ई–मेल एवं सम्पर्क मोबाइल नं.
9.	श्री जजाति के. मोहंती, परियोजना प्रबंधक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र), गुवाहाटी	अमीनगांव औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर गुवाहाटी रोड, अमीनगांव, गुवाहाटी 781 031 www.trtcguwahati.org	trtcghy@hotmail.com 9438081475
10.	श्री पी.के. वर्मा प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केन्द्रीय हस्त उपकरण संस्थान) जालंधर	जी.टी. रोड, बाई पास शहीद के सामने भगत सिंह कॉलोनी जालंधर–144008 (पंजाब) www.ciht.in	info@ciht.in cihtjld@gmail.com 9915466844
11.	श्री संजीव कुमार चेट्टी प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान), मुंबई	स्वातंयवीर तात्या टोपे मार्ग, चूनाभट्टी, सायन, मुंबई – 400 022 www.idemi.org	info@idemi.org 9845034047
12.	श्री दिनेश चंद्र प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॅनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र), रामनगर	ढेला रोड, कनिया, रामनगर जिला नैनीताल–244715 उत्तराखंड www.estcindia.com	pd_estc@yahoo.com 9719399199
13.	श्री सचिन राजपाल प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र), आगरा	फाउंड्री नगर, आगरा–282006 (उ.प्र) http://www.ppdcagra.dcmsme.gov.in	ppdcagra@gmail.com 9667275588
14	श्री आदित्य प्रकाश शर्मा प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र), मेरठ	स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ–250002 (उ.प्र.) https://www.ppdcmeerut.com/	info@ppdcmeerut.com 9711933049
15	श्री सचिन राजपाल निदेशक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), आगरा।	सी –41 एवं 42, साइट 'सी' सिकंदरा रोड, औद्योगिक क्षेत्र आगरा–282007 (उ.प्र.) www.cftiagra.org.in	info@cftiagra.org.in 9667275588
16	श्री के. मुरली, निदेशक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), चेन्नई	65/1, जीएसटी रोड, गिण्डी चेन्नई–600032 www.cftichennai.in	chennaicfti@gmail.com, cfti@cftichennai.in 9840291804
17.	श्री एस.वी. शुक्ला प्रधान निदेशक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र), कन्नौज	इंडस्ट्रियल इस्टेट, जीटी रोड, पी.ओ. मकरंद नगर, कन्नौज –209726 (उ.प्र.) www.ffdcindia.org	ffdcknj@gmail.com, shaktiffdc@gmail.com 9415334050
18.	श्री सचिन राजपाल प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (कांच उद्योग विकास केंद्र), फिरोजाबाद	ए–1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेसर रोड, पोस्ट ऑफिस मुइद्दीनपुर फिरोजाबाद–283203 (उ.प्र.) www.cdgiindia.net	cdgifzbd@gmail.com 9667275588

5. एमएसएमई–डीएफओ और शाखा एमएसएमई–डीएफओ की राज्य–वार सूची

	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
1 आंध्र प्रदेश				
	एमएसएमई–डीएफओ, विशाखापत्तनम	श्री एस विजय कुमार, संयुक्त निदेशक, मो.– 8971423923	श्री चंद्रमौली, एडी ग्रेड –II, 8123371266	एफ–19 से 22, 'डी' ब्लॉक, ऑटोनगर, विशाखापत्तनम 530012, 0891–2517942, dcdi-vish@dcmsme.gov.in
2 अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह				
	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, पोर्ट ब्लेयर (शाखा एवं निकोबार द्वीप)	श्री गोपाल सिन्हा सहायक निदेशक ग्रेड–1 7782867741	श्री पीके दास, संयुक्त निदेशक, 7003794210, brdcdi-durg@dcmsme.gov.in	बीआर. एमएसएमई–डीएफओ, औद्योगिक एस्टेट, डॉलीगंज , पोस्ट बॉक्स नं.–547, जंगलीघाट पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर–744103; फोन नं.– 03192.259305; ई–मेल– brmsmedi.pb@gov in and brmsmedipb@gmail.com
3 अरुणाचल प्रदेश				
	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, ईटानगर	श्री सतीश कुमार सहायक निदेशक ग्रेड–1 9899710407		एपीआईडीएफसी लिमिटेड बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, पिनः 791111 ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईमेलः brmsme.itan@gmail.com
4 असम				
i	एमएसएमई–डीएफओ, गुवा. हाटी	श्री लोकेश कुमार परगनीघा, नाम– उप निदेशक, ग्रुप I–HoO मोबाइल नंबरः 7869437037	डीके राभा, एडी ग्रेड– I, 6001834958 dk.rabha67@dcmsme.gov.in	मनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदाम, गुवा. हाटी–781021 फोनः (0361) 2970591 ई–मेलः dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सिलचर	श्री मनबेन्द्र दत्ता, प्रभारी सहायक निदेशक, फोन नं. 94355–65845		लिंक रोड प्वाइंट, एनएसएवेन्यू, सिल. चर–788006, जिला–कछार (असम), ईमेल आईडीः brdcdi-silc@dcmsme.gov.in
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, तेजपुर	श्री आर.के.मोहनानी, सहायक निदेशक, ग्रेड II, 9827442574		दरांग कॉलेज रोड (पश्चिम),)तेजपुर, पिन.: 784001 जिला– सोनितपुर, असम दूरभाषफोन नंबरः (03712)–221084 ई–मेलः brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
iv	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, दिफू (असम)	श. एम. रविकांत, सहायक निदेशक–II 9440385967		सिविल अस्पताल के पास, दीफू, पिनः 782460 जिला –कार्बी आंगलोंग, असम, मेलः brmsmediphu@gmail.com, brdcdi-diph@dcmsme.gov.in
5 बिहार				
i	एमएसएमई–डीएफओ, मुजफ्फरपुर	श्री सी.एस.एस.राव, संयुक्त निदेशक, मोबाइलः 9871291787, ईमेलः cssrao@dcmsme.gov.in	श्री रमेश कुमार यादव, सहायक निदेशक, 7588726076, rk.yadav79@dcmsme.gov.in	एमएसएमई–डीएफओ, गौशाला रोड, रमना, मुजफ्फरपुर, बिहार–842002, dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
ii	एमएसएमई–डीएफओ, पटना	श्री सी.एस.एस.राव , संयुक्त निदेशक, मोबाइलः 9871291787, ईमेलः cssrao@dcmsme.gov.in	श्री संजीव वर्मा , एडी ग्रेड –I, 9708025677	एमएसएमई–डीएफओ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, पाटलिपुत्र औद्योगिक एस्टेट, पटना–800013, 0612-2262186, 2262568,2262208 , dcdi-patna@dcmsme.gov.in
6. चंडीगढ़			डीएफओ, लुधियाना के अंतर्गत आता है	
7 छत्तीसगढ				
एमएसएमई–डीएफओ, रायपुर		श्री राजीव एस., संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, 9406377142, rajeevs.nair@gov.in	श्री किशोर बी इरपाटे, एडी ग्रेड–1, 9423525935,	उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट– बिरगांव, रायपुर, पिन– 493221, छत्तीसगढ़, ईमेल आईडी– dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8 दादरा और नगर हवेली और दमन				
शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सिलवासा (दादर एवं नगर हवेली)		श्री नितिन चावला , सहायक निदेशक, मो., 9990154888		मसाट इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिलवासा, फोन– (0260) 2640933/2966369, ईमेल आईडीः brdcdi-silv@dcmsme.gov.in
9 दिल्ली				
i	एमएसएमई–डीएफओ, नई दिल्ली	डॉ. आरके भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, 9998879118, rk.bharti69@gov.in	श्री बी.पी. सिंह, सहायक निदेशक, 9811515096	शहीद कैप्टन गौर मार्ग, ओखला औद्योगिक एस्टेट के सामने, नई दिल्ली–110020, फोन नं. – 26838118/26838068/26847223, ईमेल आईडीः dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, नई दिल्ली	श्री.अरुण डिफो, सहायक निदेशक ग्रेड–I, 7005645703, 9485235167	डॉ. आरके भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, 9998879118, rk.bharti69@gov.in	बीआर. एमएसएमई–डीएफओ, एल ब्लॉक, कॉनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, फोन नं. –23411950/23414364, ईमेल आईडी: br.nd-msmedi@dcmsme.gov.in
10 गोवा				
एमएसएमई डीएफओ, गोवा		श्री मुकेश कुमार मीना संयुक्त निदेशक 6376187404	श्री डॉ. जौहरी, एडी ग्रेड –I, 8879405522	एमएसएमई –डीएफओ, कोंकण के सामने रेलवे, मडगांव, गोवा, 0832–2705093/94, dcdi-goa@dcmsme.gov.in
11 गुजरात				
i	एमएसएमई–डीएफओ, अहमदाबाद	श्री प्रदीप ओझा संयुक्त निदेशक एवं प्रधान आफिसर, मो. 9649887496	श्री पी.एन. सोलंकी, उप निदेशक, 8780410904	एमएसएमई टॉवर" एनआर. सीआईएमएस अस्पताल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद, फोन– (079) 27543147 / 27544248, ईमेल आईडी: dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, राज. कोट (गुजरात)	श्रीमती स्वाति गुप्ता, सहायक निदेशक, मो. 9265056260/ 8826850156		शाखा एमएसएमई–डीएफओ, राजकोट (गुजरात)
12 हरियाणा				
i	एमएसएमई–डीएफओ, करनाल	श्री संजीव चावला, निदेशक, 9810908426, schawla@dcmsme.gov.in		11–ए, आईडीसी, आईटीआई के पास, कुंजपुरा रोड, करनाल–132 001, 0184–2208100, 0184–2208113, dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, भिवानी	श्री रचना त्रिपाठी, सहायक निदेशक, 9017109998, rachna.tripathi@gov.in	सुश्री निशा बत्रा, एडी ग्रेड –II, 9968514234	आईटीआई परिसर, हांसी रोड, भिवानी, 127021, 01664–243200, brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13 हिमाचल प्रदेश				
एमएसएमई– डीएफओ, सोलन		श्री ए.के. गौतम, सहायक निदेशक ग्रेड– I, 9412372661, gvelladurai@dcmsme.gov.in, gvelladurai@gmail.com	श्री शैलेश कुमार सहायक निदेशक ग्रेड –II मोबाइल–8273637062	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन – 173 213 लैंडलाइन–01792230766 dcdi-solan@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
14 जम्मू और कश्मीर				
i	एमएसएमई–डीएफओ, जम्मू और कश्मीर	श्री जी.वेल्लादुराई, संयुक्त निदेशक,7666125995, gvelladurai@dcmsme.gov.in, gvelladurai@gmail.com	देवेन्द्र के त्यागी, एडी ग्रेड– II, 9609615555	औद्योगिक एस्टेट, डिगियाना, जम्मू – 180 010 दूरभाष 01912435425 dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, जम्मू तवी	श्री जी. वेल्लादुराई, संयुक्त निदेशक,7666125995, gvelladurai@dcmsme.gov.in, gvelladurai@gmail.com	श्री शलील ए, एडी ग्रेड– I, मोबा.: 9796369757	औद्योगिक एस्टेट, डिगियाना, जम्मू – 180 010 दूरभाष 01912435425 dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
15 झारखंड				
i	एमएसएमई–डीएफओ, रांची	श्री इन्द्रजीत यादव, संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, 8126248984	श्री सुरेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक, 7860950389, dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in	इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची, 0651–2970163, dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, धनबाद (झारखंड)	श्री इंद्रजीत यादव , संयुक्त निदेशक, मोबाइल–8126248984	श्री दीपक कुमार, सहायक निदेशक, मो– 8335884408, brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in	शाखाएमएसएमई–डीएफओ धनबाद, कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद – 826001
16 कर्नाटक				
i	एमएसएमई–डीएफओ, बेंगलुरु	डॉ. के. सोकरात, संयुक्त निदेशक मोबाइल–9686165245, grakadas@dcmsme.gov.in	श्री शशि कुमार उप निदेशक 9845656769	राजाजीनगर इंड्ल एस्टेट, बेंगलुरु–560010, ईमेल dcdi-bang@dcmsme.gov.in, फोन.: 080–23151581.82.83 डायरेक्ट नं. 080–23151540
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, मैंगलोर	श्री देवराज के., संयुक्त निदेशक, 9343332009 devaraj.k@gov.in	श्री. सुंदरा शेरीगारा एम 9481444618 sundar.smala@gov.in	एल –11, इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्याडी, मैंगलोर –575008, brdcdi-mang@dcmsme.gov.in, फोन.: 0824-2217936/2217696
iii	एमएसएमई–डीएफओ, हुबली	श्री.बी.एस.जवालगी सहायक निदेशक ग्रेड–1 9632467868		एमएसएमई–डीएफओ, गोकुल रोड पुलिस स्टेशन के पास, गोकुल रोड, हुबली। फोन– 0836–2330389/5634, dcdi-hubli@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
iv	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, गुलबर्गा	श्री.बी.एस.जवालगी सहायक निदेशक ग्रेड–1 9632467868		सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पीडीए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड आई–वान–ई शाही गुलबर्गा–02, फोन. 08472–277120 ईमेलः brdcdi-gulb@dcmsme.gov.in
17 केरल				
एमएसएमई– डीएफओ, त्रिशूर		श्री जी.एस.प्रकाश, संयुक्त निदेशक, 9447875070 dddi.tcr-msme@gov.in, prakashgs2003@yahoo.com	श्री मार्टिन पी चाको, सहायक निदेशक ग्रेड –I, 9446355562	एमएसएमई–विकास संस्थान, अय्यानथोल आउटपोस्ट, कंजानी रोड, त्रिशूर–680003, ई–मेलः dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in फोन और फैक्सः निदेशक : 0487-2360216
18 लद्दाख				
केंद्रीय इकाई, लद्दाख		श्री जी.वेल्लादुराई, संयुक्त निदेशक,7666125995 gvelladurai@dcmsme.gov.in, gvelladurai@gmail.com	-	-
19 लक्षद्वीप				
केंद्रीय इकाई, लक्षद्वीप		श्री जी.एस. प्रकाश, संयुक्त निदेशक, 9447875070 dddi.tcr-msme@gov.in, prakashgs2003@yahoo.com		एमएसएमई–डेवलपमेंट न्यूक्लियस सेल, अमिनी – 682 552, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, भारत, dcdi-thrissur@dcmsme@gov.in, brdcdi-laks-dcmsme.gov.in
20 मध्य प्रदेश				
i	एमएसएमई– डीएफओ, इंदौर	श्री राजीव एस, संयुक्त निदेशक, मोबाइल : 9406377142	श्री एम तिर्की, एडी ग्रेड –I, 9131371217 i.tirkey@dcmsme.gov.i	10–पोलोग्राउंड, औद्योगिक एस्टेट, इंदौर–452015 (म.प्र.) फोन नंः 0731–2421659, ई–मेल आईडीः dcdi-indore@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, रीवा (मप्र)	श्री क्रिस्टोफर मिंज, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मोबाइल नंबर: 9406668482	शून्य	उद्योग विहार, चोरहटा , रीवा–486006 (म.प्र.), फोन नं. 07662–299278, ई–मेल आईडी: dcdirewa.msme@gov.in
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, ग्वालियर (मप्र)	श्री राजीव कुमार, सहायक निदेशक ग्रेड–I मोबाइल नंबर: 9761308902, ईमेल आईडी– meena_rajeev@rediff-mail.com		7–इंडस्ट्रियल एस्टेट, तानसेन रोड, बिरला नगर, ग्वालियर– 474004 मध्य प्रदेश) फोन 0751–2422590 फैक्स – 0751–2422590 ईमेल: dcdigwl.msme@gov.in
21 महाराष्ट्र				
i	एमएसएमई–डीएफओ, मुंबई	श्री मिलिंद बारापात्रे, संयुक्त. निदेशक, 9341431110	श्री नरेन्द्र एन. एस्टोलकर, संयुक्त निदेशक; 9768686250; nestolkar@yahoo.co.in	एमएसएमई–डीएफओ, मुंबई, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई 72, 022–28576090/3091/4305 dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई डीएफओ, पुणे (महाराष्ट्र)	श्री अभय दप्तारदार, एडी ग्रेड– I, 9619927453,	श्री मिलिंद बारापात्रे, संयुक्त. निदेशक, 9341431110	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, पुणे (महाराष्ट्र)
iii	एमएसएमई–डीएफओ, नागपुर	डॉ. विजय आर. सिरसथ, संयुक्त निदेशक, 9527944616		सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक–सी, सेमिनरी हिल्स, नागपुर–440006, 0712–2510046,2510352, dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
22 मणिपुर				
एमएसएमई–डीएफओ, इम्फाल		श्री लोकेश परगनिहा, उप निदेशक. 7869437037	श्री मनोज शर्मा, सहायक निदेशक 9988018308	एमएसएमई–डीएफओ, औद्योगिक एस्टेट ताकियेलपत, इंफाल पश्चिम जिला, इंफाल–795001, dcdi-imphal@dcmsme.gov.in, 7005711045
23 मेघालय				
i	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, शिलांग	श्री नीरज शर्मा, सहायक निदेशक ग्रेड I, 8285489321		लोअर न्यू कॉलोनी, बीके बाजोरिया स्कूल के सामने, पिन: 793 001 शिलांग, मेघालय, दूरभाष/फैक्स नंबर: (0364) – 2507586 ई–मेल: ddo.msme-meg@gov.in, brdcdi-shil@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, तुरा	डॉ दुर्गेश पांडे सहायक निदेशक ग्रेड–1 9910201527		टीवी टावर के पास, डाकोपग्रे , तुरा–794101 पश्चिम– गारो हिल्स (मेघालय) ई–मेल आईडी: Br dcdi-tura@turadcmsme.gov.in
24 मिजोरम				
शाखा एमएसएमई–डीएफओ, आइजोल (मिजोरम)		श्री सम्राट झा सहायक निदेशक ग्रेड–1 7766919615	श्री बेंजामिन टी लालपू, 8787793197, btombing79@gmail.com	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, एलएचरोसांगा बिल्डिंग, बेसमेंट–1, फुंचावंगकॉवन, त्लांगनुअम पश्चिम, आइजोल – 796005, मिजोरम, टी.नंबर – 0389 –2999074, ईमेल आईडी– dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
25 नगालैंड				
एमएसएमई–डीएफओ, दीमापुर (नागालैंड)		नामः श्री लोकेश कुमार परगनीघा, पद– उप निदेशक, ग्रुप I-HoD मोबाइल नंबरः 7869437037	श्री गौरव सैनी, सहायक निदेशक ग्रेड I मोबाइलः 9811767482	एमएसएमई–डीएफओ, दीमापुर (नागालैंड)
26 ओडिशा				
i	एमएसएमई–डीएफओ, कटक	श्री पी.के. गुप्ता, संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, मोबाइलः 8002768669	सुश्री नितिशा मान, उप. निदेशक (ईआई), मोबाइलः 9911888823	एमएसएमई–डीआई, विकास सदन, कॉलेज स्क्वायर, कटक–753003, मोबाइलः 9437095976, ईमेलः dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, राउरकेला (ओडिशा)	श्री डी.के. नायक, सहायक निदेशक ग्रेड– I, मोबाइलः 9366170257	श्री एस.के. पति, सहायक निदेशक, मोबाइलः 8281854564	शाखा एमएसएमई – डीआई, सी/9, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जेल रोड, राउरकेला, ओडिशा–769012, संपर्कः 0661–2402492, ईमेल– brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, रायगड़ा (ओडिशा)	श्री एन.के.रत्नम, सहायक निदेशक ग्रेड– I, मोबाइलः 9437268448		शाखा एमएसएमई–डीआई, आरके नगर, रायगड़ा, ओडिशा – 765001, संपर्क– 06856 – 235868, ईमेल– brdcdi-raya@dcmsme.gov.in
27 पुडुचेरी		डीएफओ, चेन्नई के अंतर्गत आता है		

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
28 पंजाब				
एमएसएमई डीएफओ, लुधियाना		श्री संजीव चावला, निदेशक, 9810908426, schawla@dcmsme.gov.in	एमएस इशिता थमन, उप. निदेशक, 8288017112	एमएसएमई–डीएफओ, इंडस्ट्रियल एरिया–बी, संगीत सिनेमा के सामने, लुधियाना, फोनः 0161–2531733 ईमेलः dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in
29 राजस्थान				
एमएसएमई डीएफओ, जयपुर		श्री, गौरव जोशी, संयुक्त, निदेशक, 9711188044	श्री प्रदीप ओझा, संयुक्त निदेशक, 9649887496	22 गोदाम, इन. एस्टेट, जयपुर 302006 dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in
30 सिक्किम				
एमएसएमई डीएफओ, गंगटोक		श्री निर्मल चौधरी, ए.डी. ग्रेड–I 9433222137		केके सिंह बिल्डिंग, ताडोंग बाज़ार, एनएच–310, पी.ओ.: ताडोंग, गंगटोक–737102 सिक्किम, dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in
31 तमिलनाडु				
i	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, कोयंबटूर (तमिलनाडु)	श्री ए. पूर्णानन्द प्रभु, सहायक निदेशक ग्रेड II मोबाइल नंबर 8281623868		नंबर 386, पटेल रोड, रामनगर, कोयंबटूर – 641009, तमिलनाडु, ईमेलः brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, मदुराई (तमिलनाडु)	श्री जी सिमियोन मोबाः 7550168851, simiyon.g@dcmsme.gov.in	श्रीमती आर. उमाचंद्रिका, मोबाइलः 9842035441 ईमेलः umachandrika.raju@gov.in	प्लॉट नंबर 11, के. पुदुर, TANSIDCO इंडस्ट्रियल एस्टेट, मदुरै–625007, 0452–2918313, brdcdi.mdri@dcmsme.gov.in
32 तेलंगाना				
एमएसएमई–डीएफओ, हैदराबाद		श्री एस विजय कुमार, संयुक्त निदेशक, मोबाइल 8971423923		एमएसएमई डीएफओ, नरसापुर क्रॉस रोड्स, बालानगर, हैदराबाद–500037, तेलंगाना, फोनः 040–23078131–133, 23078857, dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
33 त्रिपुरा				
एमएसएमई–डीएफओ, अगरतला		श्री लोकेश परगनिहा, उप निदेशक. 7869437037	श्री सुनील सैनी, सहायक निदेशक 9205321086	इंद्रानगर, आईटीआई प्ले ग्राउंड के पास, पी.ओ.– कुंजाबन, अगरतला–799006, फोन– 0381–2352013, 2356570, dcdi-agartala@dcmsme.gov.in

	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
34 उत्तर प्रदेश				
i	एमएसएमई–डीएफओ आगरा	डॉ. आर.के. भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख मो. नं. 9998879118	श्री अभिषेक सिंह सहायक निदेशक, मोबाइल नं. 9458433277, 7078594087	34, इंडस्ट्रियल एस्टेट, नुनहाई, आगरा 282006; सिटी ऑफिस – तीसरी मंजिल, सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, ए–विंग, संजय प्लेस, आगरा – 282002; ईमेल आईडी dcdi-agra@dcmsme.gov.in
ii	एमएसएमई–डीएफओ, इलाहाबाद	श्री लाल बहादुर सिंह यादव, संयुक्त निदेशक, मो– 9455747578/ 9467902950	श्री वैभव खरे, सहायक निदेशक, मो–9565830901	ई–17/18, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नैनी, इलाहाबाद, उ.प्र. फोन– 0532–2696810, ई–मेल– dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, वाराणसी (उ.प्र.)	श्री एलबीएस यादव, संयुक्त निदेशक, मो. नं. : 9467902950	राजेश कुमार चौधरी, सहायक निदेशक (ग्रेड –II), मोबाइल नंबर: 7044207331	इंडस्ट्रियल इस्टेट, चांदपुर, वाराणसी –221106, फोन: 0542–2370621, ईमेल: brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
iv	एमएसएमई–डीएफओ, कानपुर	श्री विष्णु कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, मोबाइल: 8808051082 एवं 7355160963	श्री सुनील कुमार पांडे सहायक निदेशक ग्रेड–I मोबाइल: 9305005406 और 8851451990	एमएसएमई–डीएफओ 107 इंडस्ट्रियल एस्टेट कालपी रोड फजलगंज, कानपुर 208012 0512–2240143 और 2295072
35 पश्चिम बंगाल				
i	एमएसएमई–डीएफओ, कोलकाता	श्री पी.के. दास, संयुक्त निदेशक 8851465054	श्री सीतानाथ मुखोपाध्याय, सहायक निदेशक (ग्रेड–I), मोबाइल नं. 7980071162	एमएसएमई–डीएफओ, 111 और 112 बीटी रोड, कोलकाता – 700108, फोन नं. 033–25770595/98, ई–मेल: dcdi-kolkatta@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	श्री राजर्षि माजी, एडी ग्रेड –I, 9775072021		आरए–39 (ग्रांउंड फ्लोर), उर्वशी (चरण–2), बंगाल अंबुजा , ताराशंकर सारणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)– 713216, dcdi-durg@dcmsme.gov.in;
iii	शाखा एमएसएमई – डीएफओ, सूरी, बीरभूम (डब्ल्यूबी)	श्री ऋत्विक बिस्वास, सहायक निदेशक ग्रेड I प्रभारी और डीडीओ, 9800115541	शून्य	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, आरएन टैगोर रोड, पुलिस लाइन, सूरी, बीरभूमि, brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
iv	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	श्री टीसी लामा, एडी ग्रेड I, 9711818684		औद्योगिक क्षेत्र, शेड नं.– 3 और 4, सेवोके रोड, पश्चिम बंगाल – 734001, 8637826793, brdcdi-sili@dcmsme.gov.in

6. केंद्रों (टीसी) और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) का संपर्क विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण – नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ईमेल आईडी.
1	दिल्ली	टीसी, नई दिल्ली	श्री सत्य वीर शर्मा संयुक्त निदेशक 9971854654	श्री एन.के. साहू, एडी 9820522583	कैप्टन गौर मार्ग, ओखला फेज III, ओखला एस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली 110020, (011)26847973,26314616 dctc-nr @dcmsme.gov.in
2	महाराष्ट्र	टीसी, मुंबई	श्री मनोज कुमार, संयुक्त निदेशक (8587030740)	श्री विपुल गायकवाड़ सहायक निदेशक, मो. : 9604777377	एमएसएमई–परीक्षण केंद्र, एमएसएमई–डीएफओ परिसर, कुर्ला अंधेरी रोड, साकी नाका, मुंबई – 400 072 (महाराष्ट्र) (022) 28570588 / 28576998 dctc-wr@dcmsme.gov.in
3	तमिलनाडु	टीसी, चेन्नई	श्री वी. गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, 9885486708	श्री एस. सतेश कुमार, उप निदेशक, 9443829389	एमएसएमई परीक्षण केंद्र, 65/1, जीएसटी रोड, गिंडी, चेन्नई – 600032 फोन: 044–22500284, dctc-sr@dcmsme.gov.in
4	पश्चिम बंगाल	टीसी, कोलकाता	श्री पी. के. दास, संयुक्त निदेशक, 7003794210	श्री अलक मित्रा सहायक निदेशक मो.: 7838963889	111 और 112, बीटी रोड, कोलकाता – 700108, 033–2577–1353, dctc-er@dcmsme.gov.in
एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन					
1	इंदौर	टीएस, भोपाल	श्री एमएन गिरामे , सहायक निदेशक, मोबाइल नंबर 7049064028 श्री राजीव एस, संयुक्त निदेशक, मोबाइलः 9406377567		एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन, शेड नंबर डब्ल्यू–47–ई, सेक्टर–ई, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा , भोपाल, ईमेल आईडी–dcts-bhopal@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण – नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ईमेल आईडी.
2	कर्नाटक	टीएस, बेंगलुरु	डॉ. के. सोक्रेटिस, संयुक्त निदेशक, मो.: 9480159505	जी नागराजा, सहायक निदेशक, मोबाइल नंबर: 8088696627	एमएसएमई–डीएफओ कैंपस, राजाजीनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, बेंगलुरु–560010 dcts-banga@demsme.gov.in
3	केरल	टीएस, एट्टूमनुर	श्री वी. गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, 9885486708	श्री.पी.इबान जयकुमार, सहायक निदेशक–ग्रेड I, मोबाइल 8197298223	एमएसएमई, प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, एट्टुमनूर, पिन: 686631,0481–2535533, 2535563,8197298223, msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
4	महाराष्ट्र	टीएस, कोल्हापुर	मिलिंद बारापात्रे, संयुक्त निदेशक, 9341431110, 9371128504,	शून्य	पी–31, एमआईडीसी, शिरोली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, 0230–2469366, dcts-kolha@dcmsme.gov.in
5	पुदुचेरी	टीएस, पुडुचेरी	श्री एस.धर्मसेल्वन, संयुक्त निदेशक, 8248310489	श्री एम. उदयकुमार, सहायक निदेशक, 9488516615	एमएसएमई परीक्षण स्टेशन, 110 कामराज सलाई, थिदिकनम रोड, पुडुचेरी 605 009, dcts-pondy@dcmsme.gov.in
6	तेलंगाना	टीएस, हैदराबाद	एस. विजय कुमार, संयुक्त निदेशक, 8971423923	केएनएल मूर्ति, सहायक संचालक, मोब: 9908571790	एमएसएमई परीक्षण स्टेशन, ए1, औद्योगिक एस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद–18. 040– 28704371,29700415, dcts-hyd@dcmsme.gov.in
7	राजस्थान	टीएस, जयपुर	श्री गौरव जोशी, संयुक्त निदेशक, 971118044	श्री ऋषि सेठ, सहायक संचालक, मोब: 9810604428	एमएसएमई–टीएस, जयपुर ग्राउंड फ्लोर एमएसएमई–डीएफओ बिल्डिंग 22 गोदाम औद्योगिक एस्टेट, जयपुर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण – नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ईमेल आईडी.
एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान					
1	केरल	टीआई, एट्टूमनुर	श्री गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, मोबाइल नं.9885486708	श्री पी. इबन जयकुमार, सहायक निदेशक ग्रेड I, मोबाइलः 8197298223	एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, एट्टुमनूर, पिनः 686631, कोट्टायम जिला, 0481–2535533,2535563, ईमेलः msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
		टीआई, तिरुवल्ला	श्री वी. गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, मोबाइल नं. 9885486708	श्री पी. इबन जयकुमार. सहायक निदेशक ग्रेड I, मोबाइलः 8197298223	एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान, मंजाडी पी.ओ. तिरुवल्ला–पिनः 689 105, मो.: 9744293717, msmeti@dcmsme.gov.in

लघुरूप

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	बिजनेस इनक्यूबेटर
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन ऋण एकत्रीकरण केंद्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीवाई	कयर विकास स्कीम
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (एमएसएमई)
डीआईसी	जिला उद्योग केंद्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
चुनाव आयोग	आर्थिक जनगणना
ईईटी	ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियाँ
ईएम–II	उद्यमी ज्ञापन भाग–II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केंद्र
आईएसईसी	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र

केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एमएमडीए	संशोधित बाज़ार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमजीआईआरआई	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमई – डीएफओ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – विकास एवं सुविधा कार्यालय
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	उत्तर–पूर्व क्षेत्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
निम्समे	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएँ
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति

सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
स्फूर्ति	पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम
एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसपीवी	विशेष उद्देश्य वाहन
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टेकअप	प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन
ट्रेड	व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन
यूएपी	उद्योग सहायता मंच

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

www.msme.gov.in

@minmsme पर हमें फॉलो करें।